खण्ड-339, अंक-5
गुरूवार, 3 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(24 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राम दत्त जोशी के 21 मई, 1979 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या . . पर आधे घंटे की कथित स्वीकृत चर्चा न कराये जाने पर आपत्ति . .	485–486
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	486
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना . .	486–487
विधान सभा के अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन तिथि की घोषणा . .	487–488
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	488–491
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 71––विद्युत् विभाग तथा अनुदान संख्या 126––विद्युत् विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	491–545
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	545
बाँदा जिले के कमासिन गाँव में 'भूदान यज्ञ' में प्राप्त जमीन से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों को उजाड़ कर भू-स्वामियों द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन . .	545
सत्थियाँ	546–550

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 24 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—334

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अनवार अहमद , चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अबदुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फीलाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइयाजी)
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री

गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरीशंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्रभूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजमान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम मास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भँसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुल बारी, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज" श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री

बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाँडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री

राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमदखां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद , श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रम मन्त्री, श्री कान्ति कुमार भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

(बृहस्पतिवार, 24 मई, 1979)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ट्रांसफार्मरों की खरीद

**1—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रति वर्ष 20 हजार ट्रांसफार्मरों की खरीद विद्युत् परिषद् द्वारा अबतक होती रही है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि सन् 1979–80 में 60 (साठ) हजार ट्रांसफार्मरों की खरीद का आर्डर दिया जा रहा है? क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि परिषद् ने अपने अधीनस्थ फील्ड अधिकारियों को आदेश दिया है कि उतना ही सामान खरीदा जाय जिसकी खपत तीन माह में हो जाय ?

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

जी नहीं, यह सही नहीं है। पिछले तीन वर्षों में खरीदे गये विभिन्न श्रेणियों के ट्रांसफार्मरों की संख्या भिन्न-भिन्न रही है। वर्ष 1979–80 में खरीदे जाने वाले ट्रांसफार्मरों की संख्या का निश्चय अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी वर्ष 1978–79 में हुए इस अनुभव के कारण कि आर्डर दिये गये ट्रांसफार्मर अनेक कारणों से पूरी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाये यह निर्णय लिया गया कि 11/0.4 के0 वी0 100 के0 बी0ए0 तक के ट्रांसफार्मरों (जिनकी खपत अधिक होती है) का क्रय दो वर्षों (1979–80 एवं 1980–81) की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाये। तदनुसार जारी की गयी निविदा में क्रय हेतु ट्रांसफार्मरों की संख्या उल्लिखित की गयी थी—

25 के वी ए	..	..	30,000
63 के वी ए	..	..	30,000
100 के वी	..	..	6,000
		कुल ..	66,000

इस सम्बध में उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विद्युतीकरण एवं राजकीय तथा निजी नलकूपों के उर्जीकरण के प्रतिवर्ष बढ़ते हुए लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये ट्रांसफार्मरों एवं अन्य आवश्यक साज सामान की भी अधिकाधिक मात्रा का क्रय अनिवार्य है।

अधिकांश सामान का क्रय प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार केन्द्रीय स्तर पर किया जाता है। किन्तु कभी-कभी इनमें से कुछ सामानों की अचानक स्थानीय रूप से आवश्यकता अनुभव होने पर एवं सामान की कमी से कार्य में बाधा न पड़ने देने के लिये परिषद् ने अपने क्षत्रीय अधिकारियों को यह अधिकार दिये है कि वे तीन मास की आवश्यकता के अनुरूप सामान का क्रय कर सकते हैं जो सामान केन्द्रीय स्तर पर क्रय किये जाते हैं उन पर उपरोक्त तीन माह की आवश्यकता का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री राम अधार—

मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1978–79 में कितने ट्रांसफार्मर और कितनी-कितनी के0 वी0 ए0 के खरीदे गये थे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

16,750।

श्री राम अधार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसफार्मर्स का जो आर्डर निविदा में क्रय करने का 66,000 का दिया गया हैं, यह समझ कर दिया गया है कि वर्ष 1978–79 में विद्युत् परिषद् को उपलब्ध नहीं हुए थे, तो बताने की कृपा करें कि वर्ष 1979–80 तथा 1980–81 में कितने ट्रांसफार्मर लेने की योजना है? दूसरे क्या कारण थे कि ये ट्रांसफार्मर्स गत वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाये ?

श्री रेवती रमण सिंह—

इसमें अनेक कारण हो जाते हैं। आर्डर देने के बाद बहुधा यह देखा गया है कि सामान निश्चित समय से सप्लायर्स नहीं दे पाते हैं और जब सामान नहीं पहुंच पाता है, तो हमारी योजनायें पीछे हट जाती हैं। उसमें कई कारण आते हैं, जैसे कन्डक्टर्स की कमी और भी तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे लेबर प्रोब्लम। इसके अलावा उनकी सीमित क्षमता भी होती है, जिससे एक समय पर सारा सामान नहीं पहुंच पाता है। इन सब चीजों को देखते हुए 5 माह का समय लग जाता है, हमारे टेन्डर्स को फाइनालाइज करने में। इन दिक्कतों को देखते हुए हमने 2 वर्ष के लिये किया है और मैं माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करता हूं कि ये 66,000 ट्रांसफार्मर्स नहीं खरीदे, बल्कि जो टैन्डर्स फाइनालाइज किया जा रहा है, वह 25,000 का 2 साल के लिए किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है 50,000 निजी ट्यूबवैल्स और 1,500 सरकारी ट्यूबवेल्स और ग्रामों के विद्युतीकरण तथा हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की योजना को भी हमने बढ़ाया है। इस सब के लिये हमारी आवश्यकता बढ़ी है और उसी को ध्यान में रखते हुए यह टेन्डर मंगाये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह जो 66 हजार ट्रांसफार्मर की बात मंत्री जी ने बतायी इसमें से रूरल एरिया के लिये कितने होंगे और अरबन के लिये कितने ?

श्री रेवती रमण सिंह—

इसमें रूरल या अरबन का कोई सवाल नहीं है, वह जो हमारी योजना में ग्रामों में विद्युतीकरण की, हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की तथा कल-कारखानों की है, उसमें सब के लिये है। 1979–80 में 50 हजार प्राइवेट नलकूपों को बिजली देना है, करीब 5 हजार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करना है, लगभग 15,00 सरकारी नलकूपों को बिजली देना है, कल-कारखानों को देना है, अब यह बताना मुश्किल है कि कितने कहां-कहां लगेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

पिछले वर्ष किन-किन कम्पनीज से यह ट्रांसफार्मर खरीदे गये और इस साल किस कम्पनी से खरीदे जायेंगे तथा जिनसे खरीदे गये हैं, उनमें कितनी कम्पनीज प्रदेश के बाहर की हैं और कितनी प्रदेश के अन्दर की हैं और उनके अलग-अलग रेट्स क्या-क्या हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

यह तो सूचना इस समय नहीं है कि पिछले साल किन-किन कम्पनीज को दिये गये, लेकिन इस साल के टेन्डर अभी फाइनालाइज नहीं हुए हैं। हमने यह ताईद कर दी है कि कम से कम 80 फीसदी ट्रांसफार्मर्स प्रदेश की कम्पनीज से ही खरीदे जायें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

रेट्स के बारे में मंत्री जी ने बताया कि उनके पास सूचना नहीं है, तो जो टेन्डर कन्सीडर कर रहे हैं वे किस आधार पर कर रहे हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सेन्ट्रल परचेज कमेटी सबसे न्यूनतम रेट वाले टेन्डर पर विचार करती है साथ ही जो माल पिछले साल आया है, उसमें उनकी परफार्मेन्स भी देखी जाती है। इनको देख कर ही टेन्डर फाइनालाइज किये जाते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

1978–79 में क्या जी0 ई0 सी0 ट्रांन्सफार्मर्स भी खरीदे गये हैं और यदि हाँ, तो कितने तथा उनमें से कितने खराब हो गये ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो प्रश्न है वह जो ट्रांसफार्मर खरीदे जाने वाले हैं, उनके बारे में है, जो खरीदे जा चुके, उनके बारे में नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जबाव दिया है, उनके जबाव से संबंधित प्रश्न है कि इसमें जो 16 हजार ट्रांसफार्मर खरीदे गये, उन 16 हजार ट्रान्सफार्मर्स में से, मैं पूछ रहा हूं कि कितने जी0 ई0 सी0 के हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

किस आधार पर केवल 25 हजार लेने की बात उन्होंने कही है ? साथ ही साथ यह बता दें कि 1978–79 में कितने आर्डर दिये गये और कितने इनको मिले ? क्या बात यह सही नहीं है कि इनकी ही पुस्तिका में जो उन्होंने दिया है, जिस पर आज विवाद होगा, बात यह है कि ट्रांसफारमरों की उतनी जरूरत ही इनको नहीं पड़ी, जितनी की इन्होंने माँग की थी, क्योंकि इन्होंने अपना लक्ष्य पूरा ही नहीं किया, इन्होंने लिया ही नहीं ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जो बजट वाली बात है, मनानीय श्यामधर जी बजट पर बोलेंगे, उस समय इसका जबाव दे दिया जायगा । जहाँ तक ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता की बात है, मान लीजिए अगर लक्ष्य पूरा न हुआ हो, किसी कारण से, इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि हम आगे के लिए नया आर्डर प्लेस ही नहीं करेंगे और उसी के साथ-साथ जो 25 हजार ट्रांसफार्मर हमने रखा है, क्या लक्ष्य है इसका, इसके बारे में दो बार निवेदन किया है, 66 हजार हमने माँगा है, माँगने का मतलब यह नहीं कि 66 हजार हम फाइनल ही कर रहे हैं। हमने यह फारमाया कि केवल 25 हजार ट्रांसफारमरों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और उसी को हम फाइनालाइज करने जा रहे हैं।

श्री श्याम घर मिश्र—

मान्यवर, 66 हजार का आर्डर प्लेस है और कहते हैं 25 हजार लिया जायगा ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं ।

चिकित्सा स्नातकों की गांवों में अनिवार्य सेवा किये जाने की मांग

**2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री सन्तबख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या यह सही है कि सरकार ने नये चिकित्सा स्नातकों के लिये गाँवों में सेवा करना अनिवार्य करने के विषय पर निर्णय ले लिया है ? यदि हाँ, तो यह कब से लागू हो जायेगा और इसकी रूप-रेखा क्या होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह एक व्यापक नीति विषयक प्रश्न है जिस पर भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं भारत सरकार के स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज सरकारों को भी उल्लिखित विषयों पर व्यवस्था करने का अधिकार है ? यदि हाँ, तो कार्यक्रम गाँव चलो और गाँधीवाद के अनुरूप होते हुए भी इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, यह जो हमारे यहाँ भारतीय चिकित्सा परिषद् है, इसके कोर्स के जरिये से ही निर्धारित होता है। अगर सवाल इनका नौकरी से संबंधित है, तो नौकरी के सवाल में तो उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है ही और उसमें यह लगा रखा है परिषद्, डाक्टर के लिये, पहली दक्षता रोक पार करने के लिए दो वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से कार्य करना पड़ेगा। माननीय सदस्य का जो चिकित्सा का सवाल है, जो स्नातक पास नहीं है, उनके संबंध में है, तो उनके संबंध में कुछ नीति अभी निर्धारित हुई है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो मैं जानकारी दे सकता हूं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट का जो प्रश्न है, जो उसके बाद पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हों, उसमें भारतीय चिकित्सा परिषद् जो है, उस पर विचार कर रही है। लेकिन स्नातक स्तर की बात हो, तो मैं बता सकता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने किसी नीति को लागू किया है ? उसका विवरण बता दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सवाल है, वह विचाराधीन है भारत सरकार और चिकित्सा परिषद् के। स्नातक तक की शिक्षा में लगभग निश्चित हो चुका है कि परिवीक्षा काल के दौरान ग्रामीण अंचलों में कम के कम 8 सप्ताह के लिए तैनाती हो। इसलिए प्रत्येक मेडिकल सेन्टर को पी0 एच0 सी0 एलाट की जा रही है और प्रत्येक मेडिकल कालेज को हास्टल आदि बनाने के लिए 4.97 लाख का प्राविधान भी किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

उत्तर है कि उनके लिए अनिवार्य है कि 2 साल तक ग्रामीण अंचलों में कार्य करें, तो नौसिखिये पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो अनिवार्य सेवा रख रखी है, उसमें तजुर्बा क्या है डाक्टरों का ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दक्षता ोक के संबंध में, पहली ोक पार करने के लिए पहले 2 साल तक ग्रामीण अंचलों में सेवा करनी ड़ेगी और पर्वतीय क्षेत्र में एक वर्ष और फिर 2 बर्ष। इसी तरह से ग्रामीण अंचलों में सेवा करनी पड़ेगी।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

इस प्रकार जो नियुक्तियाँ की गई ैं गत वर्ष में, उन नियमों का कितने व्यक्तियों ने पालन किया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ग्रामीण सेवा के संबंध में जो बात कही गई है, उसमें सेवा में तो रख ी लिया जाता है दक्षता रोक पार करने के लिए 2 वर्ष ग्रामीण अं लों में जाने का सवाल है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट नहीं आते हैं। उन्होंने केवल यह पूछा है चिकित्सा स्नातकों के लिए गाँवों में सेवा करना अनिवार्य करने के विषय पर निर्णय ले लिया है? यदि हाँ, तो वह कब से लागू हो जायेगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी? यह विषय चिकित्सा परिषद् और भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है। राज्य ने क्या ऐसा कोई नियम बनाया है, इसका उत्तर आप दिलवा दीजिये?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसमें गाँव की सेवा का संबंध नहीं है। चिकित्सा स्नातक तो बहुत ऐसे होते हैं, जो किसी सेवा में जाते नहीं। जो स्नातक की शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको ग्रामीण अंचलों में सेवा करने का मौका प्राप्त हो और वहाँ की परिस्थितियों को जान सकें इसके लिए शिक्षा के ही माध्यम से उसके बाद ट्रेनिंग दी जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर के संबंध में यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में डाक्टर भेजे जाते हैं जिससे गाँव वालों को भी चिकित्सा की सुविधा मिले। इसके लिये सरकार द्वारा दक्षता रोक पार करने के लिये या प्रशिक्षण हेतु जो भी व्यवस्था की गयी है, इसके द्वारा अधकचरे डाक्टरों की ही व्यवस्था हो पाई है, इसके बावजूद भी पूरी संख्या में गाँव में डाक्टर नहीं है। गाँव में या पर्वतीय अंचलों में जो डाक्टर काम करने जायेंगे, क्या सरकार उनके लिये कोई विशेष सुविधा की व्यवस्था करेगी, जिससे गाँव में और पर्वतीय अंचलों में जाने के लिये डाक्टर स्वयं इच्छुक हों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसी कोई व्यवस्था शासन के विचाराधीन नहीं है। जैसा कि मैंने निवेदन किया 600 नियुक्तियाँ शासन के विचाराधीन हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये 74 से 77 तक इन्टरव्यू किये गये थे जिसकी लिस्ट सन् 78 में शासन को प्राप्त हुई है। इसके लिये माननीय सदस्य ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की थी कि जो डाक्टर सर्विस में है, उनका क्या होगा। यह 600 रिक्तियाँ इसी कारण पड़ी हुई हैं। जून तक यह भर दी जायेंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था गाँवों में की जा रही है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में कहा गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन नहीं है, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्र में देहाती क्षेत्र में डाक्टर भेजे जाने के लिये उनको कोई विशेष सुविधा दे दी जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ऐसा क्यों नहीं है?

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में चिकित्सालयों की जो हालत है, वह बहुत खराब है। बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, दवा भी नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन डाक्टरों को सेवा करने के लिये भेजा जाता है, उनको डाक्टरी का काम भी दिया जाता है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह जो डाक्टरों के लिये न्यूनतम योग्यता है, यह क्या स्वास्थ्य मंत्री के लिये भी लागू होगी?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

उन्नाव जिले में टाउन एरिया के उप विधियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन

*1—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह जानकारी है कि टाउन एरिया ऐक्ट के अनुसार उप विधियों का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में ही प्रकाशित करने का प्राविधान है? क्या यह सही है कि उन्नाव जनपद में उक्त नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

टाउन एरिया ऐक्ट की धारा 15-क की उपधारा 2 के अधीन बनाये गये उप विधियों का प्रकाशन धारा 15-क (3) के अधीन विज्ञप्ति संख्या 680 टी/9-79-टी-50, दिनाँक 20 जुलाई, 1950 जो नगर क्षेत्र नियमिका 1959 है, पृष्ठ संख्या 216 तथा 217 पर छपी है, के अनुसार किसी स्थानीय समाचार पत्र में (यदि कोई हो) प्रकाशित किये जाने का प्राविधान है। उन्नाव जनपद के सभी नगर क्षेत्र के उप नियमों को इसी के अनुसार प्रकाशित किये गये है और नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कोई उल्लंघन नियमों का नहीं किया गया है। यह निश्चित बात है कि कई पत्रों में नियमों का उल्लंघन करके उप विधियाँ प्रकाशित कराई गयीं हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नगर क्षेत्र की उपविधियों का प्रकाशन स्थानीय क्षेत्र की उपेक्षा करते हुये अन्य पत्रों में किया गया?

श्री क्रान्ति कुमार—

यदि माननीय सदस्य जानना चाहें, तो मेरे पास पूरी सूची है कि किन-किन समाचार पत्रों से कहां-कहां की उप विधि प्रकाशित करायी गई—

नगर क्षेत्र गंगाघाट	साप्ताहिक अपराजित
नगर क्षेत्र पुरवा	साप्ताहिक अधिनायक
नगर क्षेत्र मौरावाँ	साप्ताहिक अधिनायक
नगर क्षेत्र भगवन्तनगर	साप्ताहिक अधिनायक
नगर क्षेत्र बीघापुर	साप्ताहिक अधिनायक
नगर क्षेत्र सफीपुर	दैनिक अवध एक्सप्रेस
नगर क्षेत्र गंजमुरादाबाद	दैनिक अवध एक्सप्रेस
नगर क्षेत्र कुरसठ	साप्ताहिक अधिनायक
नगर क्षेत्र फतेहपुर-चौरासी	दैनिक रणस्थली
नगर क्षेत्र नबावगंज	उन्नाव टाइम्स
नगर क्षेत्र न्योतनी	साप्ताहिक अपराजित, दैनिक रणस्थली
नगर क्षेत्र मोहान	साप्ताहिक अधिनायक
नगर क्षेत्र औरास	साप्ताहिक अपराजित
नगर क्षेत्र हैदराबाद	साप्ताहिक अधिनायक, दैनिक अवध एक्सप्रेस

नगर क्षेत्र रसूलाबाद तथा अगू में कोई उप विधियाँ अभी नहीं बनी हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, मैंने कहा था कि क्या मंत्री जी इस बात की जाँच करायेंगे कि यह जो आपने समाचार पत्रों की सूची दी है इसके अतिरिक्त कानपुर के किसी दैनिक में इन उपविधियों का प्रकाशन कराया गया है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

माननीय सदस्य बता दें, मैं जाँच करा लूंगा।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मुझे जानका ी है मैं मंत्री जी को वह अंक दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजियेगा।

[दिनाँक 24 मई, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले के ग्राम बिशुनपुरा में शिशु की इन्सेफिलाइटस से मृत्यु

*1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद में बिशुनपुरा विकास खंड के ग्राम सहोदर पट्टी के गरीब हरिजन मोतीलाल का एक वर्षीय शिशु इन्सेफिलाइटिस से 2 अप्रैल, 1979 को मर गया ? क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिशुनपुरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी श्री शशिनाथ प्रसाद श्रीवास्तव ने उक्त रोगी की देखभाल नहीं की ? यदि हाँ, तो अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री रमा शंकर कौशिक)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर तथा गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ में विचाराधीन नेत्र स्थान की स्थापना

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सीतापुर तथा अलीगढ़ के नेत्र चिकित्सालयों को नेत्र संस्थान के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उसके गठन तथा प्रबन्ध का स्वरूप क्या होगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दृष्टि विकार एवं दृष्टि विहीनता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर तथा गाँधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ की वर्तमान शैय्याओं में से 250 शैय्याओं को उपलब्ध करके तथा अतिरिक्त स्टाफ तथा साज-सज्जा की व्यवस्था करके उनमें क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है। संस्थान नेत्र रोग के निदान हेतु प्रशिक्षण एवं शोध कार्य के अतिरिक्त विशिष्ट चिकित्सा की व्यवस्था करेगा जिसमें अन्य अस्पतालों से नेत्र रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा हेतु भेजा जायेगा। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान एक प्रबन्ध समिति के नियंत्रण में कार्य करेगा जिसमें भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि, प्रदेश सरकार के 3 सदस्य, संस्थान के 2 सदस्य, सम्बन्धित विश्वविद्यालय के 2 सदस्य, ट्रस्ट के अध्यक्ष, ट्रस्ट के सचिव तथा ट्रस्ट द्वारा नामांकित 1 सदस्य होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात का ध्यान रखते हुए कि अब तक का यह अनुभव है कि जो संस्थान सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सालय है, तो इस चिकित्सालय की 250 शैय्याओं को अलग लेकर सरकारी नियंत्रण में चलाने का क्या कारण है? इसी अस्पताल के माध्यम से यह विशेष कार्य न कराने का क्या कारण है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह भारत सरकार की योजना के तहत हो रहा है। भारत सरकार ने कुल 6 ऐसे नेत्र चिकित्सालयों में नेत्र संस्थान बनाने का फैसला किया है। इसमें से सौभाग्य है कि 2 संस्थान हमको प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन संस्थानों के जरिये जो हमारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं होगी, वरन् यह संस्थान बनना चाहिये और इससे चिकित्सा सुविधाओं में गति आयेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, विशेष व्यवस्था के साथ चिकित्सालय चल रहा है, अब केन्द्र ने यह व्यवस्था की है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भारत सरकार को सुझाव देंगे कि जो सुविधा प्राप्त हो रही है, वह इसी चिकित्सालय को देकर काम कराया जाय।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि इससे और गतिशीलता आयेगी काम को चलाने में। वहाँ जो डाक्टर हैं वह तो रहेंगें उसके अतिरिक्त जितनी आवश्यकता होगी उसमें 10, 10 लाख रुपये भारत सरकार देने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी आर्थिक सहायता देगी 7 लाख रुपये के हिसाब से। इससे गतिशीलता आयेगी। जो डाक्टर वहाँ हैं, वह तो रहेंगे। इसमें कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है कि उन डाक्टरों की सेवाओं को नहीं लिया जायगा। उन डाक्टरों की सेवायें ली जायेगी, कुछ और सुविधायें देकर काम को गतिशील बनाया जायगा।

बस्ती जिले के चिलमा बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

*3—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि आगामी 1979–80 के बजट में बस्ती जिले के अन्दर विकास क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत चिलमा बाजार में एक एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी से रिपोर्ट (संस्तुति) प्राप्त कर ली है? यदि हाँ, तो उसकी घोषणा करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। अपनी रिपोर्ट में मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती ने प्रश्नगत स्थान पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की संस्तुति की है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (1979–80) के आय-व्ययक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के होते हुए उसी विकास खण्ड में द्वितीय प्राथमिक केन्द्र स्थापित करने की कोई परियोजना सम्मिलित न होने के कारण तद्विषयक घोषणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ नगर के पतौरागंज शमशान घाट के बन्द करने के विरूद्ध शिकायती-पत्र

*4—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 25 जनवरी, 1979 को जनपद लखनऊ शहर के विभिन्न मुहल्लों के निवासियों का निरालानगर में स्थित पतौरागंज हिन्दुओं के प्राचीन शमशान घाट को नष्ट न करने के विषय में नगरमहापालिका के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध शासन को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उसकी जाँच

किस अधिकारी द्वारा कराई गई है और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

जी हाँ ।

पतौरागंज शमशान को निराला नगर कालोनी में आवादी के बीच में आ जाने के कारण उसे बन्द करना आवश्यक था। उक्त शमशान के लिए एक वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह शमशान घाट की जो वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है, उसकी भूमि कहाँ और कितनी है तथा कानूनी तौर से आरक्षित की गयी है कि नहीं ? दूसरा प्रश्न जो स्वास्थ्य अधिकारी नगर महापालिका, लखनऊ के हैं, जिनके निवास के पास शमशान था, जिसके कारण इस शमशान को पार्क बनाया जा रहा है। इसलिये इस शमशान को हटाने में उनकी साजिश है, यह मेरी जानकारी है।

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, निवेदन है कि फिलहाल जो व्यवस्था है उसको चलाने के वास्ते शवों को जलाने के लिये मशालची टोला गोमती के किनारे और शवों को गाड़ने के लिये सीतापुर रेलवे लाईन के पीछे कबीर मंदिर के पीछे जगह चुना है। शमशान घाट को हटाने की बात इसलिये हुई कि निरालानगर में स्थित पतौरागंज आबादी के मध्य में है। इसलिये वहाँ शवों को गाड़ना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिये निरालानगर ऐसोसियेशन ने उसको हटाने का अनुरोध किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र 10 जनवरी, 1979 को प्राप्त हुआ, जिसमें अपमानजनक हिन्दू धर्म के खिलाफ कीचड़ उछाला गया ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही उनके विरुद्ध की गयी ? शमशान घाट का अधिग्रहण करने का अधिकार क्या शासन को है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जिस शिकायती पत्र की आप चर्चा कर रहे हैं क्या उसका इस से संबंध है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, 10 तारीख को शिकायती पत्र भेजा गया था, जिसमें शिकायत थी कि हिन्दू धर्म के खिलाफ कीचड़बाजी करते हुए तमाम बातें अधिकारी ने कही हैं।

श्री क्रांति कुमार—

दोनों प्रकार के पत्र प्राप्त हुए हैं । निरालानगर एसोसियेशन ने शमशान घाट को हटाने और अन्य नागरिकों ने भी उसके हटाने के संबंध में पत्र दिये हैं। नगरमहापालिका ने अपने दिनाँक 21-12-78 के पत्र द्वारा शमशान घाट को बंद किये जाने का अनुरोध किया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, बस्ती में शमशान घाट नहीं होना चाहिये, यह ठीक है । लेकिन लखनऊ में आवादी बढ़ती जा रही है इसलिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ क्षेत्र के लिये कोई विद्युत् चालित शमशान घाट बनाने की योजना उनकी है ?

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, अभी कोई योजना नहीं है ।

श्री मित्र सेन—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या शमशान की भूमि को सरकार अधिग्रहण कर सकती है ? यदि हाँ, तो वह किस नियम के अनुसार ?

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, शमशान घाट की भूमि का अधिग्रहण यह कर चुके हैं लेकिन इनको पता नहीं है कि किस नियम के अन्तर्गत वह किया है ।

गोरखपुर जिला अस्पताल की दवाओं का परीक्षण हेतु लिया गया नमूना

*5—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिला अस्पताल में 7 अप्रैल, 1979 को कुछ दवाओं को जाँच के लिये सील किया गया ? क्या दवाओं की जाँच करा ली गई कि नहीं ; यदि हाँ, तो जाँच से क्या स्पष्ट हुआ ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

गोरखपुर जिला अस्पताल के औषधि भंडार की 11 दवाओं को 7 अप्रैल, 1979 को स्टीन सैम्पलिंग में जाँच के लिए निकाला गया तथा एक अन्य औषधि हेमासूल नामक कैप-सूल के संबंध में प्राप्त शिकायत पर उसे सील कर उसका प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया। सभी दवाओं के नमूने परीक्षण हेतु जन विश्लेषक, उत्तर प्रदेश को विश्लेषण हेतु भेज दिये गये हैं और उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

मान्यवर, जो प्रश्न का उत्तर दिया है, उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि कुछ दवाओं के संबंध में 22 मई को रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत दवायें गोरखपुर अस्पताल में केन्द्रीय भण्डार से खरीदी गयीं या वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने वहीं से खरीदा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इसके लिये दो ही प्रक्रियायें हैं—दवायें यहाँ से भी जाती हैं और 40 प्रतिशत उनको भी खरीदने की छूट रहती है और इसलिये जरूरी नहीं है कि सब दवायें यहीं से जाती हों। आवश्यकतानुसार वे खरीद सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह दवाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि जो 7 या 11 दवायें है, वे लखनऊ की किसी कम्पनी से परचेज की गयीं या लोकली परचेज की गयी हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसका क्या विवरण है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? उन फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो 11 दवायें विश्लेषक को भेजी गयी थीं, उनमें से 5 के संबंध में सूचना आ गयी है। इनमें जो 4 के संबंध में सूचना है, उसके अनुसार ये चार दवायें स्टैन्डर्ड पायी गयी हैं और जो पाँचवीं के सम्बन्ध में, जिसको हेमासूल कहते है, सूचना है उसमें यह कहा गया है कि

उसमें निर्धारित मात्रा से 20प्रतिशत विटामिन सी की कमी पायी गयी है ।आयरन बी काम्पलेक्स और दूसरी चीजें तो ठीक पायी गयी हैं,लेकिन जो विटामिन सी का स्टैन्डर्ड है,उसमें 20प्रतिशत कमी पायी गयी। इसके लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन दवाओं के बारे में शिकायत की गयी है और जो सैम्पुल लेने के लिये सील की गयी थीं, क्या उन्हीं में से यह दवा है कि जिसमें 20 प्रतिशत विटामिन सी की कमी पायी गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह हेमासूल नामक कैपसूल जिसमें कि 20 प्रतिशत विटामिन सी की कमी पायी गयी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी–

माननीय मंत्री जी ने , मान्यवर, बताया कि हेमासूल कैपसूल में 20 प्रतिशत विटामिन सी की कमी पायी गयी है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसको कौन कम्पनी बनाती है और किस कम्पनी से सरकार खरीदती है और कितनी मात्रा में ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह यूडीमेक्स नामक फरीदाबाद की कम्पनी है। यह रजिस्टर्ड कम्पनी है। इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कितना स्टाक खरीदा था और उसको क्या करने जा रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के समस्त अस्पतालों में उस कम्पनी की बनी हुई हेमासूल कैपसूल को प्रयोग न करने के संबंध में आदेश पारित किया है और क्या उस कम्पनी के लाइसेंस को निलम्बित करने के संबंध में चिट्ठी किसी अधिकारी को या फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखी है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि उसके संबंध में कानूनी कार्यवाही की जा रही ह ताकि उसका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल हो, उसको सजा मिले। सिर्फ कानूनी कार्यवाही ही तो की जा सकती है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में समस्त अस्पतालों में इस तरह का आदेश दिया है कि उक्त फर्म की बनी हेमासूल कैपसूल का इस्तेमाल न किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उत्तर दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस कैपसूल का प्रयोग न किया जाए, इस तरह के आदेश जारी किये गये हैं ? यह साफ बता दें ?

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मंत्री जी आदेश पढ़कर सुना दें ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यबर, जैसा मैंन निवेदन किया कि हेमासूल कैपसूल के सम्बन्ध में जो विश्लेषक की जाँच रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार उसमें विटामिन 'सी' की कमी बताई गई। इससे जनजीवन के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसमें विटामिन 'सी' की कमी से जनजीवन को कोई खतरा नहीं है । ऐसे सब स्टैण्डर्ड कैपसूल को दूसरे अस्पतालों में निषिद्ध करने में इनको क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जबाव तो देने दीजिये । निर्देश तो यहाँ से होगा । अगर जबाव साफ नहीं होगा; तो साफ कराया जाएगा । आप सीधे उन पर काहे जोर डाल रहे हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस हेमासूल के संबंध में ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि इनका प्रयोग न किया जाए और न गये होंगे, तो वे तत्काल जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह साफ-साफ सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो जाने के कारण व्यवधान)

(श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा सदन के बीचों-बीच आकर बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें, तभी तो वे उत्तर देंगे । एक साथ 20–25 सदस्य खड़े हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप एक मर्तबे यह उत्तर देते हैं कि आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं । दूसरी मर्तबे आप यह जबाव देते हैं कि अगर नहीं जारी हुए हैं, तो जारी कर दिये जायेंगे, यह तो कोई निश्चित उत्तर नहीं हुआ ।

श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा को सदन से निलम्बित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मंजूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कालरा कृपया अपनी सीट पर आयें । कृपया अपनी सीट पर आयें । (श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा सदन के बीचोबीच बैठे रहे) श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा कृपया सदन छोड़ें। मैं आप दोनों को इंगित करता हूं । मैं श्री मंजूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा को इंगित करता हूं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन दोनों माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री मंजूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा दोनों सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

श्री मंजूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा सिन्धु को सदन से हटा दिया जाय। मार्शल, कृपया इन्हें सदन से हटायें।

(मार्शल दोनों सदस्यों को सदन से बाहर ले गये।)

(श्री मंजूर अहमद द्वारा मुख्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाये गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप अपना उत्तर स्पष्ट कर दें

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झाँसी)---

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष---

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री रमा शंकर कौशिक---

मान्यवर, यह मेरी जानकारी में है कि हेमासूल नामक कैपसूल को इस्तेमाल न करने के आदेश चले गये हैं। मेरी जानकारी में यह है। पूर्ण जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि ऐसे आदेश नहीं गये हैं तो तत्काल जारी कर दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी सूचना आप अगले सप्ताह में दे देंगे।

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर)

मैंने कह दिया कि इसकी सूचना वह अगले सप्ताह सदन को दे देंगे।

पिंडरा, जिला वाराणसी के अस्पताल का विस्तार किये जाने की मांग

*6---श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल, पिंडरा ब्लाक पिंड़रा, जिला वाराणसी को 50 शैय्या का अस्पताल बनाने तथा बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना है? क्या प्रश्न कर्त्ता ने एक पत्र इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को 13 फरवरी, 1979 को लिखा था? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या किया गया?

श्री रमा शंकर कौशिक---

जी नहीं। इस प्रकार की कोई योजना अभी शासन के विचाराधीन नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का दिनाँक 13 फरवरी, 1979 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है, किन्तु धनाभाव के कारण उनके सुझावों को कार्यान्वित करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के कर्मचारियों का वेतन

*7---श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के चूड़ी के पकाई भट्ठी श्रमिक पुरईया और चूड़ी की कटिंग फैक्टरी में कार्यरत चूड़ी करैइया और फैक्ट्री के जुड़ाई का वेतन न्यूनतम वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप है? यदि

नोट---[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार चूड़ी मजदूरों के वेतन के निर्धारण हेतु एक कमीशन गठित करेगी ?

श्री क्रान्ति कुमार—

काँच की चूड़ी बनाने के उद्योग में सेवायोजित विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की अनुशंसा के लिए राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1972 में एक समिति नियुक्ति की ग थी। उक्त समिति की अनुशंसा को दृष्टि में रखते हुए दिसम्बर, 1973 में राज्य सरकार द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एक प्रस्ताव आपत्तियों एवं सुझावों के लिये प्रकाशित किया गया था। प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के उपरान्त इस उद्योग के कर्मचारियों के लिए प्रथम बार मजदूरी दरें निर्धारित की गई।

पकाई मट्ठो श्रमिक, परइया और (चूड़ी) कटैइया की निर्धारित मजदूरी दरें उक्त समिति की अनुशंसा के अनुरूप ही रखी गई थी। जुड़इयों के सम्बन्ध में समिति ने कोई संस्तुति नहीं की थी।

तदोपरान्त चूड़ी उद्योग के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच समय-समय पर हुए समझौते द्वारा मजदूरी दरों का पुनरीक्षण हुआ है। इनमें से कुछ आपसी समझौते जुड़इया मजदूरों [जिनके द्वारा जुड़ाई का कार्य बहुधा अपने घरों पर (अड्डों) पर किया जाता है] को आवृत्त करते हैं।

चूड़ी उद्योग में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के मामले में विचार करके निर्णय लिया जायगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या सरकार यह बतलायेगी और यह आश्वासन देगी कि वह चूड़ी मजदूरों के वेतन के निर्धारण हेतु एक समिति का तत्काल गठन करेगी ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मैंने निवेदन किया कि यह मामला विचाराधीन है और एक कमेटी बनाने पर विचार हो रहा है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी चूड़ी मजदूरों के वेतन का निर्धारण करने हेतु एक समिति का गठन करेंगे, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट आश्वासन आना चाहिये ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मैंने उत्तर दिया कि समिति नियुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मिनिमम वेजेज कमेटी 72 में बनी तथा 73 में यानी साल भर में प्रोपोजल्स को प्रकाशित किया गया, तो यह जो दुबारा मिनिमम वेजेज कमेटी माननीय मंत्री जी बनाने जा रहे हैं, तो क्या आप उसमें समय की पाबन्दी रखेंगे कि इतने समय के अन्दर संस्तुति दे दें ?

श्री क्रान्ति कुमार—

चूंकि यह पहली बार बनी थी और वैसी समिति अब अगर और बनेगी, तो शीघ्र ही रिपोर्ट प्रकाशित हो जायगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जुड़इया को कितना वेतन रोजाना मिलता है और 3 रुपये 50 पैसे में, उसका दो वक्त का गुजारा भी नहीं हो सकता और पुरईया को 2 रुपये 20 पैसे मिलते हैं, जिसमें उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो क्या न्यूनतम वेतन की पालिसी उन पर लागू नहीं होती है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

जहाँ तक उपरोक्त श्रमिकों को मिल रहे वास्तविक वेतन का प्रश्न है, चूड़ी पकाई भट्ठी श्रमिक, पुरैया आदि की वेतन दरें समय-समय पर आपसी समझौते द्वारा तय होती रहती हैं। यह दरें 100 तोड़े चूड़ी पकाई पर निर्धारित की जाती हैं। वर्तमान में पकइया 11.50पैसे प्रति सैकड़ा तोड़ा, चिनइया 5.50पैसे प्रति सैकड़ा तोड़ा एवं पुरैया 4.00 प्रति तोड़ा की दर से पाते हैं। इन दरों में दिनाँक 26-5-78 को श्री रघुबर दयाल वर्मा विधायक की अध्यक्षता में हुए समझौते के अनुसार बढ़ी हुई दरें भी शामिल हैं। चूड़ी पकाई का कार्य छः घंटों की पाली में होता है और एक कर्मचारी औसतन 125-150 तोड़े तक कार्य एक पाली में कर लेते हैं।

श्री मित्र सेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी प्रदेश में 5 रुपये है, तो इन चूड़ी मजदूरों को 5 रुपये दिलवाने में वह उस फैक्टरी को प्रतिबन्धित करने की कृपा करेंगे ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि किस प्रकार का काम है, किन कंडीशन्स में यह होता है उन सब पर विचार करने हेतु एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

बस्ती जिले के ककरहवा बाजार के अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति की मांग

*8—**श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के ककरहवा बाजार अस्पताल पर कब से डाक्टर नहीं है ? क्या सरकार कृपा कर उक्त अस्पताल पर डाक्टर नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जब तक ककरहवा में किसी डाक्टर की नियुक्ति न हो तब तक बर्डपुर स्वास्थ्य केन्द्र के एक डाक्टर पहले की तरह हफ्ते में एक रोज ककरहवा जाकर मरीजों को देख भाल करें ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जिला बस्ती के ककरहवा बाजार अस्पताल में लगभग गत तीन वर्षों से डाक्टर नहीं है।

उक्त अस्पताल में डाक्टर की व्यवस्था की जा रही है और तैनाती के आदेश शीघ्र ही प्रसारित कर दिये जायेंगे। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने वर्षों में आपके आदेश पारित हो जायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पिछले तीन वर्षों में 600 डाक्टरों की कमी हमारे विभाग में चल रही है और उसका कारण भी बताया गया था। मान्यवर, ये जितनी भी नियुक्तियाँ है, उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापन हो चुका है। 30 तारीख तक मैदानी अभ्यर्थियों के फार्म लिये जाने हैं और पहाड़ों के लिये पहले ही लिये जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि जून के महीने तक नियुक्ति हो जायेगी।

श्री अजीत सिंह सेठी—

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब तक आप विधिवत नियुक्ति नहीं कर लेते हैं तब तक दूसरे डाक्टरों की ड्यूटी वहाँ लगायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, डाक्टरों की जो रिक्तियाँ है, वह कहीं न कहीं तो रिक्ति हो ही जायेगी। किन्तु इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन के लिये डाक्टर वहाँ चला जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, 3 साल से लगातार वहाँ डाक्टर नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले 3 सालों में किसी अ पताल में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई और यदि की भी गई, तो सिफारिश के आधार पर वह रुकवा दी। क्या यह सही है? यदि मंत्री जी के पास सूचना न हो तो क्या वे सूचना मंगायेंगे? मान्यवर, हर जगह यही हो रहा हैं है। पहाड़ों में लगातार नियुक्तियाँ हो रही हैं, लेकिन मंत्री जी से सिफारिश करके वे अपनी नियुक्ति समाप्त कर देते है, जिससे वहाँ कोई डाक्टर नहीं जाता।

श्री उपाध्यक्ष--

यह पूछिये कि डाक्टर वहाँ गये या नहीं?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना सही हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 3 साल से वहाँ डाक्टर नहीं है और अब कहा है कि एक हफ्ते के लिये भेज देंगे। एक महीना इस सवाल को हो गया है, तो क्या 3 साल में वहाँ किसी डाक्टर की पोस्टिग हुई ही नहीं या वहाँ कोई गया ही नहीं? क्या वजह है कि वहाँ कोई डाक्टर नहीं गया?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने अपने जबाव में बता दिया है।

*9--श्री अशफाक अहमद खां--

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

विद्युत् निर्माण खण्ड, बुलन्दशहर के खुर्जा पम्प हाउस के लिये दिया गया पाइप का वर्क आर्डर

*10--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री अवधेश कुमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् निर्माण खंड जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 1977-78 में 220 के0 वी0 उप-स्थान खुर्जा के पम्प हाऊस के पानी निकालने के लिये एम0 एस0 पाइप का वर्क आर्डर 25 रुपये रनिंग फीट में किया है? यदि हाँ, तो अन्य उप खंड में क्या रेट लिया गया था और ये किस आधार पर स्वीकार किये गये?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हाँ।

सामान निर्दिष्टियों (Specifications) का कोई कार्य संबंधित खण्ड के किसी भी अन्य उपखण्ड में नहीं किया गया था। कार्य के लिए आमंत्रित कोटेशन के अन्तर्गत प्राप्त न्यूनतम दर पर वर्क आर्डर किया गया।

श्री हिम्मत सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोटेशन किस आधार पर माँगे गये थे? कितने कोटेशन आये और उनमें कितनी-कितनी रकमें लिखी गई थीं?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, 3 कोटेशन आये थे और उनमें से जो सबसे लोयेस्ट कोटेशन था, उसको स्वीकार (ऐक्सेप्ट) किया गया ।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैंने धनराशि पूछी है, उनमें अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि आयी थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रत्येक कोटेशन में कितनी-कितनी धनराशि आयी थी, यदि इसकी सूचना आपके पास हो तो वह बता दें ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जो प्राक्कलन समिति थी, जिसको यह कोटेशन दिया गया था, उसमें 15-6-78 को कोटेशन आमंत्रित किया गया था और इसका नोटिस यू0 पी0 सी0 सी0 द्वारा जितने ठेकेदार थे, सबसे माँगे गये थे। जिसका सबसे कम (25 प्रतिशत) कोटेशन था, उसका कोटेशन ऐक्सेप्ट किया गया ।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं पूछना चाहता कि हूं कितने कोटेशन आये । मुझे ज्ञात हुआ है कि दो या तीन कोटेशन आये, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने फुट के या गज के आये और किस रेट के आये ? मंत्री जी उत्तर गोल कर रहे हैं अन्य खंडों में 25 रु0 फुट के हिसाब से आये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*11—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लालदास—

[17-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 40 द्वारा उत्तरित)

आर० बी० लक्ष्मण दास शुगर एण्ड जनरल मिल्स, जरवल रोड, बहराइच के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*12—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जरवल बहराइच चीनी मिल में श्रमिकों को 5 मास से वेतन नहीं मिला तथा ओवर टाइम, ग्रेच्युटी, रिटेनिंग, भविष्य निधि आदि का भी बकाया है ? यदि हाँ, तो मजदूरों का वेतन तथा अन्य बकाये का भुगतान न किये जाने के कारण क्या है ? क्या श्रमिकों की ओर से जुलाई, 1978 से जनवरी, 1979 तक कोई ज्ञापन मिला था ? यदि हाँ, तो वह ज्ञापन क्या है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

सर्वश्री आर0 बी0 लक्ष्मण दास शुगर एण्ड जनरल मिल्स प्राइवेट लि0, जरवल रोड, बहराइच में श्रमिकों को 5 मास का वेतन नहीं मिला तथा ओवर टाइम, ग्रैच्युटी, रिटेनिंग, भविष्य निधि आदि का भी बकाया है। इसका कारण मिल की आर्थिक स्थिति खराब होना तथा धनाभाव का है । श्रमिकों की ओर से दिनाँक 4-7-78 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी प्रति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 546 पर)

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के विभागाध्यक्ष तथा भूतपूर्व चिकित्साधिकारी, डा० एम० ए० हक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरा के विरुद्ध शिकायती पत्र

*13—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के वर्तमान विभागाध्यक्ष, एस0 पी0 एम0 मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं भूतपूर्व प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरा (डा0 एम0 ए0 हक) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं राजाज्ञा उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का आरोप-पत्र दिनाँक 1 अगस्त, 1978 आदि की जाँच करा ली गयी ? यदि हाँ, तो उस जाँच रिपोर्ट पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा जाँच कराई गई। जाँच आख्या का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि शासन को हुई आर्थिक क्षति के संबंध में विस्तृत जाँच कराई जाय। तदनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशक को वरिष्ठ लेखाधिकारी से विस्तृत जाँच कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। जाँच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

*14—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित।]

मेडिकल कालेज, मेरठ की मरम्मत के विरुद्ध प्रतिवेदन

*15—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उपेन्द्र कुमार ठेकेदार ने मेडिकल कालेज, मेरठ में वार्षिक मरम्मत के सम्बन्ध में हुई धांधली के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन अप्रैल, सन् 1978 में शासन को दिया था तथा शासन ने इसकी जाँच सतर्कता विभाग से करायी थी ? क्या सतर्कता विभाग की रिपोर्ट शासन को मिल गई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में पाये गये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। प्रश्नगत प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुआ था, उसमें उल्लिखित आरोपों की छानबीन सतर्कता विभाग द्वारा करायी जा रही है जो अभी जारी है। अतः अभी किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका पलियाँ कलां, जिला खीरी के भूतपर्व अध्यक्ष, श्री रमेश चन्द्र गर्ग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 9 अप्रैल, 1979 को जनता पार्टी पलियाँ कला (खीरी) के माध्यम से नगरपालिका, पलियाँ कलाँ (खीरी) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र गर्ग के विरुद्ध पालिका के धन के गोलमाल, गबन, भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, खीरी को दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि उक्त श्री गर्ग के विरुद्ध अप्रैल, 1977 में तत्कालीन आयुक्त द्वारा की जाँच के कोई आदेश दिये गये ? यदि हाँ, तो वह जाँच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

जी हाँ, इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त परगनाधिकारी निघासन को जाँच करने एवं जाँच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निदेशित कर दिया गया है।

जी हाँ, कामरेड मोहन सिंह के शिकायती पत्र 5-4-1977 पर तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा जिला मजिस्ट्रेट खीरी को जाँच कराने के आदेश दिये गये थे। इसकी जाँच अतिरिक्त परगनाधिकारी निघासन द्वारा की गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष, सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सड़कों पर किये गये अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे के आरोप सही पाये गये। उनके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क पर मिट्टी डालने एवं सीलिंग करने से संबंधित आरोप पर जाँच आख्या स्पष्ट न होने के कारण मण्डलायुक्त, लखनऊ को पुनः जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमान्तर्गत क्षति पूर्ति की कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया गया है। जाँच में अन्य शिकायतें निराधार पाई गई।

*17—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित।]

*18—श्री जगन्नाथ सिंह —

[9-5-79 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

बदायूं नगर में पेयजल संकट सम्बन्धी पत्र

*19—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने बदायूं नगर में पीने के पानी के संकट के सम्बन्ध में कोई पत्र अप्रैल मास में शासन को भेजा ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामाधार पाँडेय—

जी हाँ।

बदायूं नगर के ऊंचाई पर स्थित जल आपूर्ति को नियंत्रित किया गया है।

नगर के चार नलकूपों में से केवल एक नलकूप का पम्पिग प्लान्ट 19-2-1979 से 11-4-79 तक खराब रहा जिसे ठीक करा दिया गया है जो दिनाँक 12 अप्रैल, 1979 से निरन्तर कार्य कर रहा है।

चतुर्थ नलकूप के 35 हार्स पावर के पम्पिग सेट को 80 हार्स पावर के पम्पिग सेट से बदला जा रहा है।

बदायूं पेयजल पुनर्गठन योजना प्रथम भाग प्रथम चरण जिसकी अनुमानित लागत 47.5 लाख रुपये हैं, का विरचन अप्रैल, 1979 में हो चुका है तथा इसको वित्तीय स्वीकृति भी जल निगम से अप्रैल, 1979 में प्राप्त हो चुकी है।

इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतया 2 शिरोपरि जलाशय तथा 5 नलकूपों का निर्माण सम्मिलित है। इस योजना के क्रियान्वयन से ऊंचे स्थानों पर पानी पहुंच सकेगा।

*20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त।]

*21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[6ठे गुरुवार के लिये स्थगित।]

बभनान बाजार, जिला बस्ती को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

*22—श्री ओम प्रकाश—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री ने बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में दिनाँक 10 मार्च, 1979 को बभनान की जनसभा में टाउन एरिया बनाने की घोषणा की थी ? यदि हाँ, तो उसकी विधिवत् घोषणा करके अन्य टाउन एरिया चुनावों के साथ बभनान बाजार टाउन एरिया के भी चुनाव कराने की घोषणा करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

दिनांक 10–3–79 को बस्ती जिले के बभनान बाजार में टाउन एरिया के सृजन की घोषणा नहीं की गयी थी बल्कि यह कहा गया था कि नियमानुसार प्रार्थना-पत्र आने और औपचारिकताएं पूरी होने पर टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

प्रश्नगत टाउन एरिया के सृजन की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। अतः स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के साथ यहाँ पर निर्वाचन कराने का प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों की चिकित्सा सुविधा की कथित बन्दी

*23–श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार विधायकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा को बन्द करने जा रही है? क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य आया है कि लगभग सम्पूर्ण वितरित होने वाली दवा का दसवाँ हिस्सा केवल विधायकों पर खर्च हो जाता है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

विद्युत् प्रसारण उपखण्ड, बुलन्दशहर द्वारा किया गया वर्क आर्डर के धनराशि का भुगतान

*24—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री अवधेश कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद विद्युत् प्रसारण उपखंड, बुलन्दशहर में 1977–78 में 132 के0 वी0 सब-स्टेशन, बुलन्दशहर में सिविल वर्क का कार्य कराया था और लगभग 40,000 के वर्क आर्डर किये थे? कार्य पूर्ण होने पर केवल 65 प्रतिशत भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो बाकी धन का भुगतान क्यों नहीं किया गया?

श्री रेवती रमण सिंह—

विद्युत् प्रसारण प्रथम उपखण्ड, बुलन्दशहर में वर्ष 1977–78 में 132 के0 वी0 सब स्टेशन, मूड़ (बुलन्दशहर) में सिविल वर्क कराया था।

उपरोक्त कार्यों के लिये छः वर्क आर्डर किये गये हैं जिनका सम्मिलित मूल्य रु0 43,406–50 था। छः वर्क आर्डर में से केवल चार वर्क आर्डर का जिनका सम्मिलित मूल्य रु0 28,657–00 था, कार्य पूरा किया गया है जिसके विरुद्ध रु0 18,710.10 का भुगतान (लगभग 65 प्रतिशत) किया गया है। इन चार वर्क आर्डर में विभिन्न कार्यों को दी गयी दरें अधिक होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा गया था जिस पर विचार किया जा रहा है। जाँच पूरी हो जाने पर बाकी धन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा।

विद्युत् वितरण खण्ड, ललितपुर में एस० एस० ओ० तथा लाइन मैन के चयन सूची का निरसन

*25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री गोकरन प्रसाद—

क्या बिजली मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण एवं वाणिज्य खण्ड, लखीमपुर खीरी में 12 जुलाई, 1968 को एस0 एस0 ओ0 तथा लाइन मैन आदि का चयन किया गया था? यह चयनित सूची जो 31 अगस्त, 1978 को जारी की गयी थी उसे निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हाँ। दिनांक 31 अगस्त, 1978 को जारी की गई चयन सूची इसलिए निरस्त कर दी गई थी कि चयन के उपरान्त मामले में कुछ असंगतियाँ पाई गई थीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार, गोरखपुर ` भवन एवं लिंक रोड का निर्माण

*26—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के 1 ले गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर में कहा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार के मेजे गये आगणन 1,45,000 रु0 वर्ष 1973 के विरुद्ध 45,100 रुपये जो वितरित वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी उससे भवन निर्माण तथा लिंक रोड बनाने की योजना थी उसको न बनवा कर फर्जी वाउचर द्वारा स्वीकृत वित्तीय धनराशि निकाल कर गबन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच करायेगी?

श्री रमा शंकर कौशिक—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 37 के उत्तर में जिस आगणन का उल्लेख किया गया है उसमें भवन निर्माण तथा लिंक रोड बनाने की योजना सम्मिलित थी। यह कहना सही नहीं है कि उपर्युक्त कार्य को न करवा कर फर्जी वाउचर द्वारा तत्सम्बन्धी स्वीकृत धनराशि निकाल कर गबन कर ली गई। अतः जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

विद्युत् उत्पादन खण्ड पिपरी, जिला मिर्जापुर के कर्मचारियों से ई० एस० आई० की कटौती

1—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् उत्पादन खण्ड, पिपरी, जनपद मिर्जापुर के समस्त कर्मचारियों में ई0 एस0 आई0 के कटौती से असन्तोष व्याप्त है? यदि हाँ, तो क्या सरकार ई0 एस0 आई0 के कटौती को तत्काल बन्द करने पर विचार करेगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हाँ। कर्मचारियों में इस योजना के लागू होने एवं इसके अन्तर्गत अंशदान की कटौती किये जाने पर रोष व्याप्त है। यह योजना कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के देने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा "स्टेट इम्पलाईज इन्श्योरेन्स ऐक्ट, 1948" के अन्तर्गत पूरे देश में लागू की गई है तथा इस योजना से छूट दिया जाना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अतः इस योजना से कर्मचारियों को छूट दिये जाने के संबंध में भारत सरकार को लिखा गया है तथा अभी तक उनके कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री बृजराज सिंह, एकाउन्टेन्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहसवान, बदायूं की सर्विस बुक

2—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि 22 मार्च, 1979 या उसके आसपास प्रश्नकर्त्ता विधायक ने कोई आवेदन-पत्र श्री बृजराज सिंह, एकाउन्टेन्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहसवान, जिला बदायूं की सर्विस बुक सी0 एम0 ओ0, अल्मोड़ा के यहाँ से मंगवाने के विषय में श्री सिंह की पत्नी श्रीमती सावित्री देवी की ओर से दिया था तथा इस सर्विस बुक की तलाश सन् 1970 से की जा रही है। यदि हाँ, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रश्नगत प्रकरण पर प्रश्नकर्त्ता माननीय विधायक जी का आवेदन पत्र दिनांक 22 मार्च, 1979 या उसके आस पास शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता किन्तु विधायक जी का एक पत्र दिनाँक 16 अक्टूबर, 1978 मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा को प्राप्त हुआ था। श्री बृजराज सिंह, एकाउन्टेन्ट इस समय बदायूं में तैनात हैं। अत: उनकी सेवा पुस्तिका मुख्य चिकित्सा धिकारी, बदायूं को शीघ्र अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

3—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

[6ठे गुरुवार के लिये स्थगित।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा सी० पी० एम० टी० की परीक्षा का संचालन एवं लेखा का समायोजन

4—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि 1977 में सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा का संचालन गोरखपुर विश्वविद्यालय ने किया था? क्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा समायोजना हेतु लेखा समय से प्रस्तुत किया गया? क्या इस परीक्षा की धनराशि में आर्थिक घोटाला किया गया है? यदि हाँ, तो सरकार ने जाँच कराकर क्या कार्यवाही की?

श्री रमा शंकर कौशिक—

गोरखपुर विश्वविद्यालय ने वर्ष 1977 में सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा का संचालन किया था। कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि उक्त परीक्षा का लेखा समायोजन अभी पर्णतया समाप्त नहीं हुआ है और परीक्षा केन्द्रों को दिये गय अग्रिमों में से अधिकाँश के वाउचर प्राप्त हो चुके हैं तथा जो अभी अवशेष है उनके समायोजन हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा जैसे ही लेखों का समायोजन पूर्ण हो जायेगा शासन को सूचना भेजी जायेगी। कुलपति ने यह भी सूचित किया है कि उक्त परीक्षा की धनराशि में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है।

गोरखपुर जिले के गजपुर, भावारार आदि के पेयजल योजना की मांग

5—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के कस्बा गजपुर, भावारार, पिपरौली बाजार में पेयजल की व्यवस्था के लिये दिसम्बर, 1977 में स्वायत्त शासन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उन निर्देशों का क्या हुआ? क्या उपरोक्त कस्बों में पेयजल की व्यवस्था अब तक की गई? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी?

श्री रामाधार पाँडेय—

जी हाँ।

गोरखपुर जिले के कस्बा गजपुर, भौवापुर, पिपरौली बाजार में पेय जल की व्यवस्था नहीं की जा सकी क्योंकि उक्त क्षेत्र को पेयजल व्यवस्था हेतु जिला परिषद् गोरखपुर का प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिला परिषद् का प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना के विरचन हेतु आवश्यक कार्यवाही जल निगम द्वारा की जायगी।

श्री सरजू प्रसाद मिश्र, लिपिक, जलकल निर्माण, फैजाबाद की भविष्य निधि

6—श्री जय शंकर पाँडेय (जिला फैजाबाद)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद, नगरपालिका में श्री सरजू प्रसाद मिश्र पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, मो0 टेढ़ी बाजार, अयोध्या जिला फैजाबाद (उ0 प्र0) लिपिक थे और सन् 1964 में सेवानिवृत्ति हुये? और श्री सरजू प्रसाद मिश्र का सेवा निवृत्ति के समय तक कुल कितना प्रावीडेन्ट फण्ड का रुपया वेतन से काट कर जमा था

तथा उक्त धनराशि उनको अथवा उनके परिवार वालों को दी थी। यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हाँ। श्री सरजू प्रसाद मिश्र, नगरपालिका, फैजाबाद में जलकल विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत थे और वे सन् 1964 में सेवा निवृत्ति हुए। उनके सेवा निवृत्ति के समय उनके भविष्य निधि लेखा में रु0 1482.69 की धनराशि वेतन से कट कर जमा थी जिसका भुगतान श्री मिश्रा तथा उनके परिवार को उनकी ओर से कोई प्रार्थनापत्र न दिये जाने के कारण पालिका द्वारा नहीं किया गया।

2—इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को यह निर्देश भेजे गये हैं कि वे श्री मिश्र तथा उनके परिवार वालों से सम्पर्क स्थापित करके श्री मिश्र के भविष्य निधि लेखा में जमा धनराशि का भुगतान अविलम्ब नियमानुसार कराने की व्यवस्था कर दें।

राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद में हृदय-रोग कक्ष के भवन का निर्माण

7—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद में हृदय रोग कक्ष (ई0 सी0 जी0) निर्मित होना स्वीकृत हुआ था और उसके लिये धन भी मंजूर हुआ था ? यदि हाँ, तो कब तक राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद में हृदय रोग कक्ष (ई0 सी0 जी0) निर्मित हो जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वर्ष 76–77 में 1,80,000 रु0 इन्टेन्सिव कोरानारी केयर यूनिट का हार्ट सेन्टर (हृदय रोग कक्ष) के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की भर्ती एवं उपचार आरम्भ हो गया है।

फतेहपुर जिले के तहसील बिन्दकी के कतिपय ग्रामों में चिकित्सालय खोलने की मांग

8—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1979 तहसील बिन्दकी के ग्राम ओंग, कुंवरपुर, हरदासपुर व करचलपुर व कोरसम में स्टेट एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज खोलने की कृपा करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कुल 10 नये एलौपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्राविधान की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिये निर्धारितप्ररूप में संस्तुति तथा शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के प्रकाश में उसका विस्तृत परीक्षण विधिवत पूर्ण होने से पहले यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न में उल्लिखित स्थानों पर नये चिकित्सालय खोले जा सकेंगे अथवा नहीं।

तदनुसार प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले में आपूर्ति की गयी विद्युत् की मात्रा

9—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के देहाती क्षेत्र के लिये कितनी मात्रा में जल विद्युत् प्रदान की जाती है और कितने का उपयोग होता है ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में कुल कितनी मात्रा में विद्युत् दी गयी और कितनी मात्रा में उसका उपयोग हुआ ? क्या यह सत्य है कि जितनी मात्रा में विद्युत् दी गयी थी उतनी मात्रा में उसका सही उपयोग नहीं हो सका तो शेष विद्युत् कहाँ पर उपयोग की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

तापीय विद्युत् एवं जल विद्युत् में अन्तर करना असंभव है।

मथुरा जनपद में औसतन लगभग दो लाख यूनिट्स प्रतिदिन विद्युत् प्रदान की जाती है जिसमें से अनुमानतः 87 प्रतिशत उपयोग होती है।

वर्ष 1977–78 में मथुरा जनपद को कुल 6,91,00,900 यूनिट विद्युत् प्रदान की गयी और इसमें से 6,00,51,800 यूनिट विद्युत् का उपयोग हुआ। शेष 90,49,100 यूनिट अर्थात 13.1 प्रतिशत विद्युत् परीक्षण एवं वितरण प्रणाली (ट्रांसफार्मरों एवं एच0 टी0 एल0 टी0 विद्युत् लाइनों आदि) में व्यय हुयी जो कि युक्ति संगत है।

बाराबंकी जिले की बाबा बाजार में चिकित्सालय के निर्माण की मांग

10—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत बाबा की बाजार, परगना मवई, तहसील रामसनेही घाट में सरकारी औषधालय खोले जाने हेतु प्रश्नकर्त्ता द्वारा गत वर्ष भेजे गये कुछ पत्र माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ।

शासन के निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत विस्तृत परीक्षाणोपरान्त प्रश्नगत स्थान को, नए एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापनार्थ उपयुक्त नहीं पाया गया।

फलतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

11—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[6ठें गुरुवार के लिये स्थगित।]

नगरपालिका, टाण्डा, जिला फैजाबाद के जलोत्सारण योजना के लिये दी गयी धनराशि

12—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, टान्डा, फैजाबाद में जो गन्दा नाला सीवर बनवाया गया है, उसमें कुल कितना धन सरकार द्वारा व्यय हुआ है और क्या उसको क्रियान्वित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामाधार पाण्डेय—

नगरपालिका, टाँडा, जिला फैजाबाद में किसी गंदे नाले के बनवाने के लिये नहीं वरन टाँडा जलोत्सारण तथा मलोपयोगी योजनाओं हेतु रु0 13.62 लाख राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया था जो व्यय हो चुका है।

योजना को अभी चालू नहीं किया जा सका है क्योंकि इससे सम्बन्धित कुछ मरम्मत का कार्य बाकी है।

थर्मल पावर हाउस, महरीपुर टाण्डा, जिला फैजाबाद के निर्माण एवं रेलवेलाइन के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

13—श्रीमती रामरति देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थर्मल पावर हाउस जो महरीपुर, टान्डा, फैजाबाद में बन रहा है, उसमें कुल कितना धन व्यय होने की सम्भावना है?

श्री रेवती रमण सिंह—

टाण्डा (जिला फैजाबाद) में निर्माणाधीन 4×110 मेवागाट अधिष्ठापित क्षमता के तापीय विद्युत गृह को वर्तमान अनुमानित लागत रु0 159.25 करोड़ है।

14—श्रीमती रामरती देवी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टान्डा के महरीपुर थर्मल पावर हाउस तक जो रेलवे लाइन बनने जा रही है, उसका व्यय थर्मल पावर हाउस (विद्युत्) विभाग करेगी या रेलवे बोर्ड वहन करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जो रेलवे लाइन टाण्डा तापीय विद्युत् गृह के लिये बनायी जायेगी उसका व्यय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् वहन करेगी।

देवरिया जिले के ग्राम देवरिया बाबू पगार–खोटही विद्युत् लाइन और हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

15—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड रामकोला के ग्राम देवरिया बाबू पगार होकर खोटही तक सन् 1974–75 से बिजली के खम्भे गड़े हुये हैं तथा उन पर तार भी खींच दिया गया है परन्तु अब तक लाइन नहीं दी गई ? यदि हाँ, तो क्यों ? लाइन कब तक दे दी जायेगी तथा इस योजना में किन-किन हरिजन बस्तियों को बिजली दी जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

देवरिया जिले के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम देवरिया बाबू पगार होकर खोटही तक 11000 बोल्ट की लाइन वर्ष 1974–75 में खड़ी की गई थी तथा इस लाइन का तार भी खींच दिया गया था। इस लाइन पर किसी भी व्यक्ति ने विद्युत् कनेक्शन नहीं लिया तथा इसी दौरान लगभग एक किलोमीटर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई जिसको ठीक करने का कार्य प्रगति पर है। ग्राम खोटही का विद्युतीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष 1979–80 में कर दिया जायगा।

उपरोक्त लाइन से पगार तथा खोटही की हरिजन बस्तियों को बिजली दी जानी प्रस्तावित है।

देवरिया जिले के कतिपय ग्रामों एवं हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

16—श्री श्रीनारायण—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा, नौरंगिया तथा रामकोला के किन-किन गाँवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली दी जा रही है तथा किन-किन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा, नौरंगिया तथा रामकोला के 34 ग्रामों को एल0 टी0 लाइन बिछाकर बिजली दी जा चुकी है तथा अन्य 8 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है (सूची 'क' संलग्न है)।

विद्युतीकरण 34 ग्रामों में से 6 ग्रामों नेबुआ रायगंज, शेखई, भुजौली बुजुर्ग, उचोछपुरा, देवरिया, बाबू तथा पकड़ी बाजार की हरिजन बस्तियों को बिजली दी जा चुकी है तथा शेष ग्रामों की हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण प्रस्तावित है। अन्य 8 ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 547–548 पर)

देवरिया जिले का डाक्टर विहीन महिला चिकित्सालय, छितौनी

17—श्री श्रीनारायण—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले का महिला चिकित्सालय छितौनी कितने दिन से डाक्टर विहीन है और इसमें किन कारणों से इतनों दिनों से कोई महिला डाक्टर को नहीं भेजा गया तथा निकट भविष्य में कब तक डाक्टर भेज दिया जायगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

महिला चिकित्सालय छितौनी, जिला देवरिया में जुलाई, 1978 से महिला डाक्टर नहीं है। प्रदेश में महिला डाक्टरों की कमी के कारण इस अस्पताल में अब तक महिला डाक्टर की तैनाती नहीं की जा सकी। महिला डाक्टरों की नई नियुक्तियों के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और जैसे ही महिला डाक्टर उपलब्ध होंगी इस अस्पताल में महिला डाक्टर की नियुक्ति करने का प्रयास किया जायेगा।

18–19—श्री श्रीनारायण—

[6ठे गुरुवार के लिये स्थगित।]

ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार

20—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक के पद पर नियुक्ति एवं साक्षात्कार में हो रही घोर अनियमितता, रिश्वतखोरी को रोकने हेतु साक्षात्कार व नियुक्ति में सदस्य के रूप में क्षेत्रीय विधायक को बैठने का अधिकार दिये जाने का शासन विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

फैजाबाद जिले में किसानों को बिजली आपूर्ति हेतु किया गया एग्रीमेंट

21—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक किसानों को बिजली देने के लिये कुल कितने एग्रीमेन्ट विद्युत् परिषद् फैजाबाद द्वारा किये गये ? कितने किसानों को बिजली दी गयी तथा कितने एग्रीमेन्ट अभी बिजली देने के लिये शेष हैं और अभी तक बिजली न दे पाने के प्रमुख कारण क्या हैं और सरकार उसके निदान के लिये क्या कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा फैजाबाद जनपद में किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली देने के लिये 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि में कुल 1318 अनुबन्ध किये गये, जिसमें से 1181 किसानों को विद्युत् कनेक्शन दिये जा चुके हैं और बाकी 1387 किसानों को बिजली देना अभी शेष है।

उक्त 137 किसानों को कनेक्शन देने के लिये अपेक्षित विद्युत् उपकरणों एवं आवश्यक सामान के अभाव के कारण बिजली नहीं दी जा सकी। सामान उपलब्ध करने की कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद द्वारा प्राथमिकता पर की जा रही है, और सामान उपलब्ध होने पर शेष 137 किसानों को बिजली देने की कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र की जायेगी।

अंग्रेजी व देशी शराब की खपत की मात्रा

22—श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या आबकारी मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976–77, 1977–78 तथा 1978–79 के वित्तीय वर्ष में प्रदेश में देशी तथा अंग्रेजी शराब की खपत कितनी-कितनी हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 549 पर)

23—श्री जयशंकर पाँडेय—

[6ठे गु वार के लिये स्थगित ।]

24—श्री रवीन्द्र सिंह—

[22-3-79 का अतारांकित प्रश्न 52 द्वारा उत्तरित ।]

आगरा, लेबर वेलफेयर सेन्टर, विजयनगर कालोनी की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

25—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में लेबर वेलफेयर सेन्टर, विजय नगर कालोनी, आगरा नगर में स्थित जो कि किराए के भवन में सेवा कार्य में जुटी है के कार्यकाल हेतु क्या सरकार ने एक भू-खण्ड पालीवाल पार्क के सामने मुफीदेआम स्कूल के पीछे खरीदा था? क्या उक्त भू-खण्ड में कुछ अनधिकृत कब्जे लेबर वेलफेयर सेन्टर के अधिकारियों ने करा दिये हैं ? अब तक भवन कार्यालय के न निर्माण कराये जाने के क्या कारण है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

जी हाँ ।

इस भू-खण्ड पर अनधिकृत कब्जे हैं, किन्तु शासन की कोई ऐसी शिकायत पहिले नहीं प्राप्त हुई है कि ये कब्जे श्रम हितकारी केन्द्र के किसी अधिकारी द्वारा कराये गये हैं।

अतीत में शासन की मितव्ययिता की नीति तथा वर्तमान समय में धन की अनुपलब्धता व भूमि पर अनधिकृत कब्जों के कारण इस भवन का निर्माण अब तक सम्भव नहीं हो सका है।

26—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री बी० सी० गोयल, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, हापुड़ के विरुद्ध शिकायती पत्र

27—श्री रामदत्त जोशी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका हापुड़ के अधिशासी अधिकारी (श्री बी0 सी0 गोयल) द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं के बारे में श्री जगदीश प्रसाद, हापुड़ का पत्र दिनाँक 17 मार्च, 1979 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन ने क्या कार्यवाही की तथा क्या यह सही है कि श्री गोयल का पहले की गयी अनियमितताओं के आधार पर निलम्बन किया गया ? यदि हाँ, तो फिर उन्हें पुनः वहीं कार्यरत क्यों किया गया ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

श्री जगदीश प्रसाद के प्रश्नगत शिकायती पत्र को जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पास जाँच हेतु भेजा गया है । श्री बी0 सी0 गोयल, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका हापुड़ को कभी निलम्बित नहीं किया गया था।

28—श्री अजीत सिंह सेठी—

[8वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नगरपालिका कासगंज तथा सोरों जिला एटा में अनसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण का कोटा

29—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा की नगरपालिका, कासगंज तथा सोरों के स्टाफ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों और उक्त नगरपालिकाओं में कब तक आरक्षित कोटा पूरा कर दिया जायगा ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

नगरपालिका कासगंज तथा सो ों में सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कार्यरत कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण निर्धारित कोटे से कम है। उक्त कमी निर्वाचित बोर्ड के समय से है जिसकी पूर्ति भविष्य में होने वाली रिक्तियों से की जा सकेगी, जिसके लिये दोनों पालिकायें प्रयत्नशील हैं।

गोरखपुर में खोले गये कतिपय अस्पताल एवं चिकित्साधिकारी की नियुक्ति

30—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जनपद के गजपुर, पिपरौली, भी0 टी0 बिशुनपुर में नये राजकीय चिकित्सालय खुल गये हैं ? यदि हाँ, तो वहाँ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी तथा अस्पताल भवन निर्मित कराने का कब तक लक्ष्य है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। परन्तु पिपरौली में कोई नया अस्पताल नहीं खोला गया है, क्योंकि वहाँ क प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से ही कार्यरत हैं और वहाँ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। शेष स्थानों पर जहाँ नये राजकीय चिकित्सालय खोले गये हैं, उनमें चिकित्साधिकारियों की तैनाती की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नगत नये चिकित्सालयों के भवन नि ण की कोई परियोजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित न होने के कारण लक्ष्य निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

श्रीमती अशर्फी सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षिका, पिंडरा अस्पताल वाराणसी का बकाया वेतन

31—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अशर्फी सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षिका एलोपैथिक अस्पताल, पिंडरा, जिला वाराणसी का डी0 ए0, टी0 ए0 तथा वेतन बढ़ोत्तरी एवं अवकाश का वेतन आदि कई वर्षों से बकाया पड़ा है ? यदि हाँ, तो भुगतान न करने का कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने श्रीमती अशर्फी सिंह के पति के प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री को 26 मार्च, 1979 को दिया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षिका को देय अवशेष धनराशियों का भुगतान समय से न किये जाने के कारणों की जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी से की गयी है। उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित है। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता महोदय का कथित पत्र दिनाँक 26 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ था, जिस पर सम्बन्धित अधिकारियों को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

आपातकाल में सेवा निवृत्त मजदूरों की नियुक्ति से सम्बन्धित मिल-मालिक संघों से मुख्यमंत्री की अपील

32—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जून, 1978 में प्रदेश के मिल-मालिक संघों से अपील की थी कि आपातकाल में ीसा तथा डिसिर की निरुद्धि के कारण सेवानिवृत्त सभी मजदूरों को तुरन्त सेवा में लिया जाय ? यदि हाँ, तो कुल कितने मजदू नौकरी से निकाले गये थे तथा कितने को नौकरी ी जा चुकी है और शेष को कब तक नौकरी मिल जायगी ?

श्री क्रान्ति कुमार—

जी हाँ, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 30 मई, 1978 को प्रदेश के मिल-मालिक सं ों से आपातकाल में "मीसा" तथा "डिसिर" की निरुद्धि के कारण सेवा निवृत्त सभी मजदूरों को तुरन्त सेवा में लिये जाने हेतु अपील की थी।

राज्य सरकार की जानकारी में "मीसा" तथा "डिसिर" में निकाले गये कुल 77 कर्मचारियों के मामले प्रस्तुत किये गये थे जिनमें से 20 कर्मचारी नौक ी पर वापस लिये जा चुके हैं 10 कर्मचारी, अपना पूर्ण भुगतान प्राप्त कर नौक ी पर वापसी का मामला वापस ले चुके हैं, 42 कर्मचारियों के मामले अभिनिर्णय हेतु विभिन्न श्रम न्यायालयों को प्रेषित किये जा चुके हैं, 4 कर्मचारियों ने अपना कोई विवाद ही नहीं उठाया तथा एक कर्मचारी ने सेवायोजकों से आपसी समझौता कर लिया है।

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

34—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

[6ठे गुरुवार के लिये स्थगित।]

गरपालिका, फिरोजाबाद की कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु दी गयी धनराशि

35—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतायेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में स्टेशन रोड, सिनेमा चौराहे से जलेसर रोड, स्टेट बैंक तक, सिनेमा चौराहे से कटरा सुनारान पठानान से जाती हुई स्टेशन रोड करबला रोड, शिकोहाबाद से पैमेश्वरगेट रोड एव चन्दवार गेट रोड आदि टूटी पड़ी है और हजारों गड्ढों में गन्दा पानी भरा पड़ा है जिससे रिक्शे पलट जाते हैं ? यदि हाँ, तो इन सड़कों के निर्माण की क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां; जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद की चर्चित सड़कों की जलनिगम द्वारा सीवर तथा पानी की लाइन डालने के लिये खुदाई के कारण उक्त सड़कें नि:संदेह सुगम यातायात के योग्य नहीं रह गई थी। सड़कों की समय-समय पर यथासम्भव मरम्मत करा दी गई है जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

स्टेशन रोड—इस सड़क की ट्रेंच की मरम्मत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर तिकोनियाँ तक वर्ष 1975-76 में कराई जा चुकी है।

जलेसर रोड—इस सड़क की ट्रेंच की मरम्मत वर्ष 1973-74 में की गई थी और अब इस रोड पर पैच वर्क का कार्य कराया जा चुका है।

कटरा सुनारान—सड़क का मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है।

कटरा पठानान से स्टेशन जाती हुई सड़क—इस सड़क का पैच वर्क तथा कन्सोलीडेशन कार्य पूर्ण हो गया है। केवल डामर के अभाव में प्रीमिक्स कारपेट कोट का कार्य शेष है।

करबला रोड---सीलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और कार्य प्रगति पर है।

पैमेश्वर गेट रोड---इस सड़क का मय ट्रैन्च के मरम्मत वर्ष 1977-78 में कराया गया था और इस रोड का सरफेस ठीक है।

चंदवार गेट रोड---इस सड़क का पुनर्निर्माण मय ट्रैन्च के वर्ष 1976-77 में कराया गया था और इसका सरफेस ठीक है।

कुछ सड़कों पर डामर पड़ना है जिसके आपूर्ति की भारत पैट्रोलियम से प्रतीक्षा की जा रही है।

36---श्री रघुबर दयाल वर्मा---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में सीवेज लाइन डालने के लिए जो सड़कों की खुदाई सन् 1972 में की गयी थी, क्या वह ठीक करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो अब तक उन्हें पुनः पक्का न बनवाये जाने के क्या कारण है और उन खोदी गयी सड़कों को पुन. पक्का निर्मित कराये जाने को दिया गया धन कहाँ गया ?

श्री रामाधार पाण्डेय---

फिरोजाबाद नगरपालिका में सीवर लाइन डालने का कार्य जल निगम ने वर्ष 1971 में शुरू किया था। नगरपालिका ने अपने वित्तीय साधनों से रु0 3,34,000 व्यय करके खोदी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना करायी। बाद में जल निगम द्वारा पुनर्स्थापना चार्जेज के रूप में नगरपालिका को 2,50,000 रु0 दिया गया जिसे नगरपालिका ने अपने स्रोतों में समायोजित कर लिया।

नगरपालिका, फिरोजाबाद का बकाया गृह कर एवं जल कर

37---श्री रघुबर दयाल वर्मा---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में गृह-कर और जल-कर की कितनी वसूली पालिका ने 1978 में की है और अब एक हजार से अधिक गृह-कर, जल-कर का कितना रुपया कितने नागरिकों पर बकाया है ? क्या उक्त बकाया धन को तुरन्त वसूल करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय---

जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद ने वर्ष 1978 (1977-78) में गृह कर का 3,44,288 रुपया एवं जल कर का 3,72,002 रुपया वसूल किया है।

अब तक एक हजार से अधिक गृह कर का 2,02,899-23 पैसा तथा जल कर का 2,37,399.55 पैसा 151 नागरिकों पर बकाया है जिसका वसूलयाबी अभियान चलाया जा रहा है।

विद्युत् जनपद निर्माण उपखण्ड, नहटौर, जिला बिजनौर के सहायक अभियन्ता श्री एन० के० गुप्ता के विरुद्ध आरोपों की जांच

38---श्री हिम्मत सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद विद्युत् निर्माण उपखण्ड नहटौर, जिला बिजनौर व सहारनपुर उपखण्ड के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता के द्वारा किये गये वर्क आर्डर 1974-75, 1975-76, 1976-77 की अनियमितताओं की जाँच श्री जी0 पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, सिविल विद्युत् जनपद निर्माण वृत्त कासिमपुर परीक्षा प्रोजेक्ट (झांसी) कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो आरोप क्या हैं व जाँच कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हाँ। विद्युत जनपद निर्माण उपखण्ड नहटौर के भूतपूर्व सहायक अभियन्ता श्रीए न0 के 0 गुप्ता द्वारा वर्ष 1974–75 में किये गये कवल एक वर्क आर्डर में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री गुप्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी जिसमें श्री जी0 पी0 सिंह अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) जाँच अधिकारी नियुक्त किये गये थे। जाँच पूर्ण हो चुकी है। वर्ष 1975–76, 1976–77 में किये गये वर्क आर्डरों की कोई जाँच नहीं की गई। आरोप संक्षेप में निम्न हैं :

(1) विद्युत जनपद निर्माण उपखण्ड नहटौर में उपखण्ड अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए श्री एन0 के 0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता ने 132 के0 वी0 सब-स्टेशन, नहटौर में पानी की आपूर्ति के लिये श्री वाई0 एन0 गुप्ता ठेकेदार के साथ एक कार्यादेश निष्पादित किया जिसमें कार्य समाप्त की अवधि 7–11–1975 तक थी। एक ओर श्री गुप्ता ने ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ न किये जाने के कारण उसको दिया गया कार्यादेश 6 मई, 1975 को निरस्त कर दिया वहीं दूसरी ओर श्री गुप्ता ने ठेकेदार का प्रथम व अन्तिम बिल 20–7–75 को सत्यापित किया जिसमें 7–1–75 को कार्य समाप्त करना दिखाया गया था। इस प्रकार श्री गुप्ता ने तथ्यों को छिपाया, गलत बयान देकर विभाग को धोखा दिया तथा कार्य में शिथिलता दिखाई।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल आफिसर की नियुक्ति एवं उनका वेतनमान

39—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशक, भारत सरकार, द्वारा देश के समस्त स्वास्थ्य निदेशकों को जारी किया गया परिणाम सं0 01016–1–77 आर 0 डी0 एच0 पी0 एच0 (सी0 एच0) सेक्शन, नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1977 उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक को प्राप्त हो गया है ? जिसके अनुसार पी0 एच0 सी0 में समान वेतन पर तीसरे मेडिकल आफिसर की नियुक्ति का निदेश दिया गया है ? यदि हाँ, तो उसके सन्दर्भ में प्रदेश में नियुक्तियाँ की गयी हैं ? यदि नहीं की गयी हैं, तो क्यों तथा यदि की गयी हैं तो उन्हें क्या स्तर तथा वेतनक्रम दिया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ, परन्तु इसमें पी0 एच0 सी0 में समान वेतन पर तीसरे मेडिकल आफिसर की नियुक्ति का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि इन मेडिकल आफिसरों की नियुक्ति राज्य में प्रचलित वेतनक्रम में किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। तदनुसार तीसरे मेडिकल आफिसर के पदों पर आयुर्वेदिक/यूनानी स्नातकों को उस समय उन्हें अनुमन्य रु0 450–850 के वेतन क्रम में नियुक्त किया गया और उन्हें चिकित्साधिकारी का स्तर भी प्रदान किया गया।

जिला चिकित्सालयों में प्रदान की गयी विशेषज्ञ सेवा

40—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसकी रूप-रेखा क्या है तथा उसे कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित समस्त जिला चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक विशेषज्ञ सुविधाओं की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

पर्वतीय क्षेत्र के जिला चिकित्सालयों में भी फिजीशियन, पैथोलोजी, एनेस्थीसियालोजी, हड्डी विभाग तथा आपत्तिक सेवायें उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव, जहाँ यह न्यूनतम आवश्यक विशेषज्ञ सुविधायें इस समय उपलब्ध नहीं है, शासन के विचाराधीन है।

41—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[17-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

42—श्री राम आसरे वर्मा—

[6ठें गुरुवार के लिए स्थगित।]

गोरखपर जिले की अप्रशिक्षित परिवार कल्याण कार्यकत्री

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में कुछ ऐसी परिवार कल्याण कार्यकत्रियाँ हैं, जिन्हें अभी तक प्रसूतिका का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है जिससे गाँवों की जनता को मातृ शिशु कल्याण सेवाएं नहीं प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जनपद गोरखपुर में इस समय केवल एक परिवार कल्याण कार्यकत्री अप्रशिक्षित है। उसे मास जुलाई, 1979 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में नियमानुसार प्रशिक्षण के लिये भेजने पर विचार किया जायगा ।

44—श्री राम सिंह—

[6ठे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

45—श्री राम नरायन वर्मा—

[स्पष्टीकरण के आधार पर निरस्त ।]

टाउन एरिया महमूदाबाद, जिला सीतापुर की आय एवं व्यय

46—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी महमूदाबाद, जनपद सीतापर को वर्ष 1975-76 तथा 1977-78 में टोल-टैक्स तथा अन्य स्रोतों तथा टैक्सों आदि से कितनी आय हुई और इस आय में से कितना धन टाउन एरिया के कर्मचारियों के वेतन तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

टाउन एरिया महमूदाबाद, जिला सीतापुर के वर्ष 1975-76 तथा 1977-78 में टोल टैक्स से तथा अन्य स्रोतों व टैक्सों से कुल आय क्रमशः रुपये 2,08,493.69 पैसे तथा रुपये 1,46,70.57 पैसे हुई। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष 1975-76

मदवार व्यय	धनराशि
(1) वेतन कार्यालय कर्मचारी	15,755.75
(2) सफाई एवं रोशनी	50,442.50
(अ) निर्माण सड़क तथा मरम्मत	18,611.36
(क) वेतन कर्मचारी पथकर	46,572.02

मदवार व्यय	धनराशि
(5) अन्य व्यय (स्टेशनरी, सार्वजनिक निर्माण कार्य, यात्रा भत्ता आदि।)	21,076.65
(6) वापसी जमानत ठेकेदार	1,040.00
(7) कुयें तथा नालियाँ	2,766.25
व्यय का कुल योग	1,56,284.53

वर्ष 1977–78

(1) वेतन कार्यालय	23,518.87
(2) सफाई एवं रोशनी	44,949.55
(3) निर्माण सड़क तथा मरम्मत	54,576.29
(4) वेतन कर्मचारी पथकर	79,079.11
(5) अन्य व्यय (खरीदारी सामान बिजली, टी0 ए0 बिल, स्टेशनरी आदि)	11,.157.35
(6) वापसी जमानत तथा टी0 ए0 पैतेपुर का अनुदान	672.00
व्यय का कुल योग	2,13,952.37

सीतापुर जिले की व्यय से कम आय वाली नगरपालिकाएं एवं टाउन एरिया

47—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कितनी म्युनिस्पैलिटियाँ तथा टाउन एरिया ऐसी हैं जिनकी आय उनके व्यय से कम है ? जिन नगर समितियों की आय उनके व्यय से कम है उनकी आर्थिक दशा सुधारने की क्या कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

सीतापुर जनपद की नगरपालिका मिश्रिख-नैमिषारण्य तथा टाउन एरिया पैतेपुर व महमूदाबाद की आय उनके व्यय से कम है। शेष स्थानीय निकायों के आय-व्यय संतुलित है। उपरोक्त तीनों स्थानीय निकायों की आय-व्यय संतुलित करने हेतु व्यय में मितव्यता एवं आय के साधन बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊंचाहार, रायबरेली के डाक्टर व कर्मचारियों की लट

48—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊंचाहार, जिला रायबरेली के डाक्टर तथा अन्य कर्मचारियों को मास सितम्बर, 1978 में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लूट लिया था ? यदि हाँ, तो आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंचाहार, जिला रायबरेली के डाक्टर तथा अन्य कर्मचारियों को दिनाँक 10/11 सितम्बर, 1978 की रात 12-30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लूट लिया था

उसी रात थाना मुस्तफाबाद (रायबरेली) में रिपोर्ट लिखाई गई थी। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के बाद न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है। अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

सीतापुर जिले के डाक्टर विहीन अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

49--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विभिन्न अस्पतालों तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर कितने-कितने डाक्टर नियुक्त हैं और जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं अथवा कम हैं क्या उनमें सरकार कब तक पूरा करवाने की व्यवस्था करायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जनपद सीतापुर के विभिन्न अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्टेट डिस्पेंसरियों पर डाक्टरों की नियुक्ति तथा रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है--

	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	तैनात डाक्टरों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
मुख्यालय	31	26	5
पी0 एच0 सी0	45	36	9
स्टेट डिस्पेंसरी	5	1	4
योग	81	63	18

डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। यथाशीघ्र रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला सीतापुर के जिला अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

50--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला अस्पताल सीतापुर में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक हो गया है ? जिन कर्मचारियों को जनपद में कार्य करते पाँच वर्ष से अधिक हो गये हैं उनको उन स्थानों से हटाने की क्या कोई व्यवस्था सरकार करने की कृपा करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जनपद सीतापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पताल में पाँच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :

समूह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जिला अस्पताल
'ग'	254	12
'घ'	54	41

'ग' समूह के उक्त कर्मचारियों को निर्धारित नीति के अनुसार स्थानान्तरण सत्र में अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिये व्यवस्था करा दी गयी है। 'घ' समूह के कर्मचारियों को निम्न कोटि का कर्मचारी होने के कारण साधारणतया अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाता है, अपितु प्रशासनिक आधार अथवा उनके समुचित आवेदन पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

श्रीमती मरियम आब्दी, एफ० डब्लू० डब्लू०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जरवल, सीतापुर का स्थानान्तरण

51—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मरियम आब्दी, एफ0डब्लू0डब्लू0 प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र जरवल, जनपद सीतापुर का स्थानान्तरण वर्ष 1977–78 में कितनी बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से किया गया तथा किस अधिकारी के आदेश से उस कर्मचारी का स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया ? आदेश के निरस्त करने से संबंधित पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

श्रीमती मरियम आब्दी, एफ0 डब्लू0 डब्लू0 का स्थानान्तरण आदेश वर्ष 1977–78 में एक बार किया गया था। श्रीमती आब्दी का स्थानान्तरण आदेश अभी तक निरस्त नहीं किया गया है।

तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के ग्रामों का विद्युतीकरण

52—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत 1978 तक किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण पूरा हो गया है तथा किन-किन ग्रामों के हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद इलाहाबाद की तहसील में मंझनपुर के अन्तर्गत 31 सिदम्बर, 1978 तक निम्न 18 (अठारह) ग्रामों का विद्युतीकरण एल0टी0 लाइन बिछाकर किया जा चुका है:—

1—करारी
2—मंझनपुर
3—म्योहार
4—सरसवाँ
5—उनो
6—ओसा
7—कनैली
8—बिरौछा
9—चन्दाराई
10—सेवरा
11—शाह आलमाबाद
12—अन्छावाँ
13—भेलखा
14—जगराजपुर
15—घवारा
16—बिदाँव
17—पिन्ड्रा शहवानपुर
18—महिला उपरहार

तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1978 तक निम्न 13 (तेरह) ग्रामों की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा चुका है:—

1—करारी
2—मंझनपुर
3—सरसवाँ
4—उनो
5—ओसा
6—कनैली
7—बिदाँव
8—जगराजपुर
9—माहिल
10—म्योहार
11—पट्टी अब्दुल रऊफ
12—कहारीपुर
13—तलाब बिरंचा

जल निगम में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का आरक्षण

53—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि जल निगम विभाग में वित्तीय वर्ष 1977–78 और 1978–79 में तदर्थ नियुक्तियाँ विभिन्न पदों पर की गयी हैं ? यदि हाँ, तो इन प्रत्येक पद की नियुक्ति में हरिजन और पिछड़ी जाति की संख्या का प्रतिशत अलग-अलग क्या है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हाँ। वित्तीय वर्ष 1977–78 एवं 1978–79 में जल निगम मुख्यालय पर प्रत्येक पद पर की गई तदर्थ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की संख्या का प्रतिशत संलग्न तालिका में दिया जा रहा है।

जल निगम के विभिन्न मंडलों एवं शाखाओं में की गयी तदर्थ नियुक्तियों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 550 पर)

54—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सीतापुर जिले के लिये स्वीकृत लाटरी फण्ड की धनराशि

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला को लाटरी फण्ड का कितना रुपया वित्तीय वर्ष 1977–78 में स्वीकृत हुआ तथा उसके द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य किया गया।

श्री रमा शंकर कौशिक—

वित्तीय वर्ष 1977–78 के अन्तर्गत सीतापुर जिला को लाटरी फण्ड से रु0 32,628 स्वीकृत हुआ जिसमें से रु0 6,084 मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय की मरम्मत एवं दो कमरों के निर्माण पर व्यय किये गये।

का0 सु0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, फैजाबाद में परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फार्म न भर पाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष —

पहले शून्य प्रहर की सूचनायें समाप्त होने दें। आपने कोई लिख कर नहीं भेजा है।

***श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—**

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में अवध विश्वविद्यालय से संबंधित का0 सु0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, फैजाबाद के लगभग तीन हजार विद्यार्थी परीक्षा फार्म अवध विश्वविद्यालय और कालेज प्रशासन की लाई के कारण भरने से वंचित हो गये हैं जब कि अवध विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा तिथि 16 जून से घोषित की जा चुकी है इस तरह से लगभग तीन हजार विद्यार्थियों का जीवन संकट में पड़ रहा है, इस समय का0 सु0 साकेत कालेज का वातावरण समुचित न होने से परीक्षा की तिथि पर व्यापक विद्रोह की सम्भावनाएं हैं और परीक्षा समुचित रूप से न चल सकेगी, प्राध्यापकगण ग्रीष्माकवाश पर हैं।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह का0 सु0 साकेत कालेज के ऐसे सभी विद्यार्थियों का परीक्षा फार्म भरायें जिन्होंने परीक्षा फार्म विश्वविद्यालयीय प्रशासन की गलतियों के कारण नहीं भरा।

मान्यवर, इस पर शिक्षा मंत्री जी को वक्तव्य देने का निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री इस पर कार्यवाही करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

इसमें निर्देश कीजिये नहीं तो विद्यार्थियों के फार्म नहीं भरे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

वह कुछ करेंगे।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार और स्तरहीनता का पुनः एक सनसनी खेज एवं गंभीर मामला गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत 16 मई, 1979 को उस समय प्रकाश में आया जब कुछ छात्र प्रतिनिधियों की पहल पर परीक्षा विभाग में एम0 ए0, बी0 ए0, बी0 एस-सी0, एम0 एड0, बी0 एड0 की 38 ऐसी उत्तर पुस्तिकायें कुल सचिव, उप कुल सचिव एवं नियंता के समक्ष सील की गईं और अन्दर के पृष्ठों को बदल कर परीक्षा विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु भेजा जा रहा था ताकि नम्बर बढ़ा कर सम्बन्धित परीक्षार्थियों को पास करा दिया जाये। इनमें से कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में तो काटपीट कर एवं सीधे अंक बढ़ा दिये गये हैं, किन्हीं उत्तर पुस्तिकाओं में अंक 14 का 44, 41 का 47, 28 का 38 कर दिया गया है। जहाँ लाखों परीक्षार्थियों की कई लाख उत्तर पुस्तिकायें हैं। इस परीक्षा विभाग में न जाने ऐसी कितनी घटनायें अंक बढ़ाने व घटाने की की जा रही होंगी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

यह घटना यहाँ चर्चा का विषय बनी हुई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं उसके वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति संदेह एवं घृणा का भाव व्याप्त होता जा रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की यह पहली घटना नहीं है। पैसे एवं प्रभाव से यहाँ फेल का पास-पास का फेल होना पहले भी प्रमाणित हो चुका है। चूंकि इस जघन्य अपराध में परोक्ष रूप से वरिष्ठतम अधिकारी भी सम्बद्ध हैं अतएव घटनायें दबायी जाती हैं। यह मामला उच्च शिक्षा में मात्र भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ गया है।

छात्रों को भय है कि कहीं यह मामला भी रद्दी की टोकरी में न फेंक दिया जाय। अतएव राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये यह मामला उच्च शिक्षा व्यवस्था पर अमिट कलंक है।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार अविलम्ब प्रभावी कदम उठा कर गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले शिक्षा के अवैध व्यापार कर पर रोक लगाने की कृपा करे।

बेनीराम माध्यमिक विद्यालय, पैतेपुर, जनपद सीतापुर की कक्षा 8 के छात्रों की पी० टी० की परीक्षा न लिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रामनरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

महोदय, श्री बेनीराम माध्यमिक विद्यालय पैतेपुर, जनपद सीतापुर के कक्षा 8 के छात्रों की पी0 टी0 की परीक्षा न होने के कारण संस्था के 130 छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ जाने की संभावना है। महोदय, इस वर्ष कक्षा 8 की परीक्षायें हो चुकी हैं। जनपद के शिक्षा विभाग की लापरवाही तथा हठवादिता के कारण इस संस्था के कक्षा 8 के छात्रों की पी0 टी0 परीक्षा आज तक नहीं हो सकी है। संस्था के प्राचार्य महोदय ने जिलाधिकारी, जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री राम नरायन वर्मा]

विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनेक बार अनुरोध किया कि किसी एग्जामिनर को भेजकर छात्रों की परीक्षा ले ली जाय। इक्जामिनर का सम्पूर्ण खर्च मैं वहन कर लूंगा। यह संस्था अनुशासन व शैक्षणिक दृष्टि से जनपद में बहुत ही लोकप्रिय है। इस वर्ष जहाँ संस्थायें नकल के लिए बदनाम रही हैं ? इस संस्था में कोई भी छात्र नकल करने का साहस नहीं कर सका। इसी का परिणाम है, जनपद के कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारी इस संस्था को बदनाम करने के लिये कटिबद्ध हो गये हैं।

अत: कक्षा 8 के सम्पूर्ण छात्रों की एक विषय की परीक्षा न होने के कारण छात्रों/अध्यापकों में रोष की भावना बढ़ती जा रही है। छात्रों के अभिभावक क्षुब्ध हैं। यदि परीक्षा नहीं हुई, तो छात्रों का वर्ष बरबाद हो जायेगा।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए शिक्षा मंत्री से अपेक्षा करता हूं कि छात्रों की पी0 टी0 की परीक्षा की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के अन्तर्गत बरौत से बिठौली मार्ग की मरम्मत की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में तहसील हड़िया के अन्तर्गत बरौत से बिठौली मार्ग जिस पर सरकार की तीन रोडवेज बस चला करती हैं। सड़क की इतनी खराब दुर्दशा हो गयी है कि शासन अगर यह सड़क बरसात से पहले नहीं बनवाती है तो सरकारी बसों का आना जाना बन्द हो जायेगा, क्योंकि एक पुलिया भी बरौत के पास टूट कर ध्वस्त हो गई है। इन बसों के बन्द हो जाने से सरकार की लाखों रुपया की आमदनी पर भी पानी फिर जायेगा तथा जनता को आने जाने में भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। इस सड़क के खराब हो जाने से 25 हजार जनता के आवागमन का साधन कोई नहीं रह जायेगा तथा 25 हजार जनता का भविष्य खतरे में पड़ गया है। जनता में असंतोष व्याप्त हो गया है। अत: मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन करता हूं कि तत्काल इस ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जिला अस्पताल, उन्नाव में डाक्टरों की लापरवाही से मरीजों के समक्ष उत्पन्न संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, आपके माध्यम से अति लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :—

उन्नाव जनपद में सी0 एम0 ओ0 तथा चिकित्सा अधीक्षक डा0 डी0 एन0 श्रीवास्तव की लापरवाही व मरीजों के साथ बरती जा रही उपेक्षात्मक नीति के कारण एक मात्र जिला चिकित्सालय (राजकीय), उन्नाव की हालत दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। अस्पताल में उपचार हेतु आने वाले मरीज चीखते चिल्लाते रहते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती। गत 21 मई, 79 को एक महिला, जिसके पेट में बैल ने सींग मार दिया था और उस की अंतड़ियाँ बाहर निकल आई थीं, उपचार हेतु अस्पताल आई परन्तु अस्पताल में कोई भी डाक्टर उपस्थित नहीं था। काफी देर तक उक्त महिला पड़ी तड़पती रही पर कोई देखने सुनने वाला नहीं मिला। इसके बाद साथ में आए परिवार के लोग जब चिकित्सा अधीक्षक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला अस्पताल, उन्नाव में डक्टरों की लापरवाही से मरीजों के समक्ष उत्पन्न संकट के विषय को विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान म लाना

के पास गए तो उन्होंने उन व्यक्तियों को बुरी तरह से फटकारा और भगा दिया। काफी कहने-सुनने और अनुनय विनय करने पर एक चिकित्सक ने महिला की पेट की आँतें जो बाहर निकली थीं, उन्हें वैसे ही अन्दर करके टाँके लगा दिए और कानपुर रवाना कर दिया। इसी प्रकार एक युवक के किसी ने चाकू मार दिया था वह भी उपचार हेतु अस्पताल आया पर उसें भी चिकित्सा सहायता न पहुंचा कर कानपुर रवाना कर दिया। मरीजों को आम शिकायत है कि अस्पताल में न तो मरीजों की देखभाल होती है और न ही उन्हें वाँछित दवाएं ही मिल पाती हैं। उन्नाव जिला अस्पताल के डाक्टरों के अमानवीय व्यवहार से जनपद की जनता में घोररोष एवं असंतोष व्याप्त है।

(सदन में काफी शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन में शान्ति रखें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

अति लोकमहत्व के उपरोक्त विषय की ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह उन्नाव के एक मात्र राजकीय जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था व लापरवाही की ओर अबिलम्ब ध्यान देंगे और तुरन्त प्रभाव कार्यवाही करेंगे, ताकि जनता में बढ़ रहे असन्तोष समाप्त हो सकें।

गूलर भोज (नैनीताल) में प्रस्तावित कागज के कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, उद्योग विभाग को एतद्द्वारा यह सूचित करना चाहता हूं कि जनपद नैनीताल के चिर उपेक्षित और पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें तराई भावर क्षेत्र के आदिवासी अनुसूचित जनजाति के बोक्सा-किसानों, पर्वतीय जिलों के विस्थापित खेत मजदूरों, हरिजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवार बसे हुये हैं, उसके ग्राम केन्द्र गूलर भोज (नैनीताल) में एक बड़ा कागज बनाने का कारखाना लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिया है। कई करोड़ की लागत से लगने वाला उपरोक्त भारी उद्योग वन सम्पदा पर आधारित होगा, जिसके लिये गूलरभोज से लाल कुआँ तक 14 मील लम्बा और 10 मील चौड़े विशाल वन क्षेत्र में यूकेलिप्टस नामक पेड़ों के घने जंगल प्रौढ़ावस्था में प्रस्तुत हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 10 वर्ग मील भूमि पर उपरोक्त वृक्ष के प्लान्टेशन, जो क्रमशः 2–3–4 साल में परिपक्व हो जायेंगे उपलब्ध हैं। उपरोक्त वृक्ष विशेष से उत्तम श्रेणी के कागज का उत्पादन होता है। गूलरभोज तथा लाल कुआँ दोनों ही रेलवे स्टेशन हैं और मोटर मार्गों से जुड़े हुए है। इस क्षेत्र में ट्यूबवैल तथा आर्टीजनवैल बहुत कामयाब हैं और प्रस्तावित फैक्टरी के गंदे पानी के निकास के लिये गूलरभोज में भाखरा नदी तथा लालकुंवाँ के समीप गौला नदी मौजूद है, जिसका पानी पीने के काम में नहीं आता, क्योंकि लोग हैण्ड पम्प तथा ट्यूबवेलों का पानी पीते हैं। अतएव उक्त दोनों स्थानों में क्रमशः पल्प फैक्टरी पेपर मिल लगाया जाना कच्चे माल की निकटतम सुलभता की दृष्टि से जनहित में होगा। विदित हुआ है कि बिड़ला बन्धु अब उपरोक्त कारखाने को मैदानी जिलों में लगाना चाहते हैं। इस खबर के फैलते ही नैनीताल जिला तथा समीपवर्ती अन्य पर्वतीय जिलों की जनता में बेचैनी और आक्रोश की भावना व्याप्त हो गयी है। पर्वतीय जिलों की वन सम्पदा के दोहान से चलने वाले सभी उद्योग अब तक बरेली तथा सहारनपुर में स्थापित हुए है, परन्तु अब पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र की जनता इस स्थिति को अधिक बरदाश्त करने को

[श्री राम दत्त जोशी]

तैयार नहीं है कि वन सम्पदा पर आधारित उद्योग पर्वतीय जिलों से बाहर लगे और स्थानीय जनता के लिए उपयोगी और पर्वतीय क्षेत्र के विकास में सहायक न हों। अतएव केन्द्रीय सरकार से प्रबल अनुरोध किया जाये कि उक्त कागज का कारखाना नैनीताल जिले में उपयुक्त स्थान पर लगे। मैं एतत्द्वारा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को नोटिस देता हूं कि यदि उपरोक्त कारखाना अन्यत्र लगाया गया तो मेरे जिले की जनता एतदर्थ आवश्यक वन सम्पदा को जिले से बाहर न जाने के लिए निरन्तर सत्याग्रह आरम्भ कर देगी।

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जायगा जो आप बोल रहे हैं।

फिरोजाबाद में नगरपालिका द्वारा एकत्रित कूड़े में आग लग जाने से कतिपय चूड़ी की भट्ठियों के जल जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में दिनाँक 21–5–79 को सायंकाल 6 बजे नगरपालिका के डाले हुए–कूड़े में आग लग जाने से पैसेश्वर गेट पर स्थित 12 चूड़ी पकाई भट्ठियों में आग लग गयी, जिससे श्री ओम प्रकाश शर्मा की तीन पकाई भट्ठियाँ, हरिबिलास शर्मा की दो पकाई भट्ठियाँ, श्री मुद्दे फूल सिंह, रामवीर सिंह, आदि की पकाई भट्ठियाँ जल कर राख हो गयीं, जिससे दसियों हजार का नुकसान हुआ और सामान जल कर नष्ट हो गया है जिससे 12 पकाई भट्ठियाँ के मालिकान हमेशा के लिये बरबाद हो गये। इनकी पुनर्वास की समस्या है।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त आग से नष्ट हुए चूड़ी पकाई भट्ठी मालिकों को आग से हुई क्षति का समुचित मुआविजा देकर उन्हें खड़ा करेंगे ताकि वह अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। यदि तत्काल सहायता नहीं दी गयी तो उनकी तथा श्रमिकों की हालत खराब ही नहीं बल्कि बहुत बुरी हो जायगी।

ग्राम अतरौली, जिला सुल्तानपुर में हरिजनों के घरों को सामन्तों द्वारा जलाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिवरन यादव (जिला सुलतानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं सम्मानित सदन का ध्यान आपके माध्यम से अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, दिनाँक 20 मई, 1979 को समय लगभग 11 बजे दिन में ग्राम अतरौली वि0 क्षे0 जामो, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के 24 घर हरिजन, 17 घर कहार तथा एक घर मौर्य और एक घर अहिर का गाँव के सामन्तों द्वारा जला दिया गया है। उस गाँव में मजदूरी का विवाद था, गाँव के हरिजन 6 पाव मजदूरी पर काम नहीं करते थे, 10 पाव की माँग करते थे न पाने पर काम करने से इनकार कर दिया था। उससे क्रुद्ध हो करके गाँव के सामन्त शितलू व मोतीलाल हरिजन को मकान के अन्दर बन्द कर दिया तथा पूरे गाँव में आग लगा दी। आग लगने के बाद श्री दान बहादुर सिंह प्रधान अमर बहादुर सिंह, जंग बहादुर सिंह व जयकरन सिंह बन्दूक लिये खड़े थे और धमकी दिया कि यदि कोई व्यक्ति आग बुझाने

नोट—[× × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रयास किया तो गोली मार दूंगा। पूरा गाँव की होली सामन्तों द्वारा जलायी गयी। शितलू व मोतीलाल जल कर झुलस गये हैं और मरणासन्न अवस्था में जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में भर्ती हैं। मान्यवर, यह घटना बिहार की बिलछी काँड का स्मरण दिलाती है। गाँव के लोग जिनका मकान व सारी सम्पत्ति जल कर राख हो गयी है। आज पेड़ के नीचे बैठ कर भूखों से कराह रहे हैं। सामन्तों के आतंक से आसपास के गरीब हरिजन आतंकित हो उठे हैं। जलने वालों में श्री शितलू, श्री रामफेर विधायक, जगदीश के साले बताये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से माँग करता हूं कि उस घटना की तत्काल उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। उत्पीड़ित लोगों की सहायता तत्काल की जाय तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में उस घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य भी देने का निर्देश दिया जाय।

मान्यवर, इस प्रकार की घटना शायद उत्तर प्रदेश में पहली है। बिहार में तो सुनने में आयी थी। इस लिये निर्देश करें कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस घटना के सम्बन्ध में सदन के अन्दर वक्तव्य दें।

रामस्वरूप ग्राम उद्योग इन्टर कालेज, पुखरायां, जनपद सीतापुर के कक्षा 11 के हरिजन छात्रों द्वारा फीस न देने के कारण परीक्षाफल रोक दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)--

महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्री राम स्वरूप ग्राम उद्योग इन्टर कालेज पुखरायाँ, जनपद कानपुर के हरिजन छात्रों में व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया है क्योंकि इस इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य ने 10 हरिजन छात्रों के जो इन्टर क्लास 11 के विद्यार्थी हैं, परीक्षा फल रोक दिया गया है और रुपया 2.95 प्रति माह के हिसाब से शुल्क लेते रहे हैं। अब उनका यह कहना है कि जब तक प्रत्येक छात्र 8 रुपया प्रति माह के हिसाब से पूरे साल का शिक्षा शुल्क नहीं जमा कर देगा उसे परीक्षा फल नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, इस प्रकार हरिजन छात्रों से इस कालेज में फीस वसूल की जाती रही है और अब वसूल की जा रही है। प्रतिभावान छात्रों को फीस न अदा करने के कारण फेल कर दिया जाता है। हर साल इसी प्रकार से हरिजन छात्रों के साथ पक्षपात करके उनके भविष्य को बिगाड़ा जाता है। अर्थाभाव की कठिनाइयों के कारण पढ़ना बन्द हो जाता है। कुछ बालकों को जो वहाँ के प्रिन्सिपल से अपना लेन देन कर लेते हैं उन्हीं को वजीफा मिलता और फीस माफ की जाती है। यह भेदभाव बन्द किया जाय और उन्हें परीक्षा फल दिखाया जाय तथा शिक्षा शुल्क से मक्त किया जाय अन्यथा वहाँ का हरिजन छात्र आन्दोलन के लिये तैयार हो रहा है। स्थिति भयंकर हो सकती है और इस प्रकार के हरिजनों के साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार की घटना का असर पूरे जिले में फैल सकता है तथा आन्दोलन का रूप भयंकर हो जायेगा। अत: सरकार इस इन्टर कालेज की असमानता की नीति को दूर करने का प्रयास करे और छात्रों को परीक्षाफल तुरन्त दिलाने की व्यवस्था करें ताकि आन्दोलन का रूप धारण न हो सके।

कानपुर के गेहूं क्रय केन्द्र रूरा, झींझक व अकबरपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रभुदयाल यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, कानपुर जनपद में गेहूं क्रय केन्द्रों में कृषकों को गेहूं बेचने में अनेकों प्रकार की बाधायें डाल कर अधिकारी वापस कर देते हैं अथवा उचित मूल्य नहीं देते हैं। यह अनियमित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभूदयाल यादव]
कार्य खास तौर से झींझक व रूरा के क्रय केन्द्रों में है। इस सन्दर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री व सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। दिनांक 20-5-79 को श्री भगवान दीन कुशवाहा, क्षेत्रीय विधायक ने एक रिपोर्ट क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक क्रय केन्द्र झींझक के एस0 एस0 आई0 के विरुद्ध धारा 420/467/468/471, भा0 दं0 वि0 की धारा में थाना डेरापुर, जनपद कानपुर में दर्ज कराई है तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एस0 एम0 आई0 ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है और कागजात फर्जी तरीके से तैयार किए हैं और कृषकों को नुकसान पहुंचाया है, उल्लिखित है किन्तु उपरोक्त एस0 एम0 आई0 के विरुद्ध अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान गेहूं क्रय केन्द्र, रूरा झींझक अकबरपुर की ओर दिलाना चाहता हूं तथा अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूं।

इलाहाबाद में होने वाले उप चुनाव में जिला प्रशासन द्वारा नकास कोने में सभा करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं 301 के अन्तर्गत आपके द्वारा एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इलाहाबाद जनपद के पश्चिमी क्षेत्र में उप चुनाव हो रहा है। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को नकास कोने पर चुनाव सभा करने पर इलाहाबाद के जिलाधिकारी ने धारा 144 लगाकर रोक लगा रखी है जिसके कारण पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं और नागरिकों में आतंक व्याप्त है। इलाहाबाद में जोरों की चर्चा है कि जनता सरकार तानाशाही पर उतारू हो रही है।

यह भी सत्य है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ इस तरह की रोक चुनाव सभाओं पर कभी भी नहीं लगायी गयी थी। नकास कोना पश्चिमी क्षेत्र का मुख्य स्थान होने के कारण क्षेत्र के सभी भाग के लोग प्रतिदिन वहाँ आते रहते हैं। जब कि इलाहाबाद में किसी प्रकार का कोई विवाद या तनाव नहीं है। सर्वत्र शान्ति है। ऐसी स्थिति में नकास कोने पर चुनाव सभाओं पर रोक लगाना अलोकतांत्रिक है। मान्यवर, कृपया सरकार को आदेश दें कि रोक लगाने की कौन एसी आवश्यकता आ गयी है और जिलाधिकारी क्यों अलोकतांत्रिक रवैया अख्तयार करके जनता सरकार की छवि धूमिल करने पर तुले हैं। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को आदेश करें कि नकास कोने पर चुनाव सभाओं पर लगी रोक को तत्काल हटाकर जनता में फैले आतंक को समाप्त करें, निष्पक्ष चुनाव होने दिया जाय। मतदाताओं और नागरिकों के अधिका र को पूर्णरूप से उपयोग करने दिया जावे।

आज सदन से दो सदस्यों को निलम्बित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय अजीत सिंह सेठी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए बुला लिया है। आप कृपया बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, यह सदन एक परिवार की तरह से है और आप इसके मुखिया हैं। इसमें जब माननीय सदस्यों को कोई पीड़ा या दिक्कत होती है तो उसके लिये आपके पास ही आ सकते हैं, किसी दूसरे के पास नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज जो सदन में घटनायें हुयी, यह हम मानते हैं कि आपके नर्म हृदय में सारे सदस्यों के लिए स्थान है और उसी कारण से मैं यह बात आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। क्या यह उचित नहीं है कि आप नेता, उपनेता या अन्य हमारे अधिकारी जिस जिस दल के हैं, जैसा कि पहले भी इस सदन के अन्दर होता आया है, जब कुछ शोर शराबा या गड़बड़ी होती है; उनको प्रेरणा देते कि आप अपने सदस्यों को समझायें लेकिन आज आपने कोई ऐसी बात नहीं कही, कोई व्यवस्था नहीं दी जिसके कारण जिन माननीय सदस्यों के मन में पीड़ा थी कल के अलीगढ़ के सम्बन्ध में भाषण को सुनकर, भले ही वह गलत हों। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित नहीं था कि आप हमारे नेता, उप-नेता या अन्य जो अधिकारी हैं, उनको प्रेरित करके उनको उठाने का प्रयास कराते। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है कि जिससे सदस्यों की इस तरह आये दिन इज्जत में कमी होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस समय आप भी तो सदन में मौजूद थे, आपके उपनेता भी सदन में थे तो उनको आप रोक सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, जब एक मसले पर आपकी व्यवस्था हो गयी तब उस पर आप बोलने की इजाजत क्यों देने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वही तो मैं कहने जा रहा हूं। जब सदन का इस बारे में एक निर्णय हो चुका है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। फिर भी, यदि इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो माननीय नेता सदन से बात कर लें और फिर सदन कोई निर्णय ले लेगा।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, कई बार पहले और कल भी मैंने कहा था कि नियम 301 में जो भी प्रश्न उठाये जाते हैं या सदन के संज्ञान में लाये जाते हैं उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि एक सप्ताह में अंतरिम उत्तर दिया जाय और फिर बाद में पूरा उत्तर दिया जाय। मान्यवर, भिन्गा तहसील में 10 गाँवों में जो आग लगी थी उसके बारे में एक सूचना मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाया था . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का या औचित्य का प्रश्न नहीं। यदि आपको कोई सूचना नहीं मिली है तो आप सम्बन्धित मंत्री को लिख कर भेज दें और उसकी एक प्रति मेरे पास भी भेज दें, मैं देख लूंगा।

श्री राम दत्त जोशी के 21 मई, 1979 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर आधे घन्टे की कथित स्वीकृत चर्चा न कराये जाने पर आपत्ति

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी मई 21 को मेरे अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 4 पर काफी चर्चा होने के बाद यह निर्णय हुआ था कि इस पर आधे घंटे की चर्चा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदत्त जोशी]

स्वीकार की जाती है लेकिन आज 24 तारीख हो जाने के बाद भी उसका परिपालन नहीं हुआ और उस पर चर्चा के लिए सदन को वंचित रखा गया। तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आप हमारे कक्ष में आ जायें, यह विषय यहाँ उठाने का नहीं है, हम देख लेंगे कि क्या बात है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनाँक 5 मई, 1979 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनाँक 23 मई, 1979 को वापस प्राप्त हो गया है।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 मई, 1979 की कार्य सूची की नत्थी 'ग' के ताराँकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने असत्य वक्तव्य देकर सदन को गुमराह किया और विशेषाधिकार की अवहेलना की। माननीय श्री रवीन्द्र सिंह ने अपनी सूचना में ऐसा कोई आधार नहीं बताया जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझ कर कोई गलत बयानी की। अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहत संकलन (1952 से 1967) तक के पृष्ठ 526 के निर्णय संख्या 93 में कहा गया है कि.....

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक मिनट मान्यवर, मुझे सुन लें। यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर सदन को गलत सूचना न दी हो, पर जिलाधीश महोदय ने जो सूचना दी है वह बिल्कुल गलत है। जो मैंने प्रमाण दिया है उससे यह स्पष्ट है कि सूचना गलत दी है और इस तरह सदन को गलत सूचना देने के लिये दोषी अधिकारी के विपरीत आवश्यक कार्यवाही होना चाहिये। वरना हमारे विशेषाधिकार का क्या होगा ? गोरखपुर के जिलाधीश कहते हैं कि विद्यार्थियों को छोड़ दिया जब कि यह सत्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, अध्यक्ष पीठ से जब मैं निर्णय दे रहा हूं तो इस तरह बीच में टोकना गैर मुनासिब है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आप ऐसे निर्देश दे दें कि अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले निर्णय तो सुन लें।

"अपनी सूचना के आधार पर किसी मंत्री द्वारा सदन में कहीं गयी किसी बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।"

उक्त संकलन के पृष्ठ 479–480 पर भी निर्णय संख्या 2 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—"जानबूझ कर तथ्य को छिपाने पर ही किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषा-

धिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है।" जब तक इस परिणाम तक पहुंचने के लिये किसी सदस्य ने जानबूझ कर गलत बयानी की है हमारे पास पर्याप्त प्रमाण न हों तब तक सदन में दिये गये किसी वक्तव्य के गलत होने के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। अतः मैं श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। परन्तु मैं ऐसा निर्देश माननीय मुख्य मंत्री जी को देता हूं कि इसकी जाँच अवश्य करा लें और यदि कोई दोषी हो, तो उनको दण्डित करें।

विधान सभा के अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन तिथि की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना देता हूं। श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए दिनाँक 29 मई, 1979 को तिथि निर्धारित की है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम के उप नियम (2) के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम-निर्देशन-पत्र उचित रूप से प्रस्थापित तथा समर्पित किये जाकर 28 मई, 1979 के माध्याह्न (12 बजे दिन) के पूर्व सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष के चुनाव के बारे में कोशिश हमेशा यह की जाती रही है कि नेता सदन, अन्य नेताओं के साथ बैठ कर विचार-विमर्श करें ताकि यदि सम्भव हो, तो एक मत से हम स्पीकर का चुनाव कर सकें? मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि वह तमाम नेताओं को बुलाकर प्रयास करेंगे कि एक मत होकर किसी राय तक पहुंचा जा सके। 28 तारीख की जो आपने सूचना दी है, 28 तारीख को नामाँकन हो जायगा, आज 24 तारीख है अब तक कोई भी सलाह मशविरा मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया। नेता विरोधी दल के बारे में नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, हमारे दल में अभी तक कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी तो ह नहीं, शासक दल की जो राजनीति चल रही है, उस हिसाब से माननीय उप मुख्य मंत्री यहाँ पर कोई आश्वासन देने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से या उनकी गैरहाजिरी में माननीय उप मुख्य मंत्री नं0 1 और ऐक्टिंग मुख्य मंत्री श्री कौशिक से मैं निवेदन करूंगा कि क्या विरोधी पक्ष के लोगों का भी इसमें सलाह-मशविरा लिया जायगा ?

श्री राम आसरे सर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, इससे पहले यहाँ पर चुनाव की बात आई थी, मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट यह घोषणा की थी कि विरोधी पक्ष के तमाम नेताओं से बैठ कर बात करूंगा और एक मत से किसी एक उम्मीदवार का नाम चुना जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो उसको दोहरा रहे हैं, जो नेगी जी ने कहा।

श्री राम आसरे सर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी या जनता पार्टी के अन्य मंत्री इस बात से सहमत हैं? सदन को इस बात से अवगत करा दिया जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि किसी दल के अन्दर क्या होता है, मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा, क्या इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा चल सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब उन्होंने पहले इस सदन में कहा था माननीय मुख्य मंत्री ने कि जो विरोधी दल के माननीय नेता है, उससे भी हम विचार-विमर्श करेंगे, तो वह कह सकते हैं।

श्री राम आसरे शर्मा—

यहाँ पर जनता पार्टी की अन्दर की राजनीति के अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा है। जो कुछ हो रहा है जनता पार्टी की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, जनता पार्टी की राजनीति की बात कर रहे हैं, यह भी तो उसके शिकार हैं।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, जब बात पहले यहाँ पर अध्यक्ष के चुनाव के बारे में उठी थी, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था माननीय विरोधी दल के नेताओं से और पूरे सदन से कि जब वह इस मामले में निर्णय लेंगे, तो जो विरोधी दल के माननीय सदस्य है, नेता है, उनसे भी विचार विमर्श करेंगे और अपने दल के सभी सदस्यों से विचार विमर्श करेंगे। अब तक यह हो पाया है कि उसें में, नेगीजी का यह कहना सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में मैंने विचार विमर्श ही नहीं किया। नेता विरोधी दल से कल मैंने बातचीत की, लेकिन उनको कार्यवश बाहर जाना था तो उन्होंने कहा कि मेरे लिये तो सम्भव नहीं है पर मेरे मुख्य सचेतक से बात करें। आज 12 बजे के बाद उनसे बात करेंगे। माननीय नेगी जी और ऊदल जी से बात करने का प्रयास किया लेकिन वे बीमार हैं। नेगीजी के दल के एक प्रमुख सदस्य आज ही मेरे पास आये थे, उनसे विचार विमर्श हुआ है। जब किसी नतीजे पर पहुंचेगे तब नेता सदन भी नेता दलों से बात करेंगे। यह सदन पूरे सदस्यों को चलाना है और इस पद की गरिमा को ध्यान में रख कर तथा आम तौर पर नेता सदन, विरोधी दल के नेताओं के विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लेते हैं। सर्वमान्य चुनाव हो, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। इसमें अगर कोई कठिनाई होगी तो फिर, आपकी जो आज्ञा है, चुनाव की तिथि निश्चित हुई है उसी के अनुसार चुनाव होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक सूचना श्री रियासत हुसैन की है, जिसमें 10 मई, 1979 को अलीगढ़ में हुए दंगे के सम्बन्ध में सिविल लाइन थाना अलीगढ़ में दर्ज कराई रिपोर्ट तथा उस आधार पर की जाने वाली गिरफ्तारियों के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष के विषय में है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैंने एक बिलकुल नया मामला दिया है आप मुझे सुन लीजिये एक मिनट। प्रो-वाइस चाँसलर को नामजद किया गया है, जो लड़के चले गये यूनिवर्सिटी छोड़कर उनका नाम दर्ज कराया गया है और 20 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मैंने उस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है जो रिपोर्ट फर्जी लिखाई गयी है। तो इस संबध में मुझे मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गिरफ्तारी जो हुई है वह कानून के तहत हुई है।

*श्री रियासत हुसैन—

मेरा कहना यही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ,स्टेटमेन्ट दिया, उससे पहले 17 तारीख को दिया। वह सत्य के पीछे रह रहे हैं। लेकिन क्या पूरे देश और यह पूरा माननीय सदन इस बात का विश्वास रखे कि किसी विश्वविद्यालय का वाइस चाँसलर और प्रोवाइस चाँसलर इस किस्म के काग्नीजेबिल आफेंस के मुल्जिम होंगे। जिसकी वजह से देश और प्रदेश में, जिसमें माइनारिटी का सवाल है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कह दी, जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए वह एग्री नहीं करते अपना निर्णय वे देख लें। जैसा कहा गया कि कानून के मुताबिक एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी है। एफ0 आई0 आर0 थानेदार ने लिखी है। किसने लिखवाई है, पुलिस अधिकारी, इग्जीक्यूटिव आफीसर वहाँ गये। इससे बहुत ही खतरनाक वातावरण पैदा हो रहा है। तो क्या इस माइनारिटी की इस युनिवर्सिटी को खतम करने के लिये यह हो रहा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो दोनों उप-मुख्य मंत्री यहाँ बैठे हुये हैं, स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करें कि जो एफ0 आई0 आर0 लिखे गये हैं उनमें वाइस चाँसलर, प्रो वाइस चाँसलर के नाम नहीं हैं। मैं यह नियम 56 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

रिपोर्ट लिखी गयी जिसमें वाइस चांसलर, प्रो वाइस चाँसलर को भी मुल्जिम बनाया गया है। 600 व्यक्तियों के साथ उनको भी गिरफ्तार करने का अधिकार जिले के अधिकारियों को हो गया। मुख्य मंत्री के कहने के मुताबिक इससे देश और विदेश के अन्दर एजीटेशन फैलने वाला है। इसे नियम 56 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने कहा कि एफ0 आई0 आर0 वाइस चाँसलर और प्रो वाइस चाँसलर के खिलाफ की गयी। अगर इस बात को इस सदन में नहीं उठाया जायगा तो कैसे होगा ? माननीय सदस्य इसी बात को कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री का विचार एकाँगी है, साम्प्रदायिकता को भड़काने वाला है।

एक सदस्य—

अगर इनको यही सवाल उठाना था तो पहले अपना भाषण देते। उस समय तो यहाँ अपनी कुर्सी पर बैठ गये और उठकर चले गये, कोई विवाद नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा—

17 तारीख को एफ0 आई0 आर0 दर्ज है। वाइस चाँसलर और प्रोवाइस चाँसलर के खिलाफ किया जा रहा है। श्रीमन्, जो आपका निर्णय है वह हमको स्वीकार है। मेरा केवल इतना कहना है कि मुख्य मंत्री जी का जो दृष्टिकोण है वह एकाँगी है, साम्प्रदायिकता को भड़काने वाला है। यह माइनारिटी पर आरोप लगाया जा रहा है। इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की जाये। वे अपना बयान दिन प्रति दिन बदल रहे हैं। 17 को जो बयान दिया वह अब नहीं रहा।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, मान्यवर। अभी प्रस्ताव नहीं आया। इन्होंने कहा कि युनिवर्सिटी में जो कार्यवाही हो रही है, उसकी देश और विदेश में प्रतिक्रिया हो रही है। मैं व्यवस्था चाहूंगा कि इन्होंने देश और विदेश की प्रतिक्रिया की चर्चा की। इन्हें विदेश की प्रतिक्रिया की क्या जानकारी है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इसको स्वीकार नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा---

पाकिस्तान क्या विदेशों से अलग है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मेरी बात सुन लें। शासन के दो-दो उप मख्य मुख्य मंत्री मौजूद हैं, और वह इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि वह घोषणा करें कि वाइस चाँसलर और प्रो वाइस चांसलर टीचिंग स्टाफ रिपोर्ट में नहीं है। अगर उनमें मारल करेज हो तो कहें। वाइस चाँसलर, प्रो वाइस चाँसलर टीचिंग स्टाफ के लोगों को गिरफ्तार करके यह यूनिवर्सिटी खत्म कर दी जाय, देश की माइनोरिटीज के जजबातों को ठुकराना चाहते हैं। इसलिये मैं पूरे सत्र के लिये इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गुलाब सेहरा---

श्रीमन्, कोई वजह नहीं है, केवल माइनारिटीज पर आरोप लगाये जाते हैं। लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। मैं आपके निर्णय के विरोध में 5 मिनट के लिये सदन त्याग करता हूं।

(श्री गुलाब सेहरा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त (जिला सीतापुर)---

मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, अगर कांग्रेस के लोग वाक आउट कर गये तो मामला समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---

दूसरी सूचना नियम 56 में श्री अश्वनी कुमार चतर्वेदी 'राकेश' ने दी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि हम सब लोग चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता का तनाव खत्म हो। अलीगढ़ के अन्दर स्थिति नारमल हो। मेरा निवेदन है कि जो सूचना रियासत साहब ने दी अगर वह सही है कि वाइस चाँसलर और प्रो0 वाइस चाँसलर के नाम रिपोर्ट में है उनका दंगों में हाथ दिखाया गया है तो यह बात बहुत गंभीर है। इससे भयंकर बात नहीं होगी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि या तो आप घंटे दो घंटे की चर्चा करवा दें या आप मुख्य मंत्री को इस तथ्य के बारे में वक्तव्य देने के लिये कहें कि वह सदन को सूचित करें। अगर वाइस चाँसलर और प्रो0 वाइस चाँसलर गिरफ्तार हो जायं तो जो तनाव वहाँ चल रहा है उसमें आग में घी का काम करेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी विशेष साम्प्रदायिक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर उनकी गिरफ्तारी एफ0 आई0 आर0 की बुनियाद पर हो जाती है तो जो स्थिति पैदा हो जाय गी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं? मुख्य मंत्री जी इसके बारे में हाउस को सूचित करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, यह मसला गंभीर है। जिस समय अलीगढ़ मुख्य मंत्री गये थे तो उस समय वाइस चाँसलर और प्रो वाइस चाँसलर उनसे मिले थे और मुख्य मंत्री ने शाँति व्यवस्था के संबंध में उनकी सराहना की थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—
मान्यवर, यह कैसे बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मान्यवर, यह जो आपके निर्णय पर बोला गया है यह कार्यवाही से कटवा दीजिये। जो व्यवस्था पर बोला गया है उसको कार्यवाही से निकला दीजिये। यह गलत परम्परा पड़ती जा रही है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—
बिल्कुल सही ह, मैं भी सही कहता हूं।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—
मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप कम से कम चन्द्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय, कानपुर के संबंध में एक वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—
मैंने इसे अस्वीकार किया है। लेकिन इसे सरकार के पास मैं भेज दूंगा।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 71––विद्युत विभाग तथा अनुदान सख्या 126––विद्युत विभाग–ऋण और अग्रिम

विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71––विद्युत विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 126––विद्युत् विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,25,51,000 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जैसा कि इस सदन को विदित ही है कि सन् 1979–80 का वर्ष उत्तर प्रदेश के विद्युत् इतिहास में एक यथार्थ माने रखता है। इसके पहले काफी इसी उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली की कटौती होती रही है और इसके लिये पिछला शासन काफी हद तक जिम्मेदार रहा है। मा0 नेता विरोधी दल मौजूद नहीं हैं, उप नेता विरोधी दल मौजूद हैं, वह हमारे मित्र भी हैं। यह स्वयं भुक्तभोगी हैं और नेता विरोधी दल का उद्धरण बाद में मैं दूंगा। उन्होंने लिखा है कि वह स्वयं भुक्तभोगी थे। मान्यवर, जो कष्ट इस प्रदेश को 3–4 सालों में वहन करना पड़ा जिसके कारण यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग प्रभावित हुये और उसी के साथ-साथ यहाँ की उत्पादन क्षमता में भी कमी आयी थी लेकिन खुशी है कि जबसे जनता पार्टी की सरकार बनी है और खासतौर से 1978–79 के समय में हमने कोई कटौती नहीं किया है। और अविरल गति से हम प्रदेश में उतनी बिजली शहर और उद्योगों में दे रहे हैं। जितनी पिछले 10 वर्षों में कभी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी उपलब्धि एक विशेष माने रखती है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे से लेकर 21 घंटे और आजकल 24 घंटे अविरल गति से बिजली दे रहे हैं जिसका नतीजा है कि जो थ्रैशिंग सीजन होने के बावजूद भी 70–75 फीसदी मड़ाई हमारे प्रदेश में हो चुकी है और किसानों के घरों में गल्ला पहुंच गया है। सरकारी और प्राइवेट ट्यूबवेलों को हमने

[श्री रेवती रमण सिंह]

इतनी अधिक इस वर्ष बिजली दिया कि उससे खाद्यान्न में बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी हुई है और इसलिये खाद्यान्न में हमारा प्रदेश एक रेकार्ड उत्पादन रखता है।

मान्यवर, हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ-साथ दुनिया में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद, राजनीतिक चेतना होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से, श्री श्यामधर जी बैठे हैं बहुत कुछ इनकी भी जिम्मेदारी रही है, हमारा प्रदेश निरन्तर न केवल विद्युत में बल्कि आर्थिक मामलों में भी जहाँ ऊपर से पाँचवें स्थान पर था वह विगत 30 वर्षों में नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आज के मुख्य मंत्री बराबर रहे कांग्रेस में। वह भी जिम्मेदार हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

यह बात माननीय श्याम धर जी कह सकते हैं। उसमें मुझे गतिरोध पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, माननीय श्यामधर जी उस जिम्मेदारी से अपने को बचा नहीं सकते हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जहाँ तक आर्थिक मामलों में हमारा प्रदेश पिछड़ा रहा, उसी तरह से विद्युत् के मामले में भी हमारा प्रदेश काफी पीछे हैं। मान्यवर, मैं कुछ आँकड़े दूंगा, जिससे पता चलेगा कि आज और दूसरे प्रदेशों की तुलना में क्या स्थिति है। मान्यवर, 76–77 में हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत् का उपभोग केवल 85.9 इकाई था जबकि अखिल भारतीय औसत 119.4 था। इससे साफ जाहिर होता है कि जो आल इंडिया एवरेज था, उससे कहीं नीचे हमारे प्रदेश का औसत रहा है। अब मैं कुछ और प्रदेशों से तुलना करके प्रदेश की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं जहाँ विद्युत् का उपयोग काफी ऊंचा था हमारे प्रदेश की तुलना में जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में यह क्रमशः 241.5, 199.7, 192.3 और 174 यूनिट तक पहुंच चुका था। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय और संगरौली कोल माइन के होते हुये भी उनकी ठीक से उपभोग नहीं किया गया था। नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे प्रदेश में बिजली की कमी निरन्तर बढ़ती गयी और उसी का परिणाम रहा है कि सन् 76 में जबकि डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, विद्युत् मंत्री थीं, तो पूरे प्रदेश में यहाँ तक तक अस्पतालों और कालेजेज तथा यूनिवर्सिटीज में एक्जामिनेशन के टाइम में भी बिजली नहीं मिल सकी और पूरे प्रदेश में हाहाकार मच रहा था।

मान्यवर, चौथी पंचवर्षीब योजना के अन्त में हमारी अधिष्ठात्री क्षमता 1674 मेगावाट है—660 मेगावाट पनघरों से और 1074 ताप बिजली घरों से। पाँचवीं योजना की अवधि में 1308 मेगावाट थी—468 मेगावाट पनघरों से तथा 840 ताप बिजली घरों से वृद्धि हुयी। इस प्रकार पाँचवीं योजना के अन्त में प्रदेश की अधिष्ठापित क्षमता 2982 मेगावाट (1068 मेगावाट जलीय तथा 1914 मैगावाट तापीय) हो गई। इस अवधि में मुख्य पारेषण तन्तु पथ में 2014 सर्किट किलोमीटर तथा द्वितीय पारेषण तन्तुपथ में 2443 सर्किट किलोमीटर की वृद्धि की गयी। जाहिर है कि पिछले दो वर्षों में काफी वृद्धि हुई, पिछले 28–30 साल के मुकाबले में। इस योजना काल में ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों व हरिजन बस्तियों की संख्या जो चतुर्थ योजना के अन्त में 29,765 तथा 5,860 थी में क्रमशः 5261 (ग्राम) तथा 5036 (हरिजन बस्तियों) की वृद्धि हुई। इसी प्रकार उर्जित नलकूपों की संख्या में जो मार्च, 1974 के अन्त में 2,16,446 थी में 67,161 की वृद्धि इस योजना अवधि में की गई। इस प्रकार मार्च, 1978 के अन्त में

प्रदेश के 1,12,561 ग्रामों में से 35,025 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका था (लगभग 31 प्रतिशत), 10,996 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की जा चुकी थी और 2,83,600 निजी नलकूपों/पम्पसेटों का विद्युतीकरण हो चुका था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की उपर्युक्त उपलब्धियाँ 835.45 करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध प्राप्त की गई थी। इसमें 496.57 करोड़ रुपया विद्युत उत्पादन, 270.86 करोड़ रुपया पारेषण एवं वितरण व 56.87 करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण के मद में प्रयुक्त हुआ। सन् 1978–79 का वर्ष हमारे लिये उपलब्धियों का वर्ष रहा है। वार्षिक योजना 1978–79 के अन्तर्गत अधिष्ठापित क्षमता में 200 मेगावाट की वृद्धि, मुख्य तन्तु पथ में 1608 सर्किट किलोमीटर और द्वितीय में 1445 सर्किट किलोमीटर, 40000 निजी नलकूपों/पम्पिग सेटों का ऊर्जन तथा 4870 गाँवों और 4170 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था। इससे संबंधित वित्तीय परिव्यय 275.89 करोड़ रुपये था जिसमें से विद्युत् उत्पादन में 139.5 करोड़ पारेषण एवं वितरण में 97.54 करोड़, ग्रामीण विद्युतीकरण में 37.38 करोड़ तथा सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान में 1.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। 14 जनवरी, 1979 को ओबरा की 200 मेगावाट की दूसरी इकाई चालू हो जाने से अधिष्ठापित क्षमता में अपेक्षित वृद्धि पूरी हो गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में 1197 ग्रामों में और 1366 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया। 24254 निजी नलकूपों/पम्पिग सेटों का ऊर्जन किया गया। 1979–80 की वार्षिक योजना में विद्युत् परिषद्/प्रादेशिक सरकार द्वारा 355.33 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित की गई थी जिसकी समीक्षा कर केन्द्रीय सरकार के कार्यकारी दल द्वारा 249.3 करोड़ रुपये की संस्तुति की गई थी और अभी प्रादेशिक सरकार द्वारा 260.25 करोड़ रुपये के अनुमोदन की आशा है। इसके अलावा 30 लाख रुपये का प्राविधान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के लिए भी अपेक्षित है।

मान्यवर, मुझे इसमें यह कहना है कि पिछले वर्ष जितना आवंटन किया गया था, उससे कहीं ज्यादा हमने खर्च किया है, पूरा का पूरा पैसा खर्च करने के बाद 6 करोड़ रुपया अपने खर्चों में से बचाकर उन योजनाओं में लगाया, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस साल अगर केन्द्रीय सरकार हमारे खर्चों में कटौती करती है, प्लानिंग कमीशन अगर हमें उतना पैसा खर्च करने को नहीं देता है जितना हमने माँगा है, तो स्थिति आने वाले दिनों में अच्छी नहीं रहेगी, इसकी मैं चेतावनी देना चाहूंगा। खास तौर से उधर बैठे हुए सदस्यों से और इधर भी, दोनों तरफ के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में सरकार का पूरा-पूरा साथ दें जिससे प्लानिंग कमीशन से हम अपना प्रस्तावित व्यय ले सकें। मान्यवर, लेकिन कहते थे कि "एनर्जी इज दि वे टु सोशलिज्म।" मैं कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति में बिजली अपरिहार्य अंग हो गई है। जिस तरह से आदमी भोजन करता है, अन्य दैनिक क्रियाओं का उपयोग करता है, इसी प्रकार से आज बिजली, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उतनी ही नितान्त आवश्यक है जितनी कि अन्य चीजे है। ऐसी स्थिति में जबकि हमारा प्रदेश पहले से ही काफी पिछड़ा हुआ है, हम आशा करते हैं कि आने वाली पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रस्तावित मदों में कोई कमी नहीं होने पाएगी। 1979–80 की वार्षिक योजना के बारे में मैंने बताया। वर्ष 1979–80 की वार्षिक योजना के लिये अपेक्षित उपरोक्त 260.55 करोड़ रुपये का परिव्यय अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। शासन/परिषद् द्वारा चेष्टा की जा रही है कि विद्युत् के महत्व और प्रदेश में विद्युत् की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए कम से कम गत वर्ष के समतुल्य आवंटन अवश्य प्रदान किया जाए। उपरोक्त परिव्यय क समक्ष प्रस्तावित लक्ष्यों में 236 मेगावाट की नई अधिष्ठापित क्षमता का सृजन शामिल है जिसमें 200 मेगावाट ओबरा तापीय विस्तार की तृतीय इकाई और गढ़वाल-ऋषिकेश-चिल्ला

[श्री रेवती रमण सिंह]
जल विद्युत् इकाई शामिल है । 50000 निजी नलकूपों का ऊर्जन और 3954 ग्रामों तथा 3945 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी प्रस्तावित है । उपरोक्त 50000 नलकूपों में से 31800 वार्षिक योजना के अधीन और 18200 नान-प्लान कार्यक्रम के अन्तर्गत है ।

मान्यवर, इसमें एक बात बताना चाहूंगा, गुलाब सेहरा जी भी जिस समुदाय से आते हैं और उनकी पार्टी बार-बार दुहाई देती आती है कि हरिजनों का नुमाइन्दा अगर कोई है तो उन्हीं की पार्टी उसकी नुमाइन्दगी करती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पिछले दो वर्षों में जितना पैसा खर्च किया, उनके समय से तीन गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और जितना इन्होंने हरिजन बस्तियों पर व्यय किया उसका तिगुना हम इस साल करने जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि बात करना तो इनकी पार्टी को खूब आता है, हरिजनों के लिये घड़ियाल के आँसू तो खूब रोया करते हैं लेकिन जहाँ काम करने की बात आती है, आँकड़े बताते हैं कि इस मामले में इन्होंने कुछ किया नहीं हैं और पिछले 30 सालों में जिस गति से इन्होंने विद्युतीकरण योजना को ग्रामों में और हरिजन बस्तियों में शुरू किया, उस हिसाब से अगर लगाया जाए तो आने वाले 30–40 वर्षों में 105712 गाँवों में बिजली पहुंचाना संभव न होता। हमने जो योजना बनाई है, हम चाहते हैं कि आने वाले 8 वर्षों के अन्दर प्रत्येक गाँव में हम बिजली सुलभ करा दें। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब ने 4–5 साल में किया है, हमारे प्रदेश में काम अवश्य हुआ है लेकिन हम चाहते हैं कि 8 वर्षों में सब गाँवों और हरिजन बस्तियों में हम बिजली सुलभ करायें। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और बराबर हम केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे खर्चे में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, इस साल आपूर्ति व्यवस्था के बारें में भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। सन् 1974 में.... गुलाब सेहरा जी अब चले जा रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी है कि नहीं ? दिल्ली चले गये है। मुश्किल तो यह है कि नेता विरोधी दल दिल्ली और यहाँ के बीच में जाते रहे हैं यहाँ रहते नहीं है। आगरा जा रहे हैं.....

श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी)—
राज मंगल पाँडेय जी को बैठा दीजिए.....

श्री रेवती रमण सिंह—
मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि सन् 1974 में माननीय गुलाब सेहरा जो भी इसी सदन के सदस्य थे और इत्तफाक से वह इधर ट्रजरी बेन्चेज में बैठा करते थे उस समय की जो बिजली की स्थिति थी उसे वह जानते होंगे। मैं जानता हूं कि वह सही बात को कबूल करेंगे चाहे वह इनकी पार्टी के हित में हो या न हो।

प्रदेश के विद्युत व्यवस्था में गत वर्ष एक सराहनीय सुधार हुआ है जबकि पिछले कुछ वर्षों से गरमियों के महीनों में भारी विद्युत संकट प्रदेश को घेरे रहता था। आज कृषि, उद्योग तथा अन्य सभी वर्गों में जो विद्युत उपभोक्ता है संतोष की लहर व्याप्त है। आज बंगाल और बिहार में घोर विद्युत संकट व्याप्त है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ तक कि कर्नाटक जो सरप्लस स्टेट्स थे, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम स्टेटों में आज बिजली की कटौती है । लेकिन इस बात का गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कटौती बिजली में नहीं है। केवल शैड्यूल तीन घण्टे कटौती है। मुझे याद है गरमियों के दिनों में गुलाब सेहरा जी जिस शहर से आते हैं, आगरा से, वहाँ 8 बजे से 10 बजे तक दो घण्टे बिजली बन्द कर दी जाती थी लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि इस वक्त प्रदेश में कही भी कटौती नहीं की गई है और दो घण्टे तो क्या एक घण्टे के लिए भी हमने कहीं भी कटौती नहीं की है। निरन्तर बिजली न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जा रही है जहाँ कहा करते थे कि सिंचाई के लिए किसान रात को सिंचाई करें।

मान्यवर, मुझे याद है सन् 1974 की बात जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि गाँवों में एक हफ्ते तक बिजली नहीं दी जाती थी। रात को बिजली दी जाती थी, जाड़े की रातों में सिंचाई करने के लिए। इन्होंने दो पैमाने बनाये थे। एक तो बनाया था बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिये, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए और एक पैमाना इन्होंने 72 फीसदी लोगों के लिए बनाया था जो गाँवों में रहते हैं जिन में 45 फीसदी लोग ऐसे हैं जो आज भी कर्ज में रह कर गुजर-बसर कर रहे हैं। उनके लिए इन्होंने ऐसा पैमाना बनाया जैसे वे इन्सान न हों, जैसे जाड़ों की रातों में उनको ठंड न लगती हो जबकि बड़े-बड़े सेठ साहूकार, मिलीनियर्स, हीटर लगा कर अपने कमरों में रहते थे उस समय हमारे प्रदेश के किसान कड़ाके की ठंड में अपने खेत के किनारे खड़ा रहता था कि पानी कब आयेगा। और मान्यवर, यह भी होता था कि कभी उसे बड़ी निराशा होती थी। पता लगा कि लाइन आई और चली गई और वह रात भर खेत के किनारे खड़ा रहा मगर पानी के दर्शन नहीं हुये ।

तो मान्यवर, आज हमें फख्र है इस बात का कि हमने बिजली में कोई कटौती नहीं की है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कहीं फीडर लाइन में गड़बड़ी से या मैके निकल गड़बड़ी के कारण किसी विशेष क्षेत्र में एक दिन कोई गड़बड़ हो जाय वरना बिजली हम 21 घण्टे से 24 घण्टे तक बराबर दे रहे हैं। उसका नतीजा है कि 70 फीसदी मड़ाई का काम पूरा कर दिया है गाँवों में और दो तीन दिन से हमारी विद्युत् की माँग वह नहीं रह गयी है जो होनी चाहिए थी।

मान्यवर, प्रदेश की विद्युत् प्रणाली पर इस समय लगभग 1800 मेगोवाट पीक माँग है लगभग 3500 मिलियन यूनिट की डेली माँग आ रही है और हमारा विभाग पूर्णतया उसे वहन करने में सक्षम है। पीक पीरियड में तीन घंटे की कटौती के अतिरिक्त इस समय नगण्य आपातकालीन कटौती हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन मास में औसत 20, 21 घंटे प्रति दिन आपूर्ति हुई है और पावर बढ़ जाने पर 24 घंटे की आपूर्ति की है। गत वर्ष 8 जनवरी, 79 को 2,256 मेगावाट और 48.5 मिलियन यूनिट का विद्युत् परिषद् ने अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके पूर्व केवल 1914 मेगावाट की अधिकतम आपूर्ति हुई थी। इस वर्ष 30 अप्रैल, 79 को 40.2 मिलियन यूनिट का सर्वोच्च उत्पादन हो चुका है जो अपने में एक कीर्तिमान रखता है। हमें पूर्ण आशा है कि जैसा मैंने समय-समय पर कहा है इस साल ग्रीष्मकाल में कोई भी कटौती हम नहीं करने जा रहे हैं। हम सक्षम है पूरे प्रदेश म चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे डेली कन्ज्यूमर हो किसी की भी कोई कटौती किये बिना पूरे प्रदेश की माँग की हम आपूर्ति करते रहेंगे ।

मान्यवर, आजकल विरोधी दल अपने को किसानों का बड़ा हितैषी मानने लगा है क्योंकि सन् 77 के चुनाव के अनुभव पर उनको अन्देशा है कि शहरी लोगों पर निर्भर करके वह संभवत: सत्ता में न लौट पायें। आज ग्रामीण क्षेत्रों की पैरवी बड़े पुरजोर तरीके से वह कर रहे हैं लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि किसानों के ट्यूबवेल की दर 12 रुपये से बढ़ा कर उन्होंने 15 रुपये कर दी थी और हमने उस रेट को घटा कर 12 रुपये कर दिया है जिससे प्रदेश को 8 करोड़ की हानि जरूर हुई है लेकिन इससे किसानों में एक चिन्ता बढ़ी है। जो छोटा काश्तकार है वह इतनी बड़ी धनराशि वहन नहीं कर सकता था, आज 12 रुपये करने से उसे सुविधा प्राप्त हुई है। इसके साथ-साथ हमने कुछ और सुविधाय भी किसानों को दी हैं। 12 रुपये प्रति हार्स पावर के साथ-साथ धान कूटने, गन्ने का रस निकालने, कुटटी काटने और थ्रेशिंग करने की सुविधा भी उनको प्रदान

[श्री `वती रमण सिंह]

की है उसी 12 रुपये में। इन चार चीजों का भी वह 12 रुपये में ही उपभोग तथा उपयोग कर सकेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हमने जो कुछ भी किया है वह छोटे लोगों के लिये किया है, हरिजनों के लिये किया है, गरीब छोटे काश्तकार के लिये किया है।

मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े बतलाना चाहता हूं। मान्यवर, इन आंकड़ों के आधार पर निजी नलकूपों का रेट 13 पैसे प्रति इकाई आता है जबकि यह औसत पश्चिमी बंगाल में 41 पैसे है, गुजरात में 24 पैसे है, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में 22 पैसे है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश में किसानों के लिये हमने न्यूनतम दर रखी है। उसमें हम कोई वृद्धि नहीं करने वाले हैं। नये कनेक्शन्स के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। गुलाब सेहरा जी उसके लिये ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। उनका दोष यही रहा है कि वह उस पार्टी से आते हैं जिसके कुकृत्यों को जनता को भोगना पड़ रहा है और इसके साथ-साथ उनको भी सहन करना पड़ा। पहले कोई भी कनेक्शन इतनी कम दर पर नहीं था।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद) —

13 पसा प्रति यूनिट है या प्रति इकाई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

आप मित्रसेन हैं, इसलिये यही समझ लीजिये कि दोनों एक ही होता है—इकाई कहें चाहे यूनिट कहें।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इसके पहले एक हार्स पावर का कनेक्शन मिलना दूभर हो गया था। पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली ही नहीं थी तो नये कनेक्शन मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। हमने जिलाधिकारी के अन्तर्गत एक कमेटी बनायी है जो 25 हार्स पावर के कनेक्शन देने के लिये सक्षम कर दी गई है। समय-समय पर हम उनसे पूछते रहते है कि जो एक बार एप्लाई कर देगा उसके तीन महीने अन्दर उसको कनेक्शन रिलीज हो जाना चाहिए। उसके लिये उनको मुख्यालय या राज्य विद्युत् परिषद् में नहीं आना पड़ता है बल्कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे करने वालों के लिये 25 हार्स पावर तक के कनेक्शन उनको वहीं मिल जाते हैं। इसको संकलित करने के लिये हमने 2—3 मेघावाट प्रति जनपद के लिये कोटा निर्धारित किया है। मुख्यालय स्तर पर 25 हार्स पावर के समस्त आवेदन पत्र पारित किये जा चुके है और कोई भी आवेदन पत्र पेंडिंग नहीं है। सब को स्वीकृति यहां से दी जा चुकी है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, मार्च 1978 में प्रदेश में कुल 475 शीतगृह थे और गतवर्ष 228 नये शीत-गृहों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एक वर्ष में ही 228 शीतगृहों के लिये पावर कनेक्शन दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि जितना इन्होंने 30 साल में कनेक्शन दिये उतने के आधे कनेक्शन हमने एक वर्ष में दे दिये। आलू के सम्बन्ध में जो दुर्दशा किसान की हुई है उसकी जिम्मेदार जनता शासन नहीं है बल्कि उधर के बैठे हुये लोग हैं जिनकी सीधी जिम्मेदारी है। इन आंकड़ों से ये बिलकुल साबित हो गया है कि इन्होंने एक भी शीतगृह नहीं लगवाया और जितना लगवाया उसका फल हमें इस साल भोगना पड़ रहा है कि किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है हमने जो 228 शीतगृह स्वीकृत किये हैं उसके अलावा भी हम इस साल 200 नये बनाने जा रहे हैं।

मान्यवर, यह कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जब से आयी है तब से नेता विरोधी दल तेजी से बोला करते है कि शासन ठप हो गया है और डेवलपमेन्ट का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो यह देखता हूं कि 30 सालों में जो डेवलपमेन्ट का कार्य आपने किया

उसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश आज गरीबी की रेखा से और नीचे धंस गया और हमने जो किया है वह आने वाले दिनों में यहाँ की हालत वह नहीं रहेगी जो आज है। मान्यवर, अभी तक शीतगृहों के लिये 160 हार्स पावर, केन क्रशर के लिये 60 हर्स पावर तथा चावल मिलों के लिये 70 हार्स पावर की जो भार सीमा थी उसको समाप्त कर लिया गया है और अगर कोई अपने कोल्ड स्टोरेज की सीमा बढ़ाना चाहे तो वह बढ़ा सकता है, इस पर अब रोक नहीं है और तुरन्त ही उसको बिजली रिलीज कर दी जाती है। इसके साथ-साथ 60 हार्सपावर केन क्रशर्स और 70 हार्सपावर चावल मिलों के लिए जो प्रतिबन्ध था उसको भी समाप्त कर दिया है।

मान्यवर, 1978–79 की कुछ उपलब्धियाँ भी मैं बताना चाहता हूं। गत वर्ष राज्य विद्युत् परिषद् ने विभिन्न अवरोधों के बावजूद जो 275·89 करोड़ रु0 की वार्षिक योजना के समक्ष 281.19 करोड़ रु0 योजनाओं में व्यय किया तथा 231 करोड़ रु0 के लक्ष्य से अधिक 238.89 करोड़ रु0 राजस्व की वसूली करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे योजना आयोग एवं केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के समक्ष आगामी योजनाओं के आवंटन प्राप्त करने के लिए एक अच्छा आधार तैयार किया है। जैसा कि देखा जाता ह अधिकतर डिपार्टमेन्ट्स में पैसा सरेंडर हो जाता है। पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता है और मार्च के महीने में पैसा सरेंडर हो जाता है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी विद्युत् परिषद् ने 1978–79 में न केवल पैसा पूरा खर्च किया बल्कि उसको बढ़ाकर 275 से 281 करोड़ रु0 खर्च किया जो अपने में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रखता है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ साथ वसूली पिछले साल लगभग 190 करोड़ रु0 की हुई थी और बकाया काफी बढ़ा था। उस 82 करोड़ रु0 के बकाये को घटाकर हमने 62 करोड़ किया है। उसी के साथ-साथ वसूली भी 240 करोड़ रु0 के लगभग हमने की है जो अपने में एक कीर्तिमान है। इसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति तथा और भी तमाम बड़े लोग जो बिलों का पेमेन्ट नहीं कर रहे थे उनसे वसूल किया तथा जो सरकारी डिपार्टमेंटस जैसे एल0 एस0 जी0, सिंचाई विभाग आदि से हमारा पैसा काफी समय से बकाया चला आ रहा था उसमें भी हमने काफी वसूली की। इसमें सुधार अपेक्षित है और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 80–81 वर्ष में इसको काफी घटाया जा सके।

मान्यवर, कुछ नयी योजनायें जिससे आने वाले वर्षों में बिजली अवाध गति से मिलती रहे और प्रदेश को फिर से बिजली के संकट में न आना पड़े इसके लिए हमने केन्द्रीय स्तर पर प्रयास किये और उसके फलस्वरूप नयी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और झाँसी में परीक्षा क्षेत्र में हमारा काम शुरू हो गया है 220 मेगावाट बिजली का तापीय परियोजना का कार्य वहाँ पर बड़ी तेजी से चल रहा है और हमारा प्रयत्न होगा कि उस लक्ष्य को हम जल्दी प्राप्त कर लें।

एक बात और देखी गई कि पिछले शासन काल में तापीय विद्युत गृह जहाँ-जहाँ लगाये गये उसमें इस बात को नहीं देखा गया कि वहाँ पर लगाने से पूरे प्रदेश को लाभ पहुच सकेगा या नहीं। जैसे मान्यवर, इस साल जब मड़ाई का सीजन चल रहा था तो हमने देखा कि मेरठ और बरेली में खास तौर पर वोल्टेज प्राबलम हो गई वह इसलिए हो गई कि ओबरा से जो हम जनरेट करते है तो वहाँ पहुचते पहुंचते वह वोल्टेज नहीं रह जाता है। हरदुआगंज में भी बड़ी खराबी हुई तो उसको मेनटेन करने में भी हमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिये जो नयी योजनायें प्रस्तावित है उसमें आप देखेंगे बुन्देलखंड में जहाँ से माननीय रणजीत सिंह जू देव समथर नरेश आते है उनको स्वयं मालूम है कि उस क्षेत्र में क्या हालत है बिजली की इनकी सरकार ने जिसके ये सम्मानित सदस्य थे

[श्री रेवती रमण सिंह]

उसने कोई योजना उस क्षेत्र के लिए नहीं तैयार की और वह क्षेत्र निरन्तर पिछड़ता चला गया। इसके लिए हमें रणजीत सिंह को बधाई देनी चाहिए कि हमने पहली परियोजना झाँसी-परीच्छा क्षेत्र से शुरू की है, जिसका फायदा न केवल झाँसी को मिलेगा, बल्कि हमीरपुर, बाँदा, जालौन, ललितपुर और आस पास के अन्य जिलों को भी मिलेगा। हमने इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कहाँ पर ज्यादा गरीबी है, कहाँ पर परेशानी है, वहाँ के सन्तुलित विकास, प्लान्ड यानी सिस्टेमेटिक-वे में विकास के लिए इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है जिसका नतीजा यह है कि सन् 1982 तक यह योजना शुरू हो जाने पर बुन्देलखंड पूरी तरह से विकसित हो सकेगा और उसका पिछड़ापन दूर हो सकेगा। अभी मैं झांसी गया था, जब पहले मैं वहाँ गया था, तो मैंने उसे इंडस्ट्रीज के मामले में नगण्य पाया था किन्तु अब जब एक साल बाद वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पर कई इकाईयाँ आने लगी है, जिससे झाँसी आने वाले दिनों में एक इंडस्ट्रियल टाऊन बनने जा रहा है। इसके साथ ही बुन्देलखंड के जो और जिले हैं, उनका भी कायाकल्प होता, ऐसा मेरा विश्वास है।

इसके अतिरिक्त जिला मिर्जापुर में 630 मेगावाट की आनपाना तापीय योजना और जिला फैजाबाद, टाँडा में 440 मेगावाट की एक अन्य तापीय परियोजना पर कार्य शुरू किया जा चुका है। टाँडा में हमें जमीन मिल गयी है और उसमें तेजी से काम शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है, इससे गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, बलरामपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ के क्षेत्रों में जो बिजली की निरन्तर कमी रही है वह करीब करीब दूर हो जाएगी। (व्यवधान) बस्ती में भी जो दिक्कत थी वह दूर हो जाएगी और इन सब जगहों पर नई इंडस्ट्रीज लगाने में सहायता मिलेगी और आने वाले दिनों में यह पिछड़ा क्षेत्र काफी विकसित हो सकेगा।

श्री शफीकुर हमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--
पश्चिम में क्या कर रहे हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

अभी बर्क साहब ने फरमाया है, वह तो खुद बिजली हैं। इसके लिए शाहजहाँपुर में हमारा प्रस्तावित है। मुरादाबाद को मैंने देखा है, बिजली के मामले में मुरादाबाद में जितनी बिजली की खपत और डिमाण्ड है, उतनी कानपुर क्षेत्र को छोड़ कर उत्तर प्रदेश के किसी शहर में नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो नई तापीय परियोजना बनाई जाए, उसमें मुरादाबाद को प्राथमिकता दी जाय, जिससे बर्कसाहब को बिजली के साथ सामंजस्य करने में आसानी रहे। इनका कार्यान्वयन हो जाने से हमारे प्रदेश को बिजली काफी मिलेगी. फिर भी हम इससे ही सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं। हम यह भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शत प्रतिशत--जैसा कि पार्टी का वायदा है कि 8 वर्ष में हम हर खेत को और हर गाँव को बिजली पहुंचायेंगे और गाँव-गाँव में उद्योग धन्धों की स्थापना करेंगे, उसे पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 1961-62 के बाद बहुत ही कम प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट हुआ है, पब्लिक सेक्टर कन्सर्न, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्री, त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स, गोरखपुर फर्टीलाइजर फैक्टरी, आदि फैक्टरियाँ लगी है। लेकिन उसके बाद कोई भी बड़ी योजना न पब्लिक सेक्टर और न प्राइवेट सेक्टर से हमारे प्रदेश में आयी। उसका एक मूलभूत कारण यह रहा है कि अवसर यह प्रज्यून किया गया कि उत्तर प्रदेश में निरन्तर बिजली की कमी है और उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का मतलब होगा कि घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं उन तमाम उद्योगपतियों से चाहूंगा और भारत सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण होना चाहिए। इस प्रदेश का भला तभी हो सकता है। आज 72 फीसदी लोग खेती के कामों में लगे हुए हैं। जब तक इन लोगों में अधिक से अधिक लोगों को खेती पर से हटाकर उद्योग धंधों में नहीं लगायेंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होगा। माननीय गुलाब सेहरा की सरकार का सोचने का ढंग यह था कि हरिजनों को दो बिसुवा, एक बिसुवा जमीन दे

दी जाय, कहीं नाले में, कहीं टीले पर, कहीं बंजर दे दीजिये समस्या का समाधान हो गया। मैं चाहूंगा कि अगर हरिजनों को जमीन आवंटित ही करना है, जो होनी चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, तो पांच बीघे से कम किसी भी हरिजन परिवार को जमीन नहीं देना चाहिए, जिससे कम से कम दो बैल रख कर वह अपनी खेती कर सकें। मैं एक आँकड़ा बताऊंगा। रूमानिया और यूगोस्लाविया जैसे देशों में, जब उनको स्वतंत्रता मिली तो वहाँ खेती पर क्रमश: 48 और 46 फीसदी लोग निर्भर करते थे।

श्री श्याम धर मिश्र––

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी बहुत उपयोगी और बहुत व्यापक ढंग से बिजली के अलावा भी बहुत सुन्दर ढंग से बोल रहे हैं। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि उनको जैसे समय दे रहे हैं, वैसे ही इन तमाम बातों पर जिन बातों पर इतने व्यापक और सुन्दर ढंग से उठा रहे हैं, हम लोगों को असुन्दर ढंग से उठाने का समय दे दीजियेगा क्योंकि इस सब में वह समय ले रहे है कि रूमानियाँ और यूगोस्लाविया में कितने लोग खेती पर निर्भर थे।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय विद्युत् मंत्री, कृपया अपने को बिजली तक ही सीमित रखें।

श्री रेवती रमण सिंह––

मैं जल्दी कर देता हूं। माननीय श्यामधर जी को बुरा लगता है कि जनता पार्टी की उपलब्धियाँ क्यों बतायी जा रही हैं। हमें ढपोरसंख की तरह जो हमने अच्छे काम किये हैं उन्हें नहीं बताने देते वह ढपोरसंख की तरह वह बता देते है जो उन्होंने कभी नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र––

हम बता देंगे कि कैसे शंख हैं यह।

श्री रेवती रमण सिंह––

जल विद्युत् परियोजनाओं में चमोली जनपद की 252 मेगावाट की विष्णु प्रयाग और उत्तरकाशी जनपद में 156 मेगावाट की मनेरी भाली भाग–2 परियोजनाओं पर कार्य चालू किया गया है। प्रदेश में 500 मेगावाट की वृहत तापीय इकाइयों की स्थापना के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु 400 के0 वी0 की ओबरा-कानपुर - नरोरो - मुरादनगर-, ऋषिकेश, लखनऊ, कानपुर और लखनऊ मुरादाबाद ऋषिकेष पारेषण लाइनों पर और मुरादनगर तथा पनकी में 400 के0वी0 विद्युत् उप गृहों पर निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। भविष्य में दक्षिणी अंचल में उत्पन्न होने वाली 5–6 हजार मेगावाट बिजली की प्रदेश के पश्चिमी तथा अन्य भागों में सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए 750 के0 वी0 प्रणाली का परिकल्पना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश के विद्युत् अभियन्ताओं के कार्य कौशल की सराहना कर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के 400 के0 वी0 प्रणाली के कार्यों के लिए परामर्श दात्री के कार्य भी उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् को सौंपे गये हैं।

गत वर्ष 24,254 निजी नलकूपों तथा 1,190 राजकीय नलकूपों का ऊर्जन और 1,197 ग्रामों तथा 1,366 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है जिसके फलस्वरूप मार्च, 1979 के अन्त में प्रदेश में 3,07,861 ऊर्जित नलकूप तथा 36,223 ग्रामों, जो कि प्रदेश में कुल 1,12,561 ग्रामों के 31 प्रतिशत से अधिक है, का विद्युतीकरण किया जा चुका है। चालू वर्ष 1979–80 के लिए 3,945 ग्रामों, 3,945 हरिजन बस्तियों, 50,000 निजी नलकूपों तथा 2,000 राजकीय नलकूपों के ऊर्जन का लक्ष्य रखा गया है।

[श्री रेवती रमण सिंह]

विद्युत् परिषद् के बकाया राजस्व जो मार्च, 1978 में 72.4 करोड़ रुपये थे, और दिसम्बर, 1878 तक बढ़कर 89.22 करोड़ रुपये तक पहुंच गये थे, सरक र के सहयोग से परिषद् के उच्च अधिकारियों के सतत प्रयास के फलस्वरूप वर्ष के अन्त मार्च, 1979 में घट कर 62.5 करोड़ रुपये तक आ गये हैं तथा इस वर्ष उन्हें और कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मान्यवर, सभी जगह अधिष्ठान पर खर्चा बढ़ रहा है लेकिन मैंने यह कोशिश किया है कि राज्य विद्युत् परिषद् में जो अधिष्ठान पर खर्चा होता है वह बढ़े नहीं। परिषद् के कार्य-कलापों के विस्तार के साथ तेजी से बढ़ते हुए अधिष्ठान व्यय पर नियंत्रण लाने के लिए कठोर कदम उठाये गये हैं। नये पदों के सृजन तथा भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगाकर, मस्टर रोल और ओवर टाइम बन्द कर तथा यात्रा भत्ता आदि व्ययों पर और कठोर नियंत्रण लगा कर परिषद् के अधिष्ठान व्यय में लगभग 10–15 प्रतिशत की वार्षिक कटौती के प्रबन्ध किये गये हैं। जबकि वर्ष 1977–78 में परिषद् को लगभग 23 करोड़ रुपये की हानि हुई थी तथा वर्ष 1978–79 के लिए वार्षिक योजना पर वार्तालाप के समय 10.37 करोड़ रुपये की हानि की संभावना व्यक्त की गयी थी, वास्तविक हानि लगभग 6.36 करोड़ रुपये है। आशा है कि इस वर्ष हमारी विद्युत् परिषद् हानि के स्थान पर लाभ अर्जित करके दिखलायेगी। माननीय श्यामधर मिश्र जी इसको ध्यान से सुन लें।

श्री श्याम धर मिश्र––

माननीय मंत्री जी की पुस्तिका में जो उन्होंने बाटी है उसमें यह सब लिखा हुआ है। इसी से यह मालूम हो जायेगा कि मैंने इसको पढ़ा है।

श्री रेवती रमण सिंह––

विद्युत परिषद के इतिहास में यह घाटा पहली बार समाप्त होकर लाभ में परिवर्तित होगा। मान्यवर, परिषद के कर्मचारियों के लिए हमने बहुत सुविधायें लागू की हैं, परिचालन में कार्य-रत तथा अन्य श्रेणियों के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को गर्म व ठंडी वर्दी दिया जाना, ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम, परियोजनाओं में अस्पताल तथा अन्य मेडिकल एलाउन्स की अदायगी, निम्न वर्ग के कर्मचरियों के लिए निशुल्क विद्युत आपूर्ति आदि अनेक सुविधायें प्राप्त हैं। किसी भी सेवारत कर्मचारी के निधन पर उसके एक आश्रित को परिषद में उसकी योग्यतानुसार नौकरी देने का प्राविधान है। परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को नि:शुल्क आवास, साइट कम्पेन्सेटरी एलाउन्स तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं। लखनऊ में आवास की कठिनाई को देखते हुए हाल ही में परिषद द्वारा मोती झील तथा राम सागर मिश्र नगर आवास योजनाओं में 160 आवासों का क्रय किया गया है ताकि अधिक से अधिक तृतीय एवं चतुर्थ वग के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जा सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह चाहूंगा कि और मैंने बात भी की है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको और सुविधायें मिलनी चाहिए और जैसाकि मैंने कहा है अगर हमारी परिषद में आने वाले दिनों में लाभ होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा उनकी तरक्की पर उनकी बहबूदी पर उनको और अधिक सुविधायें देने पर विचार करेंगे। जैसा कि अभी केवल 5 फीसदी लोगों को ही मकान मिल पाये हैं। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में 88 हजार जो कर्मचारी हैं, छोटी श्रेणियों के, उन सब को यह सुविधा शीघ्र से शीघ्र मिल जायें उनके लिए स्कूल्स, पार्क्स और मनोरंजन क्लब्स भी खोले जायं जिससे खाली समय में वे इनका उपयोग ठीक ढंग से कर सकें। जो बातें हमने कहीं है उसका एक पक्ष है जिसमें हमने जो तरक्की की है, जो हमारी योजनायें हैं, वे सब आती हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है। जैसे आज बिलों में बड़ी गड़बड़ियाँ पायी जाती है। इनके सुधार के लिये हमने वर्ष 1979–80 निर्धारित किया है। इसके लिए हमने कई योजनायें बनायी है जिससे

हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह न रहें। उनके यहाँ पर मीटर रीडिंग ठीक से हो। आजकल बोर्ड में मीटर्स उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ-साथ गत 30 वर्षों में यह भी हुआ है कि जिस सामान की आवश्यकता होती थी, वह उपलब्ध नहीं होता था और अगर उपलब्ध होता था तो डिले होती थी। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में पोल आदि यहाँ पर बनने लगें और बाहर से न लेने पड़ें। और समय पर मिल जायं। कनेक्शन्स देने के लिये मीटर की आवश्यकता होती है लेकिन मीटर्स के उपलब्ध न होने पर कनेक्शन देने में देरी होती है। हमारा विचार है कि पब्लिक सेक्टर में एक मीटर्स के बनाने का कारखाना लगाया जाय। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव होंगे उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर के उनके कार्यान्वयन कराने का प्रयास करूंगा और मौनिटरिंग भी किया जायगा। यही नहीं जो-जो बातें यहाँ पर कहीं जायेंगी में 1–2 माह के उपरान्त देखने की भी प्रयास करूंगा कि उनका कार्यान्वयन हुआ है या नहीं।

अन्त में मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने शान्त रह कर मेरी बातों को सुना। मुझे आशा है माननीय गुलाब सेहरा जी भी मेरी बातों का समर्थन करेंगे और इन अनुदानों को पास कराने में मदद देंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या 71 में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं अनुदान संख्या 126 में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

मुझे श्रीमन्, कितना समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके 25 मिनट हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने विद्युत् परिषद की जो यह किताब है उसको ऐसा लगा कि पूरा कि पूरा पढ़ दिया। बेचारे करते क्या ? (व्यवधान) मंत्री जी ने कम से कम 8 बार मेरा नाम लिया। जो पिछला चला आ रहा है उसी माहौल में यह भी चले गये।

"रंगे महफिल देखने को होश में आये थे हम,
होश फिर उड़ने लगा रंगे महफिल देख कर।"

एकाउन्टेंट जनरल ने विद्युत परिषद के बारे में क्या कहा है—

"परिषद द्वारा तैयार किये गये लेखे वास्तविक नहीं हैं, बल्कि ये लेखे अप्रमाणिक ढंग से अथवा असेसमेन्ट के आधार पर बनाये गये हैं....."यह भारत के नियंत्रक महालेखाकार ने कहा है अपनी रिपोर्ट में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कब का पेपर है जिससे आप पढ़ रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

यह 6 फरवरी, 79 का स्वतंत्र भारत पेपर है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

यह रिपोर्ट किस वर्ष की है, क्या काँग्रेसी शासन के समय की है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मंत्री जी ने काफी आँकड़े प्रस्तुत किये। विद्युत परिषद के ही मैं कुछ आँकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। आप श्रीमन्, देखें, विद्युत परिषद की विस्थापित क्षमता वर्ष 1976–77 में थी 2,600 मेघावाट, 1977–78 में थी 3,000 मेघावाट और वर्ष 1979–80 में 3,200 मेघावाट। इनके तीनों जलाशय रामगंगा, रिहन्द और माताटीला भर गये। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन और पूर्ति घट गयी। उत्पादन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बढ़ा। अभी एक लिस्ट सब्मिट की थी 76–77 की रिपोर्ट है, इसमें था कि 74,332 मिलियन यूनिट पूर्ति की गयी और 77–78 में 6,936 मिलियन यूनिट की पूर्ति की गयी। श्रीमन् घटा, बढ़ा नहीं।

अब श्रीमन्, आपका एक आँकड़ा बता देते हैं, जिन आँकड़ों पर मंत्री जी इतनी तेजी के साथ बोल रहे हैं। परिषद् द्वारा जो आँकड़े दिये गये हैं, उन आँकड़ों में मंत्री जी जायं, जनवरी, 78 से जुलाई, 78 तक 6 महीने में कुल 173 करोड़ यूनिट यानि औसतन 29 करोड़ यूनिट प्रति माह जल बिजली बनी और 77 करोड़ यूनिट बननी चाहिये थी, लेकिन नहीं बनी। आँकड़ों की जहाँ तक बात है, इसी तरह 6 महीने का दूसरा आँकड़ा देखें, 40 प्रतिशत से भी कम जल बिजली घरों में उत्पादन हुआ। 60 प्रतिशत उत्पादन होना चाहिये, लेकिन नहीं हुआ। यदि 60 प्रतिशत होता तो श्रीमन्, 15 करोड़ यूनिट और मिल जाता और उससे परिषद् की आमदनी बढ़ती। लेकिन आँकड़ों के भ्रम में मेरे मित्र इतना भूल गये कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। पिछला जो पीरियड है, पिछले जो विद्युत् मंत्री रहे, श्रीमन् उसी बहाव में मंत्री जी भी बह रहे हैं और मैं आपको सत्य कहता हूं कि अगर आँकड़ों के झगड़े में ड़ेंगे, तो ये कुनवे को पूरा डुबो देंगे। हमारे बृज में कहावत है कि हिसाब ज्यों का त्यों और कुनवा डूबा क्यों। जिस पर रवीन्द्र किशोर शाही जी चल रहे थे, उसी पर रेवती रमण साहब भी चल रहे हैं। एक कहावत है कि एक नदी के किनारे एक व्यक्ति पहुंचा और नाव के ऊपर चढ़ने के लिये तैयार हुआ, तो पूछा कि नाव की क्या जरूरत हैं, फिर उसने कहा कि मैं इस नदी की गहराई को देखूंगा और फिर जो आदमी है, उनकी लम्बाई देखूंगा और औसत निकालूंगा और जब औसत निकल आयेगा, तो कहा कि हम नदी यों ही पार हो जायेंगे और जब वह नदी पार करने लगा तो आगे चल कर नदी गहरी मिली, जहाँ पर जाकर वह डूब गया। तो उसी तरह का इनका हिसाब है। तो श्रीमन्, नदी के बहाव में कुनवा डब गया। तो श्रीमन्, आप जरूर डूबेंगे, तो श्रीमन् इन दो वर्षों में अब मैं कहता हूं उद्योग, कृषि, अन्य सेवाओं पर माँग बढ़ती रही, औद्योगिक उत्पादन बिजली की कमी की वजह से 40 प्रतिशत घटा और हमारे श्री रेवती रमण सिंह जी का बयान है, जब उद्योग मंत्री थे, उस समय कहा था कि 33 परसेन्ट हमारा औद्योगिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में घटा और श्रीमन्, 33 परसें उत्पादन बिजली की कमी की वजह से 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह आपका बयान था, जब उद्योग मंत्री थे। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है जो वह कह रहे हैं कि विद्युत् मिल रहा है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। श्रीमन्, कुछ प्रकृति ने साथ दिया और कुछ भाग्यशाली हैं और हमारे जैसे मित्र हैं जो बताते रहेंगे कि गलती क्या हो रही है। 77–78 में औद्योगिक उत्पादन 33 प्रतिशत घटा और उससे हमारी 6 सौ करोड़ रुपये की हानि हुई।

श्रीमन्, अब, 2 हिस्से हैं, परिषद् आटोनामस बाडी और विद्युत् विभाग एक दूसरी चीज है। विद्युत् मंत्री का काम है नीति निर्धारण करना न कि हस्तक्षेप करें लेकिन पिछली नीति यह है कि पदोन्नति व नई नियुक्तियों में एक ऐसा वातावरण छोड़ गये हैं कि उस वातावरण को आप मेनटेन कर रहे हैं। जनता पार्टी के एक एम0 पी0 श्री रामेश्वर सिंह ने

क बयान अखबार में दिया कि श्री रवीन्द्र किशोर शाही के खिलाफ इन्क्वायरी कमीशन बै ाना चाहिए कि जिन उद्योगों में लालच था उनकी बिजली की कटौती नहीं की गई और पया इकट् ा करके नेपाल भेजा गया ।

गाजियाबाद में एक फर्म थी, नाम नहीं लूंगा, उसकी बिजली काटी गई लेकिन जब रसीद उसने प्राप्त की तो फिर प्राप्त कर ली गयी। हिण्डालको का बड़ा ऊधम मचा लेकिन श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि उसी मिर्जापुर में जहाँ हिण्डालको है, वहाँ कनोडिया केमिकल्स को पूरे साल बिजली दी जाती रही। 2.5 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पैसा लिया गया।

उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है विद्युत् के मामले में।

एक सदस्य—

इसका रेट किसने तय किया था 2·5 पैसे ?

श्री गुलाब सेहरा—

यहां पर यह हाल है कि देश में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग करने वालों में उत्तर प्रदेश का 13 वां स्थान है । आंकड़े देखें, पंचाब का स्थान सर्वोपरि है और उत्तर प्रदेश का अन्तिम। पंजाब में 232 प्रति यूनिट व्यक्ति, हरियाना में 174, महाराष्ट्र में 197, गुजरात में 199 और कर्नाटक में 148 है । मैं यह पूछ रहा हूं कि कौन सी नई योजना के अन्तर्गत, अगर आज 60 प्रतिशत जल विद्युत् और 40 प्रतिशत तापीय विद्यत् का उत्पादन हो रहा है, कोई नई योजना नहीं है। यह कांग्रेस की ही योजनायें हैं । सुपर थर्मल की जितनी योजनायें थीं उसके ट्रांसमिशन तक की व्यवस्था नहीं की । किसी नई योजना के अन्तर्गत आपूर्ति कर दी गई हो तो मैं नहीं कहता। सातवें वित्त आयोग के अनुसार परिषद् के बारे में कहा गया कि करीब 15 सौ करोड़ रुपये इस परिषद् पर ऋण है और परिषद् की स्थिति है कि वह ब्याज भी नहीं दे पा रहा है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ष परिषद् राज्य सरकार से धन मांगता है ।

विद्युत परिषद ह्वाइट एलीफेन्ट है सफेद हाथी, मान्यवर । श्रीमन्,: भारत के विद्युत् परिषदों के मुकाबले इसकी प्रति यूनिट कास्टिग कितनी बढ़ी हुई है विद्युत् उत्पादन के आंकड़े स्पष्ट कहते हैं । हमारे यहां के परिषद् का प्रति यूनिट प्रशासनिक खर्चा दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अधिक है । विद्युत् उपकरणों के रख रखाव में जो हमारे परिषद् का व्यय होता है वह अन्य परिषदों के मुकाबले बहुत ज्यादा है।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

कोई नई भर्ती हुई है ? यह तो इन्हीं की भर्ती है। सब इन्होंने ही किया है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

सुधार क्या किया है यह बता दीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो प्रति मेगावाट उत्पादन है वह जितने कामगार लगते हैं दूसरे प्रदेश के कामगारों की उत्पादन क्षमता के हिसाब से ज्यादा है। आप देखें कि करोड़ों रुपया उपकरणों की देख रेख में तथा ट्रांसफार्मरों की चोरी में चला जाता है ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

हालत आपने ही बनाई है।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये, बैठिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

18 मार्च के दैनिक जागरण में एक स्टेंटमेंट निकला है। उसमें इन्होंने स्वीकारा है कि 87 करोड़ रुपया उद्योगपतियों पर बाकी है और परिषद् प्रति वर्ष केवल डेढ़ या दो करोड़ रुपया वसूल कर पाती है। हर साल बकाया बढ़ता जाता है, बजाये घटने के बढ़ जाता है। यह आपका स्टेटमेंट 18 मार्च का है।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, पूरा पढ़ दिया जाये। यह तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरा पढ़वा दें।

श्री गुलाब सेहरा—

18 मार्च, 1979 का है, दैनिक जागरण का, देख लें आप। जो दैनिक जागरण में निकला है केवल वही पढ़ रहा हूं। श्रीमन्, मेरा कहना केवल इतना है कि यह सफेद हाथी जिसके बारे में मंत्री जी कभी नीति निर्धारण नहीं करते। पिछले मंत्री जी जो दखलन्दाजी करते थे उसी को प्रारम्भ किया है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये। नीति निर्धारण करना चाहिये। जिम्मेदारी बर्तनी चाहिये। मेम्बर जेनरेशन व मेम्बर ट्रान्समीशन इनका काम क्या है, ओबरा कभी नहीं गये यह, कोई ओबरा नहीं गया। पूरे यू0 पी0 में धूम आये। इसी तरह से अगर आप देखें कि यह जो थर्मल पावर स्टेशन है, उसकी भी यही हालत है।

आप कहें तो मैं आंकड़े बताऊं। तो मैं यह कहना चाहता था कि दो-तीन महीनों में विद्युत् की आपूर्ति, सही बात है,बढ़ी है। मेरे ख्याल से उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत जल विद्युत् में और 40 प्रतिशत ताप विद्युत् में बढ़ी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह और बढ़ सकती है। श्रीमन्, मैंने कहा कि मेम्बर जनरेशन और मेंम्बर ट्रांसमिशन की लापरवाही के कारण यह नहीं हो पाया। हो क्या रहा है लाखों रुपयों का सामान, कल पुर्जे, ट्रांसफारमर की चोरियां होती हैं। इनके रोकने की व्यवस्था नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आप की इस परिषद् में 12,500 डेली वेजेज के वर्कर इस वक्त कार्यरत हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि वह कोई काम नहीं कर रहे है वह इंजीनियर्स के यहां, अधिकारियों के यहां घरों पर काम करते हैं। हर एक का वेजेज करीब 4 सौ रुपया प्रतिमास है। 6 करोड़ 33 लाख रुपया इनको वेतन के रूप में वितरित हो रहा है। अब श्रीमन्, सबसे बड़ी बात मैं यह महसूस कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने की योजना है। लेकिन ट्रांसमिशन के बारे में परिषद् बिलकुल चुप है। आप यह बिजली कहां से कहां को ले जायेंगे इसके बारे में कोई सोच-विचार नहीं है। मैं दूसरी बात यह कहता हूं कि परिषद् में पहले एक मैटीरियल प्लानिंग, जो कितना सीमेंट चाहिये, कितने खंभे चाहिये, कितना लोहा चाहिये उसकी व्यवस्था करता था। जिसमें मेंटीनेंन्स प्लानिंग और नया कांस्ट्रक्शन अलग था। लेकिन मैटीरियल प्लानिंग का विभाग चुप है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन शुरू हो गये तो आप बतायें कि बिजली कहां से कहां ले जायेंगे। आपकी वोल्टेज कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बिल्कुल कम है यह इसलिये है कि ट्रांसमिशन व्यवस्था आपकी सही नहीं है।

बिजली की कमी की वजह से कुछ औद्योगिक संस्थानों में डीजल जनरेटर्स उपलब्ध कराये गये थे और उन संस्थानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गयी थी। लेकिन श्रीमन्, डीजल जनरेटर्स के बारे में परिषद् चुप है। जब सब्सिडी दी गयी है तो उनको आपको देखना चाहिये, आपको वाच करना चाहिये। आज वह बंद पड़े हैं। बिजली की कमी है, हरियाणा के बदरपुर से बिजली लेनी चाहिये थी लेकिन नहीं ली गयी। किसी ने इस बारे में लिखा पढ़ी नहीं की। किसी ने कांटैक्ट नहीं किया। आपको बिजली मिल सकती है आपको लेना चाहिये। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात मंत्री जी ने कही है। मैं आपसे पूछता हूं कि परिषद् के चेयरमैन कभी इस कारपोरेशन के चेयरमैन से मिले

हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन है उसमें लाखों रुपया पड़ा हुआ है जो गाँवों में बिजली लगाने के नाम पर इस विधान सभा द्वारा कई बजटों में पास किया गया। लेकिन वह योजना आपके परिषद् की ओर से नहीं दी जाती है। कारण उस परिषद् के चेयरमैन, आपके विद्युत् परिषद् के चेयरमैन बैठकर नई योजनायें लें और रुपया मिले तो विद्युतीकरण हो।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हरिजनों को बिजली दी जा रही है। मुझे आश्चर्य है कि हरिजनों को जो भूमि मिली थी उनके पट्टे जनता सरकार ने कैंसिल कर दिये और उनको जमीन से बेदखल कर दिया। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उनके पास घर नहीं, जमीन नहीं तो क्या उनको हवा में बिजली दे रहे है। जिस मकान में वह रहते हैं उनके मकान मालिक से परमीशन ली जाती है तब बिजली दी जाती है। इसलिये हरिजनों की जो बहुत बात की जाती है तो एक तो उनसे जमीन छीन ली गयी और कह रहे कि बिजली दी जा रही है। यह आश्चर्य की बात है। इसलिये मंत्री जी, कुछ बुनियादी सवालों पर बात होनी चाहिये।

मान्यवर, मंत्री जी ने जोर-शोर से कहा कि बिजली में कोई कटौती नहीं हो रही है। लेकिन आगरा में जब कब बिजली चली जाती है। भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। बिलों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने मकान का बिजली का बिल जो लगभग 200 पये आता था वह जीवन भर दिया है लेकिन इस बार हमारे मकान का बिल 1,200 रुपये आया जिसको देना पड़ा। तो मान्यवर, एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है उसकी आँखों में धूल झोंक दी गयी तो एक छोटे व्यक्ति की क्या बात है? यह मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है बल्कि ऐसे तमाम गलत बिल आ रहे हैं। दिन-प्रति-दिन हालत यह है कि वहाँ गलत बिलिंग हो रही है। आगरा की 7 लाख की आबादी है लेकिन वहाँ बिल जमा करने के केवल दो स्थान हैं---एक सेंट्रल बैंक और दूसरा बिजली घर। हालत यह है कि सुबह आदमी बिल जमा करने जाता है तो शाम तक भी बिल नहीं जमा कर पाता है। इसलिये बुनियादी प्रश्न है कि परिषद् के काम को सुधारा जाय। उत्पादन बढ़ाने और वितरण सुधारने की बात होनी चाहिये तथा साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिये कि वसूलयाबी कैसे हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम कंज्यूमर की काउन्सिल बननी चाहिये जिससे उसकी सुनवाई हो नहीं तो छोटा कज्यूमर बिलख कर रह जाता है क्योंकि परिषद् द्वारा जो बिल चले जाते है, उनको कंज्मूमर को जमा करना पड़ता है नहीं तो उनकी बिजली काट दी जाती है और कंज्यूमर की कोई बात नहीं सुनी जाती है। यह कंज्यूमर की काउन्सिल नीचे लेवेल से बनाना शुरू करें तो अच्छा रहेगा।

मान्यवर, जितने थरमल पावर स्टेशन हैं उनके ब्वायलरों के खराब होने की स्थिति क्यों है? क्योंकि जो कोयला चाहिये, वह तो मिलता नहीं। कमी की वजह से उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं। यह कोयला जो आ रहा है, वह एकार्डिंग टु स्पेसिफिकेशन जो ब्वायलर के हिसाब से होना चाहिये, नहीं है। उसके कारण ब्वायलर्स खराब हो रहे है। रिपोर्ट में यह भी बात कही गयी है कि हमारे जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, बहुत पुराने हैं। महाराष्ट्र से इम्पोर्टेड हैं और रिसेंटली इम्पोर्टेड हैं। लेकिन हम यह कर सकते हैं कि कुछ का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसीफिकेशन के हिसाब से कोयला नहीं होगा, ूसरी तरह का कोयला होगा, तो थर्मल पावर स्टेशन खराब होंगे।

मैं केवल एक ही बात कहता हूं। यह सरकारी रिपोर्ट है। राजकीय नलकूपों के बारे में कहा गया है कि लगातार बिजली दिया। लेकिन राजकीय नलकूपों के विभाग की ओर से यह विज्ञप्ति निकाली गयी कि राजकीय नलकूप 3 लाख घंटे कम चले विद्युत् की कमी के कारण।

श्री रेवती रमण सिंह---

कहाँ है यह बात ?

श्री गुलाब सेहरा---

यह रिपोर्ट है आपको भेजवा देता हूं 3 लाख घंटे कम नलकूप चले। मैं इतना ही, मान्यवर, कहना चाहता हूं कि परिषद की जो कार्य प्रणाली है, उसका अध्ययन करने के बाद उसमें बुनियादी परिवर्तन नीतिओं के अनुसार करें। दिन-प्रति-दिन के कार्यों में अगर मन्त्री लेबिल के व्यक्ति हस्तक्षेप करेंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी। आपका क्या नक्शा है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पिछले मंत्री का नक्शा हमने देखा है। अभी एक सज्जन देवरिया से आये थे और उन्होंने बताया कि हाइडिल और विद्युत् परिषद् के लोग अभी भी कार लेकर उनको रिसीव करते हैं। उनका उसी तरह से स्वागत होता है। अभी तक उन का नक्शा चल रहा ह। तो अगर ईमानदारी की बात हो तो दो वर्षों के क्रिया-कलापों की किसी व्यक्ति द्वारा जाँच करायें कि परिषद् के रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप की वजह से परिषद् का कितना नुकसान हुआ और केवल जातीयता के आधार पर कितनी प्रोन्नतियाँ की गयीं, कितने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजवाया गया। अगर इस तरह की प्रवृत्ति को रोकनें और जाँच कराने के ईमानदारी है तो मैं, मान्यवर, अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि उसकी जाँच करायें और अपने मित्र से मुझे पूरी उम्मीद है कि वह जाँच करायेंगे। मैं चाहता हूं कि दो वर्षों का जो समय रहा है, उसमें जो अनियमिततायें हुयी ह, मजदूरों से लेकर कर्मचारियों तक जहाँ कर्मचारियों में कभी पोलिटिक्स नहीं थी, वहाँ पर आर0 एस0 एस0 की पोलिटिक्स थोपी गयी है, मजदूर संघ और संगठन परिषद् में बनाये गये हैं। उसकी पूरी जाँच करायें और केवल राजनैतिक पार्टी से प्रेरित होकर जिन लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, जातीयता के आधार पर लाभ पहुंचाया गया ह, अगर ईमानदारी ह तो आप इन दो वर्षों की जाँच करा लें और जाँच कराने के बाद स्वयं आप कनविंस हो जायेंगे कि जितनी शिकायत परिषद में नहीं होनी चाहिये थी, उतनी शिकायत है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

क्या माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्वयं में कितनी हरिजन और अनुसूचित जातियों में प्रकाश की व्यवस्था की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा---

नहीं की गयी। आनन्द नगर खतैना, फिरोजखां का ताल चावली आदि में विद्युतीकरण के लिये दरख्वास्त दिये जाने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं हुआ।

*श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

(इस समय 2 बज कर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

प्रदेश में 15 रुपये से 12 रुपये बिजली चार्जेज घटाने, बिजली की कटौती को कम करने, और बिजली की कमी के बावजूद भी शीतग्रहों में 228 शीत गृहों में बिजली देने और फैजाबाद में विद्युत परियोजना के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, विद्युत् परिषद् के काम निसंदेह प्रशंसनीय रहे हैं। लेकिन मान्यवर, फैजाबाद जनपद में बिजली परियोजना में जो बिजली विभाग है, उसमें इस समय अत्यन्त गड़बड़ी चल रही है। फर्जी बिलों के भुगतान से किसान इतने परेशान हैं कि किसानों को यह पता नहीं लगता है कि मुझे कितना बिजली का बिल बकाया देना है और कितना नहीं दिया है। इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे फैजाबाद मंडल में संसद सदस्य माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महादेव प्रसाद वर्मा जी का ट्यूबवेल का मोटर चोरी चला गया था, वह बरामद किया गया, मुकदमा चला लेकिन आठ हजार रुपये का बिजली का बिल उनके सामने आया। जब बड़े लोगों के साथ यह किया जा रहा है तो छोटे लोगों की स्थिति क्या हो सकती है। फैजाबाद के अकबरपुर का बिजली का मामला मैंने माननीय विद्युत् मंत्री जी के सामने लाया। हमारे यहां फैजाबाद में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने लिख कर दिया बिजली के बिलों के बारे में लेकिन जो वहां पर बाबू हैं उसने पत्रावली गायब कर दी। हमारे फैजाबाद में प्रत्येक समय बिजली चली जाती है, दुकानों का चलने का वक्त होता है उस समय बिजली चली जाती है। इस तरीके से मान्यवर, बिजली कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

फैजाबाद में ट्यूबवेलों के बारे में किसान एग्रीमेंट करवाता है लेकिन उसको बहुत परेशानी बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा होती है। वह उनके काम से संतुष्ट नहीं हो पाता। उसे काफी दौड़ाया जाता है।

अयोध्या हरिजन कालोनी में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मंत्री जी की इच्छा के बावजूद कोई भी काम कर्मचारियों की गड़बड़ी के कारण ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। निसंदेह हमारे बिजली मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया है उनका प्रयास सराहनीय है फिर भी मेरा सुझाव है कि वह अपने कर्मचारियों पर इतना अधिक नियंत्रण रखें कि वे आम जनता को राहत पहुंचा सकें, ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें। किसानों के बारे में, लघु उद्योग के मामले में, जितने भी कनेक्शन मांगे जाते है, छोटे-छोटे व्यापारियों को अत्यधिक तकलीफ बिजली के कारण होती है। हमारे टांडा में पावर लूम, हैण्डलूम सबसे बड़ा बिजनेस सेन्टर है। वहां पर छोटे-छोटे उद्योग लगाने वालों की संख्या अधिक है लेकिन वहां पर इस प्रकार की समस्या बिजली की है कि उन लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है।

ट्रांसफारमरों की इतनी अधिक चोरी हो रही है कि उन पर नियंत्रण विद्युत् परिषद् ठीक तरह से नहीं रख पा रहा है। मेरा सुझाव है कि परिषद् में एक सेल का गठन किया जाय जो ट्रांसफार्मरों की चोरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखे।

मस्टर रोल पर जो हजारों कर्मचारी रखे गये थे वे आज सब बेकार हो गये हैं। उनके कई पत्र मुझे मिले हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि मस्टर रोल पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनको फिर से मौका दें ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें।

मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि बिजली के बिलों के भुगतान हेतु एक ऐसी नीति निर्धारित करें ताकि प्रदेश के किसानों को भुगतान में कोई परेशानी न हो, उन्हें संतोष हो और उन्हें राहत मिले। धन्यवाद।

*श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। यह निर्विवाद सत्य है कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों के माध्यम से बहुत बड़ी स्थिति पैदा की जाती है और यह बताया जाता है कि इतनी बड़ी प्रगति हमने की है। किन्तु व्यवहारिक स्वरूप तो आप को गांवों में जाकर खेतों और मजदूर किसानों में देखने को मिलेगा। बिजली विभाग पुलिस विभाग से भी अधिक भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। मथुरा जनपद में एक किसान के यहां दो ट्यूबवेल की रिपोर्ट की गयी जबकि एक ट्यूबवेल था। एक ट्यूबवेल का पेमेंट कर दिया गया, दूसरे में उसे 14 दिन की जेल भुगतनी पड़ी। हमने तत्कालीन विद्युत्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम चन्द्र तिवारी]

मंत्री से कहा लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई और न किसान से पूछा गया कि उसे जेल क्यों भुगतनी पड़ी ? विद्युत् विभाग जो गरीबों की सुविधा के लिये है, यदि वह इस तरह का कार्य करेगा तो कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह किसानों का हित कर सकेगा। मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । सबसे पहले कापी छपवा कर किसान को दें। जब किसान लिख दे कि मेरे अमुक खेत पर नलकूप लगना चाहिये और जब विभाग में वह पत्र पहुंच जाय तो सीमा निर्धारित की जाय। किसान को किसी के पास न जाना पड़े। सारा काम विद्युत् परिषद्, विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवक अपने आप करें और समय निश्चित कर दें कि इतने दिन के अन्दर नलकूप लग जायगा वर्ना क्षेत्र का अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मथुरा जनपद गर्की तथा बाढ़ से पीड़ित रहता है और 6 महीने तक नलकूपों का प्रयोग नहीं कर पाता है लेकिन किसान को पूरे साल का खर्चा देना पड़ता है। फिर बिल भी ज्यादा का बन कर आता है। बिल अगर 500 का बन कर गया और वह कार्यालय में जाता है और कहता है कि ठीक कर दिया जाय तो उससे कहा जाता है कि 100 रुपये देने पर 300 का बिल बना दिया जायगा। अगर 100 रुपये देने पर 500 का बिल 300 रु0 का बन सकता है तो 200 रुपये देने पर वह 50 रुपये का भी किया जा सकता है। इन बिलों की समस्या से किसान तथा खेतिहर मजदूर पीड़ित हैं। इस समस्या के समाधान के लिये कोई प्रभावशाली कदम उठाया जाय ताकि उनको तत्काल लाभ हो सके।

दूसरा अनुरोध यह है कि जब किसान यह प्रार्थना पत्र देता है कि उसका नलकूप लग जाना चाहिये या उसको बिजली मिल जानी चाहिये या छोटे उद्योगों के लिये कनेक्शन मिल जाना चाहिये तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अगर कोई कोल्ड स्टोरेज के लिये, हैवी इंडस्ट्री के लिये कहा जाता है तो आनन फानन में कनेक्शन लग जाता है। क्या इस प्रकार यह विद्युत् परिषद् किसानों तथा मजदूरों का हित कर सकेगी ? हमारे यहाँ जै सिंह साहब हैं। वह न तो किसी अधिकारी को समझते हैं और विभागों के पत्रों के सम्बन्ध में कहते हैं कि जब मंत्री के पत्र का उत्तर नहीं देते तो विभागों को वह क्या समझेंगे ? 15 पत्र आपने लिखे और पचासियों मैंने लिखे लेकिन आज तक उनका उत्तर नहीं मिला। अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो यह आप उन पर कृपा करते है, यह कोई सजा नहीं है। अगर मेरी बात सत्य हो तो पहले उनको निलम्बित करें, फिर जाँच करें और जाँच करने के बाद अगर अधिकारी दोषी पाया जाय तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाय। जो दंड दिया जाय उसका प्रकाशन हो। अगर इस तरह दंड की व्यवस्था कर दी जायगी तो विद्युत् विभाग में बहुत बड़ा सुधार हो जायगा।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि वहाँ पर बिसाबर में लगभग 50 बड़े और 200 छोटे उद्योग धन्धे हैं। इनको विद्युत् विभाग सही रूप में बराबर नहीं दे पा रहा है। और बराबर उनसे वसूली की जा रही है। जब चाहते हैं बिजली दे देते हैं जब चाहते हैं, नहीं देते हैं। रुपया लेकर बिजली चालू करते हैं। इन बातों से आज सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मान्यवर, आप किसानों के लिये बिजली देने का ऐसा प्राविधान करें जिससे किसान को किसी अधिकारी के यहाँ 10–10 और 15–15 दिन तक न दौड़ना पड़े और जहाँ पर वह अपना नलकूप लगाना चाहें वहाँ पर उसे बिजली दी जाय। विद्युत् विभाग का कर्मचारी जब उस स्थान का सर्वे कर ले कि वहाँ पर बिजली दिया जाना ठीक है और वह प्रमाण पत्र दे दें तो उसको शीघ्र बिजली मिल जानी चाहिये। किन्तु किसान को न तार मिलता है और न लट्ठा मिलता है। किसान परेशान हो जाता है किन्तु उसे कनेक्शन नहीं दिया जाता। जो रुपया दे देता है, उसको कनेक्शन मिल जाता है और जो रुपया नहीं देता उसे नहीं मिल पाता है। इसलिये मान्यवर, इसके लिये आप समय निर्धारित कर दें कि इतने दिन के अन्दर हम कनेक्शन दे देंगे।

*श्री राम गोबिन (जिला बलिया)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर्व प्रथम मैं माननीय विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह बात सही है कि इस समय विद्युत् की उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत के करीब है और यह वृद्धि माननीय मंत्री जी के चार्ज लेने के बाद हुई है, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इसके पूर्व बिजली की उत्पादन क्षमता 30 प्रतिशत थी और इन दोनों में अन्तर के कारण विद्युत् परिषद् को जितना धन अर्जित करना चाहिये था उतना नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन की बात करते हैं। इससे हम पूर्णतया सहमत हैं। मान्यवर, पत्ते में पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। जड़ में पानी डालना होगा। मान्यवर, शक्ति भवन में यदि आप प्रवेश करें तो पता चलेगा कि हर जगह सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के नाम लगे हैं लेकिन इन्जीनियर लोगों के कोई नाम किसी भी कमरे के सामने नहीं दिखाई पड़ेंगे। मान्यवर, होना यह चाहिए कि नौकरशाह फाइल को देखे और मंत्री नीति निर्धारित करें लेकिन आज बिलकुल इसके विपरीत हो रहा है। इन्जोनियर फाइलों के फीते बाँधने में लगे हुये हैं अफसर उनको फीता बाँधते हुये देख कर मुसकरा रहे हैं और मंत्री जी अलग से काम बाँट रहे हैं जिस कारण इस प्रदेश में विद्युत् सम्बन्धी बातों में असमानता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम विद्युत् परिषद् में नौकरशाह द्वारा इंजोनियरों की अवहेलना की जा रही है जिससे विद्युत् के मशीनीकरण में गड़बड़ी हो रही है और विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है।

आज किसानों को अधिक बिजली देने का वक्त है। जनता पार्टी की सरकार ने यह वादा भी किया है कि जब हम शासन में आयेंगे तो किसानों की दशा को सुधारने में अग्रसर होंगे और जो भी होगा हम किसानों का हित करेंगे। परन्तु मान्यवर, खेती के लिए बिजली देने के साथ-साथ उद्योग खतम न हो जायं इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जनता पार्टी की नीति लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है। लेकिन इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति लघु उद्योग लगाने के लिये, कुटीर उद्योग लगाने के लिए आगे आता है तो वह बिजली के लिए एप्लाई करता है। बिजली विभाग के कर्मचारी उसे निरुत्साहित करते हैं। सरकार कहती है कि हम उत्साहित करते हैं परन्तु कर्मचारी निरुत्साहित करते हैं। उनको बिजली देने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं। सर्वे करने में अगर एक हजार रुपया आता हैं तो उसे 5 हजार का सर्वे बताया जाता है। अगर परोक्ष रुप से उन्हें गलत पैसा दे दिया जाता है तो फिर सर्वे ठीक होकर वह कम कर दिया जाता है। इस प्रकार उनके उद्योग जो हैं वह जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं सरकार के कागज में तो उद्योग लग रहे हैं लेकिन कर्मचारियों की जालसाजी के कारण आज उद्योग ठप पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा वह आज कर्मठ मंत्री हुये हैं इस लिए विद्युत विभाग को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने शासन काल में देखें कि कुटीर उद्योग लगाने वालों को, लघु उद्योग लगाने वालों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर नियमानुसार कोई प्रार्थना-पत्र देता है तो आपके विभाग को बिजली देने में अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिये जिससे कि उद्योग चल सकें और उसने जो सरकार से ऋण लिया है उसका भुगतान वह कर सके। मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

आजकल एक तहलका मचा हुआ है हमारे गाँवों में बिजली की वसूली आपने राजस्व विभाग को सौंपी है। राजस्व विभाग किसानों को बड़ा परेशान कर रहा है अगर वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोबिन]
बिजली का बिल चुकाना भी चाहता है तो वह नहीं कर सकता है। मान लीजिये किसी किसान ने बिजली का बिल नहीं दिया तो बिजली विभाग से उसकी लाईन काट दी जाती है। जब उसे फिर दुबारा लाईन की जरूरत होती है और वह चाहता है कि हमें दुबारा कनेक्शन मिल जाय तो जब से बिजली कटी हुई है तब से जोड़ कर उससे पैसा वसूल करने की बात होती है उससे कहा जाता है कि तुमने कहाँ-कहा कि हमारी बिजली काट दी जाय इसलिये जब से बिजली कटी है तब से आपको पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। एक तो किसान की बिजली काट ली गई और दूसरा उसके खेत का नुकसान हुआ और तीसरा वह 15 रु0 जमा करे कि हमारी बिजली काट दी जाय और फिर दुबारा कहे कि कनैक्शन दिया जाय तब विभाग मानेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप स्पष्ट निर्देश दें कि विभाग द्वारा जब से बिजली काट दी जाय किसानों के ट्यूबवेलों की उसी समय रजिस्टर में नोट कर दिया जाय कि आज से इन पर बिल का पैसा नहीं चढ़ेगा। मैं बलिया की बात करता हूं, हमारे यहाँ सैकड़ों किसानों के ट्रांसफार्मर उठा लिये गये, उनके ट्यूबवेल बंद हो गये और उनके ऊपर 18, 19 हजार रु0 जोड़ दिया गया। तो उनसे वही पैसा वसूल किया जाय जो वास्तव में उन पर ड्यू है। किसान पैसा देने के लिये तैयार है लेकिन बिजली कर्मचारियों की वजह से उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। (लाल बत्ती जलने पर) मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। जब मंत्री जी बोल रहे थे तो छोटे-छोटे लोगों को बिजली की सुविधा देने की बात कह रहे थे।

श्री अधिष्ठाता--
आप समाप्त करें।

श्री राम गोबिन--
आप जानते हैं कि पूर्वांचल में बलिया सबसे पिछड़ा है। वहाँ न कोई उद्योग है और न वहाँ कोई चीज उपलब्ध है और बिजली की दशा बद से बदतर है

श्री अधिष्ठाता--
आप बैठिए, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री राम गोबिन--
इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे बताए अनुसार मेरे बलिया जनपद के उन ब्लाकों में निःशुल्क विद्युतीकरण की योजनाए चलाएं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम धर मिश्र--
माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे, तो मेरे मन पर यह असर हो रहा था कि वह यातो इस विभाग के सम्बन्ध में अपने को अभियुक्त समझ रहे हैं या विरोधी दल को समझ रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को समझ रहे हैं। लेकिन श्रीमन, मैं किसी को अभियुक्त नहीं समझ रहा हूं। मेरी कल्पना तो यह है कि आज की स्थिति में जो पहले से आई है, उस स्थिति में क्या सुधार होना चाहिये, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिये। मैं आशा करता हूं मंत्री जी उन बातों पर जोर देंगे, लेकिन उन्होंने तुलनात्मक ढंग से ,गणना के ढंग से फीगर्स निकाल कर यहाँ अपनी बात कह दी, जो कि उनके केस को कमजोर करता है। एक अच्छे मुकदमे को गलत वकील मिल जाता है, तो यही होता है, वही आज हुआ है। आज उसकी वकालत ठीक से नहीं हुई है, मैं यह नहीं कहता कि 2 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ। इसको मैं सिद्ध करने का अब प्रयास करूंगा। मेरे पास 77-78 की विभागीय पुस्तिका है, उसमें 76-77 की गणनाएं हैं और मार्च, 77 तक जनता पार्टी का प्रादुर्भाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था और न उस समय तक वर्तमान विद्युत मंत्री या भूतपूर्व मंत्री का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी या उसका असर था और अगर मंत्रिमंडल नहीं था तो गर्वनर शासन था। मंत्री जी ने अपने विभाग के आँकड़ों को नजरन्दाज कर दिया है। मैं, पृष्ठ 3 के अनुसार कह रहा हूं कि 31-3-77 तक कुल क्षमता 2,600 थी, जो अब 3 हजार 182

तक जा रही है। इसके मायने यह है कि आपने अनावश्यक आलोचना करने की कोशिश की है। जब 47 में आजादी आयी, उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 180 मेगावाट बिजली थी और पूरे देश में उतनी बिजली नहीं थी, जितनी आज उत्तर प्रदेश में है। तो अब इस बात को मैं कहूं कि 30 वर्ष में बहुत काम हुआ, तो मैं उसे कहना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आप इस तरह जम्प कर रहे हैं कि 2,600 से 3 हजार पर आ गये हैं

श्री रेवती रमण सिंह—

3,100।

श्री श्याम धर मिश्र—

यही सही, लेकिन आपकी कोई अब तक नयी योजना नहीं है। तो कांग्रेस की शुरू हुई योजना, ओबरा में और दूसरी, फलित हुई है। इसी तरह से ग्राम विद्युतीकरण योजना के सम्बन्ध में है, 26 हजार गाँव की संख्या है, एक आँकड़ा बड़ी बहादुरी से, माननीय मंत्री ने, हमारे पड़ोसी हैं, कुंवर साहब हैं, राजा साहब हैं, बड़ी बहादुरी से वक्तव्य दे रहे थे, यह समझ लिया था कि कोई पढ़ता नहीं। मैं मानता हूं कि आपको फाइलें उपलब्ध हैं। आपका ज्ञान ज्यादा है। लेकिन आप यह मान कर चलें कि पढ़ते तो आधा हम भी हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

आप महाज्ञानी हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

हो सकता है कि महामूर्ख भी हों। लेकिन एक महाज्ञानी होते हुए, हम जैसे मूर्ख के सामने महाज्ञानी ने मूर्खता की है। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ कहना चाहा, जो इसमें लिखा हुआ है, इतनी संख्या होती थी, इस साल कम हुआ खर्च चलाने में। मैं आपकी तारीफ करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि आपने गलत कहा। लेकिन उसकी बुनियाद क्या है। पन्ना दो पर देखिए इसी पुस्तिका में जो बंटी है, माननीय मंत्री जी देख लें। 1978-79 में, कालम 6 देख लें, कंट्रीब्युशन टु डेप्रीसिएशन फंड, ह्रास संचित निधि में योगदान पिछले साल था 32 करोड़ का इस साल है केवल 17 करोड़ सामान्य संचित निधि में योगदान, कंट्रीब्युशन टु जनरल रिजर्व पिछले साल था 6 करोड़, इस साल शून्य है। इसके मानी क्या हुए? करीब-करीब 22 करोड़ रुपया इस तरह से इस मद में डाला ही नहीं गया जिसके लिए डालना चाहिये था और जिसके लिए कहते है कि मेरी पीठ पर हाथ रख कर थपथपा दीजिये। पन्ना 43 पर देखिए, इसमें दिया हुआ है कि आप 43 करोड़ रुपया ब्याज नहीं दे रहे हैं। किस का नहीं दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं दे रहे हैं। आधा नहीं दे रहे है। मैं इनके साथ हूं। इनको नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसको उनको बताना चाहिये अगर नहीं दे रहे हैं। 43 करोड़ और 43 करोड़ 86 करोड़ रुपया ब्याज का उन्होंने नहीं दिया। 43 और 22 को जोड़ दीजिये, 65 करोड़ रुपया नहीं दिया और कहते हैं कि तारीफ होनी चाहिए कि मुनाफा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं केवल इस दृष्टि से कह रहा हूं मैं उनके साथ इस बात पर हूं, मैं इसके पहले भी बोला था, मैं इस राय का हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्वतन्त्रता कायम रहे और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को सही मानी में अगर गाँवों को बिजली देनी है, किसानों को बिजली देनी है, तो अलाभकर वह है, अलाभकर बिजली देने के लिए सरकार को उसका घाटा सहन करना चाहिये। सरकार को उसका घाटा पचास फीसदी, जितना घाटा एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस पर हो रहा है, उसका 56–60 फीसदी, 20–25 करोड़ बजट में डाल कर हम लोगों से स्वीकृति लेकर सीधा रुपया दे दें, जिसमें एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ग्रामीण विद्युतीकरण, किसानों के विद्युतीकरण का बहाना बराबर न बना रहे कि घाटा हो रहा है। इस तरह से आप देख लीजिये तो सैकड़ों करोड़ का घाटा हो रहा है।

[श्री श्यामधर मिश्र]

मंत्री जी के अनुसार 10 करोड़ का फायदा है। इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत आता है और दूसरी ओर आप इसको डिपार्टमेंटल ढंग से चलाना चाहते हैं। आप दो में से एक कोई रास्ता अपनायें। इसमें माननीय मंत्री जी का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये। जिस हद तक होता रहा है वह गलत होता रहा है और जिस हद तक हो रहा है वह गलत हो रहा है। सीमा परफार्मेंस की दे दीजिये। अगर आपने 100 प्रतिशत कह दिया तो यह संख्या को बढ़ायेंगे, यह संख्या को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ वर्षों में हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार से सवा छः प्रतिशत व्याज पर रुपया लेते हैं और 20–25 करोड़ रुपया बाकी है। आप अनुदान पर इसे खर्च कीजिए। तो स्पष्ट रूप से एक हाथ से लेना चाहिये और दूसरे हाथ से देना चाहिए बजट में दिखाकर। बराबर काँग्रेस की सरकार में यही हुआ है और आज जनता पार्टी की सरकार में भी यही हो रहा है। सातवें वित्त आयोग ने कह दिया कि अगर विद्युत् बोर्ड को फायदा नहीं हुआ तो पैसा काट लिया जायेगा। प्लानिंग कमीशन तो मानने वाला नहीं है। आपका राजस्व परिषद् है। माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि मैं उसकी तारीफ करूं। जब यह चाहते हैं तो मैं उनकी तारीफ नहीं करुंगा, उसका कारण क्या है ? आप सुनें। आपकी पुस्तिका है, उसके पन्ना 2 पर देखें। वर्ष 1978–79 के लिए 281 करोड़ का प्राविधान किया और इस बजट में इसको 260 करोड़ कहा है। हमारी प्रगति हुई है। हर साल कम से कम 10 और 15 प्रतिशत बजट बढ़ रहा है यह सरकार कहती है कि हम कृषि और बिजली पर 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की प्रायरिटी देंगे। 281 से उतर आये और 260 पर और कह गये कि हम प्रयास कर रहे हैं कि 281 तक हो जाये। इन्होंने यह नहीं कहा कि 281 से 300 हो जायेंगे। तो मैं यह कह रहा था कि ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी को इन सब बातों को देखना चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण जेनरेशन जो हो रहा है मैं उसकी ताईद करता हूं, इधर 4 वर्षों में। 2 वर्षों में नहीं। आपकी ही किताब कहती है। जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बढ़ाया है, यह 60 प्रतिशत के ऊपर है, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। चोरी और लाइन लासेज जो हैं वह 29 प्रतिशत थी अब 18 प्रतिशत है, लेकिन जब यह कहते है कि यह 2 वर्ष का है तो मैं कैसे मानूं। पिछले 4 वर्ष से बराबर प्रगति हो रही है।

मान्यवर, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन समय नहीं है। इनके पूर्व मंत्री ने इस सदन में कहा था कि जिले में विद्युत् की समितियाँ होंगी। उनको गये 6 महीने हो गये और इनको आये 3 महीने हो गये। हर विभाग जिलों में समितियाँ गठित कर रहा है लेकिन पता नहीं अकेला यह विभाग क्यों नहीं कर रहा है। पता नहीं कठिनाई क्या है। ऐसा मालूम होता है कि इनका जो पैटर्न आफ आर्गेनाइजेशन है वह डिस्ट्रिक्ट लेविल का नहीं है। ये तो ऐसा बनाते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर इनका मेन्टीनेन्स, विलिंग और कामर्शियल आदमी होने चाहिये। वहाँ पर एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जरूर रहे। इलाहाबाद में और बनारस में नहीं है। वह तहसील स्तर पर हों।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गुलाब सेहरा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी को बधाई देता हूं कि गत 30 वर्षों से जिन घरों में अंधेरा पड़ा था, आज उनमें रोशनी करने का उन्होंने संकल्प लिया है। काँग्रेसी शासन काल में हमारे किसानों की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वर्ष 1950–51 में प्रति किसान औसत आमदनी 198 थी, वर्ष 1976 में घट कर वह 196 हो गयी थी। उसको सुधारने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया था, यह कितनी बड़ी बिडम्बना की बात थी।

वर्ष 1976 में माननीय मिश्र जी विरोध में जो बैठे हुए हैं शायद जानते हों कि इस प्रदेश में वर्ष 1976 में 3–4 घंटे ही बिजली रहती थी, लेकिन आज सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि दिन में 20–21 घंटे तक बिजली रहेगी, क्योंकि किसान ही नहीं माननीय मिश्रा जी स्वयं भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं। उनके यहाँ पर भी ऐसा कारोबार होता है जिसमें बिजली की आवश्यकता होती है। उन्हें विदित होगा कि वर्ष 1976 में उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ा था लेकिन आज उनकी बिजिनेस चाहे वह कालीन की हो या और किसी का उसके उत्पादन में मिश्रा जी को वृद्धि हुई होगी। मिश्रा जी को माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहिए कि उनकी कठिनाई इस जनता राज में दूर हो गयी है।

जहाँ तक ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न है पिछले शासन में केवल भाषण ही हुआ करते थे। मुझे निजी जानकारी है कि पिछले शासन काल में हरिजन बस्तियों में केवल पोल्स गाड़ दिये गये थे, लेकिन रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने आते ही स्पष्ट आदेश दिये कि उन बस्तियों में जहाँ-जहाँ खम्भे चुनाव के दिनों में लगे हैं वहाँ रोशनी दी जाये। मेरा सुझाव यह है कि उन हरिजन बस्तियों में हर गली में अगर आप रोशनी का प्रबन्ध तुरन्त न कर सकें तो चौराहों पर रोशनी का प्रबन्ध करा दें। मैं समझता हूं मंत्री जी इस ओर प्रयत्नशील भी हैं। माननीय मिश्रा जी कहते हैं बिजली में कोई सुधार नहीं हुआ.....

श्री श्यामधर मिश्र––

हम यह कहाँ कहते हैं कि कोई सुधार नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद––

आलू, गन्ना, गेहूं और सभी चीजों के उत्पादन में जो आज वृद्धि हुई है वहीं इस बात को बताता है कि समय-समय पर किसानों को बिजली मिलती रही है। पिछले वर्षों में बिजली न मिलने के कारण ही उत्पादन कम हुआ है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बिजली कर्मचरियों के बारे में जिक्र किया। मैं यह नहीं कहता सभी कर्मचारी गड़बड़ी करते हैं या भ्रष्ट हैं, पर पिछले काँग्रेस शासन में उनकी आदतें कुछ बिगड़ी हैं। माननीय मिश्रा जी के शासन में उनमें सुस्ती आयी है। आज जहाँ इस सरकार ने उनकी सुख सुविधा बढ़ायी हैं, वहीं हम कर्मचारियों से भी यह आशा करते ह कि वे भी अपने में चुस्ती लायें और जिन शिकायतों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, उन्हें दूर करें।

माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो बहुत बड़ा विद्युत् गृह टान्डा फैजाबाद में खुलने की चर्चा की है, उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। किन्तु एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि विद्युत् गृह के लिये जिन लोगों की जमीनें ली जायें उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाये और इस बात की भी व्यवस्था हो कि उनके लड़कों को विद्युत् गृह में नौकरी मिले। कर्मचारियों के लिये एरियर के भुगतान करने के लिये 14.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है तथा 160 आवास गृह भी कर्मचारियों के लिये बनाने की योजना है। जिस प्रकार से शासन कर्मचारियों की माँगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है, कर्मचारियों को भी जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। उनसे भी शासन यह अपेक्षा करेगा कि वे जनता की शिकायतों को दूर करें। वे अपने में ऐसा सुधार करें जिससे गाँव के लोगों को होने वाली कठिनाइयाँ दूर हो सकें और आसानी से उन्हें बिजली मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, ये आपके ऊपर लाँछन लगायेंगे, क्योंकि मैं और आप एक ही जिले का हूं। (हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

इसका कोई फर्क नहीं है।

श्री लक्खी सिंह--

बिजली मंत्री जी ने जो अनुदान माँगा है, उसका तो मुझे समर्थन करना ही है, मजबूरी विशेष तो नहीं, लेकिन कुछ बंधन है, इस वजह से मुझे समर्थन करना है। श्रीमन्, आप यह लाल बत्ती बहुत पहले मत जला दिया करो।

श्री अधिष्ठाता--

आपको 7 मिनट मिला है, इसी में समाप्त करना है।

श्री लक्खी सिंह--

60 मिनट ?

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

7 मिनट।

*श्री लक्खी सिंह--

श्रीमन्, मैं आपके क्षेत्र का बोल रहा हूं, जहाँ से आप एम0 एल0 ए0 बन कर आये हैं और इस गद्दी पर बैठे हैं। मथुरा जिले के बारे में मुझे माननीय मंत्री जी से कहना है। ये मंत्री बैठे हैं और इधर ये अधिकारी भी बैठे हैं। हम हरियाना के पड़ोसी हैं। तो हरियाना में गाँव-गाँव में बिजली लग गयी। एक-एक किसान की मेड़ पर, एक-एक खेत पर ट्यूबवेल लग गया। सन् 40 में तिरंगा झंडा कुछ लोग लेकर लड़ाई लड़ने के लिए नारा लगाते थे, हम भी नारा लगाते थे, तो हमारी मरम्मत की जाती थी और वह तिरंगा हमारा छीन लिया जाता था। तो मैं यह कह रहा था कि वहाँ पर गाँव-गाँव में बिजली, घर-घर में बिजली, एक-एक खेत पर ट्यूबवेल लग गये हैं। यहाँ पर न मिश्रा जी हैं और न तिवारी जी हैं, कोई है ही नहीं, यहाँ उसका जनता ने काला मुंह तो कर दिया, लेकिन उसने बिजली नहीं पहुंचाई। आप अपने गाँव को और हमारे गाँव को देखिये, दोनों क्षेत्रों को देखिये कि क्या हालत है। पहले के जो बिजली मंत्री जी थे, श्री शाही जी महाराज को तो जानते ही है, आप बर्खास्त हो गये, वह कह कर आये कि बिजली लगना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर मैं मंत्री होता और कोई अधिकारी आज्ञा को न मानता तो वह अधिकारी मेरी कलम से बच नहीं सकता है, बर्खास्त ही नहीं, उसे लटका दूंगा। लेकिन करूं क्या, मैं मंत्री बनूं, न शतरुद्र बने, न वर्मा को कोई मंत्री बनाये और ऐसे लोग बना दिये जाते हैं, जिनमें दम है ही नहीं। ये बिलकुल पंचर हैं। पंचर मंत्री बना दिये जाते हैं। जब मंत्री पंचर हैं, तो अधिकारी क्यों दबेगा। एक कविता कहता हुं, इसको आप लोग सुने। तीन बरन ऊपर के बिगड़े फिर शूद्रों का कहना क्या, जो रिपोर्ट है, ये भोजपुरी है, मेरे भाषण का सत्यानाश कर देते है। फूटी आँख लगी जब ठोकर तो दोष पैर को देना क्या। ये बिल्कुल पंचर हैं। हमारी चले क्या, हमारी कोई मानता ही नहीं। मुख्य मंत्री महोदय हैं ही नहीं, वह पुरानी रंजिश मानते हैं बनारसी दास जी, सहकारिता मंत्री थे मुलायम सिंह वाले विभाग में, आपको पता नहीं, तो हम पोस्ट मार्टम करते रहे। मुख्य मंत्री भी नाराज, आप भी नाराज हो जावो तो हमारा कौन होगा, आप नाराज मत होना, आपकी तृष्णा पूरी करेंगे ये लोग।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

समय का ख्याल रखें, बोलें आप।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्खी सिंह–––

श्रीमन्, गर्की का क्षेत्र है, गर्की का जिला है, मथुरा, राजस्थान और हरियाना के पानी से बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। एक महीना बाकी रह गया। श्रीमन्, वहाँ का पानी सब खारी है, गाँव में पानी भी नहीं है, मंत्री महोदय जरा अच्छी तरह से कान की ठूंठी निकाल दें, ...

(लाल बत्ती जलने पर)

यह क्या कर दिया, यह मत करो, श्रीमन् मंत्री जी से मुझे कहना है कि कोई गाँव ऐसा न रहे, 3 साल के अन्दर, जहाँ पीने का पानी, जहाँ औरतें 2–2 मील से पानी लाती है, हमारे जिले में, नोट करो, जो आर्डर को न माने, तो मुझे बता देना, मैं मंत्री नहीं हूं लेकिन मेरे पास तोप है, जो आदमी नहीं मानेगा, जो मंत्री नहीं मानेगा, उसके फेरा डलवा कर दम घुटवा दूंगा। श्रीमन् एक बात बता के हट जाता हूं, आपका आर्डर, आपके अनुशासन में मुझे रहना है, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर हो, ये लोग यह न कहें कि मथुरा जिले को ज्यादा समय दे दिया, मैं जबरदस्ती समय लूंगा आपसे, लोहिया जी कहा करते थे "सौ से कम नहीं हजार से ज्यादा सोशलिस्ट का यही तकाजा"....

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें।

श्री लक्खी सिंह–––

श्रीमन्, लोहिया जी की बात मैं कहता हूं। लोहिया जी के कुछ नुमाइन्दे यहाँ बैठे हुये हैं, बाकी तो सब कूड़ा करकट है।

जो बिजली की डोर पकड़ कर मर जाता है। छोटा कर्मचारी जो बिजली का तार पकड़ता है, तो तार पर चढ़ता है, उसको तो भर पेट रोटी मुहैया नहीं। क्या नाम रख दिया इसका, अधिशासी अभियन्ता। लोहिया जी ने कहा था कि कभी नाम न बदलें। किसान तो समझता नहीं इस नाम को। वह तो जानता नहीं कौन है – यह इंजीनियर। श्रीमन्, रिपोर्टर नोट करें। कोई करे या न करे, अखबार वाले करेंगे, जो वह तीन-चार बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

अब समाप्त करें।

श्री लक्खी सिंह–––

सुन लें मेरी बात। श्रीमन्, एक बात मैं आपसे जरूर कह देना चाहता हूं। यह जो तनख्वाह में है, उसे नहीं रखना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें।

श्री लक्खी सिंह–––

तनख्वाह में एक और दश का अन्तर भी अब कम नहीं। देखें, महंगाई बड़ी जबरदस्त है। ऊपर से घटाओ और नीचे से बढ़ाओ। छोटे कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाओ, उसे वर्दी दो, सर्दी की वर्दी दो, गर्मी की वर्दी दो, बरसात की वर्दी दो। यह बिजली के छोटे कर्मचारी की आप तनख्वाह बढ़ायें तो हमारी आपकी पार्टी रहेगी, नहीं मानेंगे तो शाही जी की तरह आपका भी बिस्तर गोल हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। सात मिनट में समाप्त कर दें। जो माननीय सदस्य बजट पर बोल चुके हैं और राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले बोल चुके हैं, वह न खड़े हों तो अच्छा रहेगा।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, अभी श्री गुलाब सेहरा बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के, विद्युत के बारे में। मान्यवर,यह बात सही है कि विद्युत का उत्पादन बढ़ा है, गाँव में भी बिजली मिल रही है। इस संबंध में अब पहले जैसी समस्या नहीं है इसके लिये मैं विद्युत मंत्री को और समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज उनक परिश्रम से बिजली का उत्पादन बढ़ा, है, किसानों को बिजली मिली है। किसानों की तरक्की हुई है साथ ही साथ पूरे प्रदेश की तरक्की हुई है। मान्यवर, इस जनता सरकार ने और इस नई बनारसी दास जी की सरकार ने अच्छे काम किये। थर्मल में उत्पादन बढ़ा, हाईडिल में उत्पादन बढ़ा। ओबरा पावर स्टेशन है, छिब्रो पावर स्टेशन है, वह 2–2 साल से बिगड़ा है, उसे क्यों नहीं ठीक करवाया। विद्युत परिषद के अन्दर एक मेम्बर है जिसका एक ही काम है, थर्मल पावर की देख-रेख करना। मऊ पावर हाउस बहुत पुराना है। मैं मानता हूं लेकिन आज एक या दो मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसी तरह से ओबरा में जब मशीनें बिगड़ती हैं तो उनकी रिपेयरिंग समय से नहीं होती है।

आज थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ बिजली का जितना उत्पादन होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। विद्युत उत्पादन की जहाँ बात है वहीं विद्युत पर होने वाले खर्च में इस साल कमी हुयी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कमी हुयी है। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना है, मैं आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं। सारे गाँवों में जहाँ बिजली लगनी थी जिस गति से काम होना चाहिये था उस गति से नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है मैं पूछना चाहता हूं। हम लोग जानते है कि कन्डक्टर के अभाव में गाँवों में बिजली नहीं लगी। एल्यूमूनियम नहीं मिला। मैं भूतपूर्व विद्युत् मंत्री शाही जी की आलोचना तो नहीं करता अगर करता हूं तो समझेंगे कि मैं बिड़ला का एजेन्ट हूं। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा था कि गाँवों में बिजली का रेट 12 रुपये प्रति हार्स पावर किया जाय, यह मैंने उठाया था। 14 हजार कनेक्शन देने थे इसका शाही जी के पास जबाव नहीं था। आज मुझे मालूम है कि 19 करोड़ रुपये का एल्यूमूनियम विद्युत परिषद ने लिया। जो बकाये थे चाहे वह सिंचाइयाँ पर थे या मोहन नगर वालों पर, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े पूंजीपति थे और जिन पर बकाया था जिनकी बिजली काटने की पहले हिम्मत नहीं थी, आज वर्तमान मंत्री कुंवर साहब के नेतृत्व में बिजली की कटौती की गयी और वसूली हुयी। आज रिकार्ड है कि इतने बकाये की वसूली अब तक बिजली में नहीं हुयी। काँग्रेसी जमाने का जो पैसा पूंजीपतियों पर बकाया था उसकी वसूली हुयी है। जहाँ यह सारे काम हुये हैं वहीं आज जो परिषद में भ्रष्टाचार है उसको भी बहुत कुछ दूर करना है।

मान्यवर, करोड़ों रुपयों का क्रय होता है। 500 टन स्क्रेप के लिये टेंडर होता है, नीलामी होती है और हजारों टन स्क्रेप उठ जाता है और लाखों रुपये इधर-उधर हो जाते हैं। मैं वर्तमान विद्युत मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आप जबाव दें, इसकी जाँच करायें। जब विद्युत परिषद के चेयरमैन बालिगा थे तो उस समय मैंने एप्लीकेशन दी थी कि करोड़ों रुपयों का घपला है और भूतपूर्व मंत्री शाही जी ने कहा था, मुझ से व्यक्तिगत रूप से कहा था कि मैंने जाँच का आदेश दिया है। लाखों रुपयों का सामान आज भी पड़ा है जो काम में नहीं लाया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि उस जाँच का क्या हुआ, सदन में बतायें, क्योंकि करोड़ों रुपये का मामला था। ट्रांसफारमर्स की बात है, मुझे निश्चित जानकारी है कि ट्रांसफारमर्स उत्तर प्रदेश से कम खरीदे जाते हैं। कमानी और टाटा से खरीदे जाते हैं। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार भी उत्तर प्रदेश से नहीं खरीदते हैं। लाखों रुपयों के आदेश बाहर जाते हैं। हमारे प्रदेश का सेल्स टैक्स दूसरे प्रदेशों को चला जाता है। तो हमारे यहाँ जो ट्रांसफारमर उद्योग है इसको पनपाने की कोशिश की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

100 के0 वी0 के ट्रांसफारमर्स बनाने के आदेश दिये जायं। जब तक कमानी और टाटा से माल खरीदा जायगा तब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा और बेरोजगारी दूर नहीं होगी। जी0ई0सी0 कम्पनी को सबसे बड़े आर्डर ट्रांसफार्मर्स के दिये जाते हैं। वह दूसरी कम्पनियों के बने ट्रांसफारमर्स पर अपना बोर्ड लगाते है। मैं चाहता हूं कि जी0 ई0सी0 कम्पनी के सारे ट्रांसफारमर्स की जाँच करायी जाय। 1977–78, 1978–79 में कितने ट्रांसफार्मर्स लिये गये और उसमें से कितने खराब हुये, मैं चाहता हूं कि इसकी जाँच हो।

चूंकि समय कम है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाय और बड़े-बड़े पावर स्टेशन बनाये जायं। टाँडा में बन रहा है, आजमगढ़ में दोहरी घाट में बनने वाला है, मैं नहीं जानता कि कब तक बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत का अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर पक्ष और विपक्ष से अलग-अलग तरीके से इसका समर्थन और विरोध किया गया है। यह सही है कि आज की दुनियां में देश और प्रदेश में आदमी के जन-जीवन में बिजली का बहुत महत्व है और इंसान की जिन्दगी ही विज्ञान पर निर्भर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो अरबों रुपये का बजट मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें इसी पर हमें आधारित नहीं होना है कि बिजली का कितना उत्पादन और कितनी आवश्यकता है बल्कि उसका लाभ किसको मिल रहा है इसको भी देखना है। प्रदेश में 85 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है जिसको देखते हुये यह देखें कि बिजली का असली लाभ जिनको मिलना चाहिये उनको मिल रहा है कि नहीं। यह भी देखना होगा कि बिजली के उत्पादन की लागत क्या है। आज 27 पैसे प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत है लेकिन इस चीज को मंत्री जी ने नहीं बताया है कि प्रदेश में बिजली की उत्पादन लागत क्या है और किसानों को किस रेट में मिलती है। यही नहीं प्रदेश के आस-पास प्रदेशों के आँकड़े भी नहीं दिये हैं बल्कि यह बताया कि कितने पावर हाउस बनाये हैं, कितना उत्पादन बढ़ा है। तो मान्यवर, जो 27 पैसे प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत है। उसमें आप देखें तो पूंजीपतियों जैसे बिरला, टाटा आदि को उत्पादन लागत से भी 14 पैसे कम में दी जा रही है। उनको 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है, 14 पैसे घाटे में। यह रिवाइज रेट हैं। पहले तो 1.99 पैसे में देते थे। लेकिन इधर कनोडिया घराने को 500 मेगावाट बिजली 4–5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं और उसका रेट भी रिवाइज नहीं किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके रेट क्यों रिवाइज नहीं किये गये। यह इसलिये कि कांग्रेस सरकार बिरला परिवार को पालती थी लेकिन यह सरकार कनौड़िया घराने को। तो मान्यवर, कल जो कहा जा रहा था कि ठठेर-ठठेर भाई है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि दोनों सरकारें एक ही थैली के चट्टे बट्टे है। उन्होंने कहा था कि इमरजेन्सी लोकतंत्र की एक बलात्कार थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बलात्कार की सरकार किधर बैठी है। मैं विद्युत मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बिरला से बिजली कटौती की गयी थी लेकिन फिर भी मिलती रही तो यह क्यों? आपके पास तो एक पोर्ट फोलियो है लेकिन भूतपूर्व विद्युत मंत्री के पास दो पोर्टफोलियो थे—एक विद्युत विभाग और दूसरा चोरी का क्योंकि उनके ऊपर बैल चोरी का भी आरोप था।

मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नौकरियों में आते है तो उनका चरित्र देखा जाता है लेकिन सरकार में बैठे लोगों का चरित्र क्यों नहीं देखा जाता है। उनका चरित्र अजीब है? यहाँ कोई बैल चोर है और कोई घूसखोर जिसको उधर के लोग ही कहते हैं। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि बिरला के लिये बिजली में कटौती की गयी लेकिन इस पर वह हाई कोर्ट चले गये और वहाँ फिर बहाल हो गयी। सरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट चली

[श्री मित्रसेन]

गयी और जीत भी गयी लेकिन इसके बावजूद उनको बिजली मिल रही है, तो यह कहाँ का रूल है। इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गाँवों में बिजली निजी उपयोग के लिये जैसे पंखे के लिये है, हीटर के लिये है या पानी और चीजों के लिये है, हमको 35 से 48 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। आप देखें कि जो लागत है, सामान्य जीवन के उपयोग में 17 पैसे 21 पैसे तक मंहगी बिजली दी जाती है। दूसरी तरफ इन बड़े घराने वालों को 14 पैसे सस्ती बिजली दी जाती है। एक निवेदन और करना चाहता हूं कहा गया कि ग्रामीण जीवन में 13 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। जब कि 12 रुपए प्रति हार्स पावर किया है। इसके आँकड़े निकालने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास मोटर लगी है। उसमें पूरे महीने के आँकड़े देखना होगा। फिर कितने घंटे बिजली मिली इसको देखना होगा। इस तरह से हार्स पावर के रेट से अगर बिजली के घंटे निकालें तो कृषि के उपयोग के लिये बिजली ज्यादा नहीं मिलती है। इस तरह से कृषि के उपयोग को देखते हुये जो बिजली मिल रही है, वह 40 पैसे प्रति यूनिट पड़ रही है। माननीय मंत्री जी गाँव की ओर चलो, गाँव का उत्थान करो, यह कह कर उधर के लोगों को गुमराह कर सकते है, लेकिन हम लोगों को नहीं कर सकते।

इसी तरह से बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। उसके बारे में उधर के लोगों ने ही, जो इनके लंगोटिया यार है, जिक्र कर ही दिया है। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये, जो जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों की किसी किस्म की कोई कमेटी नहीं है जो दखलंदाजी कर सके। इनके अफसर लोग मनमाने ढंग से वसूली कर रहे हैं उस बिल के भुगतान के चार्जेज बनारस या न जाने कहाँ से बन कर आते है और जनता से वसूली होती है। कोई आब्जेक्शन करने का भी मौका नहीं मिलता।

इसलिये, मान्यवर, मैं इनका जो बिजली का बजट है, उसका समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जनता का नाम लेकर सरकार बनाये बैठे है, उस जनता के साथ भी ये धोखा कर रहे है।

*श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत विद्युत बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने विद्युत मंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि इनर्जी इज सोर्स आप सोशलिज्म, उन्होंने कहा कि हम 8 साल में बिजली दे देंगे और जो योजनायें बन रही हैं, उससे पूरे पर्वतीय क्षेत्र की कायापलट हो जायेगी। इसी सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से प्रर्वतीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण हो रहा है, यह नहीं कहा जा सकता कि 8 साल में वह बिजली दे पायेंगे। मान्यवर, हमारे यहाँ कालागढ़ में 1 अरब 30 करोड़ खर्च से जो योजना बनी, उससे 196 मेगावाट बिजली पैदा होगी। लेकिन उसके चारों तरफ जो क्षेत्र है, उनको बिजली नहीं दी गयी हैं। पर्वतीय क्षेत्र में और विशेषकर गढ़वाल मण्डल में जहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियाँ आती है, जहाँ हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पर योजनायें स्वीकृत हैं, प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है। उनमें से टेहरी डैम में 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, मनेरीभाली में 90 मेगावाट प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में 120 मेगावाट, दौदामुनेरी में 140 मेगावाट विष्णु प्रयाग 256 मेगावाट, लखवार व्यासी 350 मेगावाट, कोटेश्वर 180 मेगावाट, इसके अतिरिक्त बहुत सी माइक्रो स्कीम्स हैं। जिस क्षेत्र में इतनी स्कीम्स प्रस्तावित है, मैं कहना चाहता हूं जिसके आँकड़े आपके पास भी है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में जितनी ऊर्जा शक्ति है जल विद्युत के रूप में, वह बीस हजार मेगावाट है। अगर उसका आप उपयोग कर सकें तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश को आप बिजली दे सकते हैं। लेकिन आज तक जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परियोजनायें बनीं, वे परियोजनायें सूखी नदियों पर बनी, जैसे रिहन्द डैम बना, सूखी नदी पर बना। 300 मेगावाट बिजली देने की क्षमता थी लेकिन 105 मेगावाट बिजली वह देता है। यह राजनीति प्रेरित योजनायें पहले थीं। मैं विद्युत मत्री जी को बता देना चाहता हूं कि जो योजनायें इन्होंने बताई है, जो प्रस्तावित की है, उन पर कार्य शीघ्रता से हो और वहाँ के लोगों को पहले बिजली दी जाए। यह पहली शर्त होनी चाहिये। पहाड़ों में प्रत्येक गाँव में बिजली देने की बात कही गई है लेकिन वहाँ पर काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है

(इस समय 3 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

और उसका मुख्य कारण यह है कि सामान नहीं, वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते, वहाँ पर कास्ट आफ लिविंग बहुत ज्यादा है। इसलिये जो अधिशासी अभियन्ता और दूसरे कर्मचारी हैं, वे उस पैसे से काम नहीं कर सकते, इसलिये यह सारी परियोजनायें ठप पड़ी हुई हैं।

मान्यवर, एक सिद्धान्त सरकार ने स्वीकार किया था कि जो परियोजना जहाँ बनेगी, सबसे पहले उन परियोजनाओं पर वहाँ के रहने वालों को नौकरी दी जाएगी इतनी परियोजनायें वहाँ पर बन रही हैं लेकिन वहाँ के लोगों को नौकरी देने का कोई प्राविधान नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वे अन्त में भाषण करेंगे तो इस बात का आश्वासन देंगे कि इन परियोजनाओं में पहले वहाँ के रहने वालों को नौकरी दी जाएगी। वहाँ आई0 टी0 आई0 बहुत सी खुली है, पालीटेकनिक खुली है लेकिन वहाँ से निकलने वाले लड़कों को वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ आदेश गया हुआ है कि नौकरी यहाँ नहीं मिलेगी, यानि एप्वाइटमेंट रोक दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को वहाँ पर नौकरी देने की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। जहाँ भी परियोजना बने, पहले वहाँ के स्टाफ के लिए हर सुविधा मुहैया की जाय, उनके लिए रहने के लिए स्थान बनाया जाय लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूगा कि जो विद्युत वितरण खण्ड हरिद्वार में बना है वहाँ पर उसके स्टाफ के लिये सभी सुविधा मुहैया करेंगे ताकि स्टाफ और अधिशासी अभियन्ता वहाँ पर रहने लगें। लोगों को उसमें इम्प्लायमेंट मिले, तो यह इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता होगी। बिजली की कास्ट जो है, बहुत आती है पहाड़ों में। वही मानक निर्धारित किये गये है जो प्लेन्स के है। मेरा निवेदन है कि उन मानकों से हटकर वहाँ की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए नये मानक बनाये जायें और उस आधार पर वहाँ विद्युतीकरण किया जाए। माननीय मंत्री जी ने यह भी घोषणा की है जो नये उद्योग लगेंगे, उनको आवश्यक बिजली दी जाएगी। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। यह भी उन्होंने कहा है कि वे कोई लम्बी प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे बल्कि उसका सरलीकरण होगा। उसके आवेदन देने के बाद तुरन्त एक महीने के अन्दर बिजली दे दी जाएगी। यह घोषणा माननीय विद्युत मंत्री जी ने इस सदन में की है, मैं अपेक्षा करूंगा कि यह घोषणा ही न रहे बल्कि वास्तविक रूप से बिजली चाहने वाले लोगों को एक महीने के अन्दर बिजली दी जाए। इतना कहते हुए मैं इस विद्युत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। इसमें विपक्ष का भाषण भी सुनने का मौका मिला। ऐसा लगता है कि विपक्ष की स्थिति उस जीव के समान है जो दिन में नहीं देखता है अन्धे में देखता है। या उसकी तुलना मक्खी से की जा सकती है। मक्खी जब पार्क में जाती है, बगीचे में जाती है उसको कमल नहीं दिखाई देता, गेंदा या चमेली नहीं दिखाई देती, एक खास चीज है जिसे मैला कहते हैं उसे वह ढूंढ़ती फिरती है।

[श्री राजकुमार शर्मा]

हमारी सरकार ने विभिन्न नगरपालिकाओं से, विभिन्न प्राइवेट संस्थानों से, जिला परिषदों से बिजली को अपने हाथ में लिया है। मैं सिद्धान्ततः जनता पार्टी की तरह विकेन्द्रीकरण का पक्षपाती हूं। बिजली का केन्द्रीकरण हुआ है लेकिन इस तरफ कुछ तकलीफ आपकी बढ़ी है। मान्य सिद्धान्त है कि जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसके हर प्रकार के संस्कार किये जाते हैं। गोद लेने वाले की हर प्रकार से जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको पढ़ाया-लिखाया जाता है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है, रहन-सहन की सुविधा दी जाती है। खेद है कि विकेन्द्रीकरण के पश्चात जब किसी उद्योग का केन्द्रीयकरण किया जाता है, किसी काम को सरकार अपने हाथ में लेती है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

हमारे हरिद्वार के सहारनपुर जनपद में जब नगरपालिका के हाथ में बिजली थी तो व्यवस्था अच्छी थी ? इतना जरूर है कि चार सालों में दो साल बिजली की व्यवस्था खराब थी। पिछले दो साल से हम देख रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था अच्छी हो रही है। अगले साल हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ का मेला होने वाला है उस समय बिजली विभाग पर बहुत बड़ा जोर पड़ेगा और वहाँ पर काफी व्यवस्था करनी होगी। इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है।

हमारे बिजली मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया है उसमें कई उपलब्धियों का जिक्र किया है जो वास्तव में प्रशंसनीय है। पिछले तीस वर्षों में हमारें 13000 गाँवों में बिजली थी यानी 10 प्रतिशत गाँवों में बिजली थी। पिछले दो साल में 5000 गाँवों में बिजली लगायी गयी है। सरकार ने कहा है गाँवों की ओर चलो। मैंने पिछले साल भी कहा था और इस बार भी कहता हूं कि गाँवों की ओर तब चलेंगे जब वहाँ रोशनी होगी, सड़कें होंगी। पिछले साल यह कहा गया था कि निर्वाचन क्षेत्र के पाँच गाँवों को बिजली दी जायगी लेकिन खेद है कि वह वायदा पूरा नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि नये विद्युत मंत्री जी उस वायदे को पूरा करेंगे।

एक कठिनाई गाँवों में बिजली लेने वालों को यह आती है कि आप का ऐसा नियम बना हुआ है कि 15 प्रतिशत रिफन्ड गाँव से प्राप्त होगा तब वहाँ बिजली पहुंचेगी। मेरा सुझाव है कि गाँवों में जो मेन रोड हैं उसमें बिजली के खम्भे लगा कर बल्ब लगा दिये जायं ताकि गाँव वाले थोड़े खर्च में बिजली ले सकें जैसा कि शहरों में है। जो यह 15 प्रतिशत की शर्त है क्योंकि वह शहरों में नहीं है इसे गाँवों के लिए भी न रखी जाय।

हमारे क्षेत्र में एक इलाका है खादर। यहाँ पर 68 गाँव है। उनमें बिजली नहीं है। इस इलाके में एक जगह है दुगन जो दुर्गम का अपभ्रंश है। यह एक दुर्गम इलाका है। 90 प्रतिशत गरीब हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान दें।

नलकूपों को बिजली के बारे में जो प्रोसीजर बना हुआ है वह पुराने जमाने से चला आ रहा है जिसके कारण गाँव वालों को नलकूप के लिए बिजली लेने में बहुत बिलम्ब होता है। मैं पिछले बिजली मंत्री जी को बधाई दूंगा कि हरद्वार में एक बिजली वितरण खण्ड की स्थापना की गयी है। उससे कठिनाई काफी कम हुई है। अब हमें रुड़की नहीं जाना पड़ता है। लेकिन खेद है कि वहाँ जो अधिशासी अभियन्ता है श्री टी0 एन0 अग्रवाल वह हफ्ते में दो बार रुड़की से आते है और चार दिन रुड़की में रहते हैं। शाही जी के सामने मैंने इस बात को रखा था कि मेरे क्षेत्र में एक इलाका है बहादुराबाद जहाँ पर इर्रीगेशन रिसर्च सेंटर है वहाँ पूरे इलाके में बिजली की हालत खस्ता है। कहा जाता है कि बिजली का स्टेशन बहुत कमजोर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहादुराबाद में एक और सब स्टेशन बनाया जाय ताकि उस इलाके में बिजली की आपूर्ति हो सके। लक्सर रोड पर बिजली की जो व्यवस्था है वह अच्छी है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि कुछ हरिजन बस्तियाँ हैं रावली, चाँदपुर आदि, जहाँ हरिजनों के अलावा पिछड़ी जाति के लोग भी रहते

हैं वहाँ बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये। हमारे जो अधिकारी लोग वहाँ रहते हैं उनके लिये एक नियम बनना चाहिये कि वे हर क्षेत्र का दौरा महीने में एक बार किया करें। हमने सुना है कि अंग्रेजी जमाने में कलेक्टर तथा एस0 एस0 पी0 और बड़े-बड़े इंजीनियर देहातों का दौरा किया करते थे। गाँवों की चौपाल में बैठकर लोगों के दुख-सुख को सुना करते थे। इस तरह का आदेश होना चाहिये अधिकारियों के लिये आज के जमाने में भी। दो गाँव हैं एक्स सोल्जर्स के मेरे क्षेत्र में सुभाषगढ़ व दीनारपुर साल भर से प्रयास कर रहा हूं लेकिन वहाँ बिजली नहीं है। वहाँ से आधे फलाँग पर सरकारी बिजली का खम्भा है। दोनों गाँवों में बिजली पहुंचाने की कोशिश की जाय। इन शब्दों के साथ मैं बिजली के अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, माननीय विद्युत मंत्री के वक्तव्य को मैंने बड़े ध्यान से सुना और जो बुकलेट्स दी गयी है उनको भी बड़े ध्यान से पढ़ा। जनता शासन के पौने दो वर्ष के विद्युत सम्बन्धी कार्यकलापों को भी देखा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद्युत विभाग ने बुन्देलखड की पूरे तौर से उपेक्षा की है। बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा इलाका है और अगर किसी विभाग के आँकड़े उठा कर देखे जायं तो ज्ञात होगा कि बुन्देलखड के प्रति, उसके विकास के प्रति वहाँ की जनता के प्रति, घोर उपेक्षा बरती गयी है। चाहे पूर्व हो या पश्चिम का क्षेत्र सबको सुविधाएं दी गयीं लेकिन बुन्देलखण्ड के जो 5 जिले हैं बाँदा, जालौन, हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर उनकी बड़ी उपेक्षा की गयी है। आँकड़े इसके लिये जीती जागती तस्वीर है। जनता शासन आने पर हमें खुशी हुई कि ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर ध्यान दिया गया और 50 हजार की आबादी के कस्बे हैं उनको विद्युतीकरण करने की बात कही गयी। बुन्देलखड गाँवों में ही बसता है। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना शुरू हुई तो यह खुशी की बात है कि केन्द्रीय विद्युत बोर्ड ने 25, 25 लाख रुपये एक ब्लाक के लिये दिये। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये एक छोटा सा पुरजा भी, एक पोल भी, एक किलो तार या एक ट्रांस-मीटर नहीं दिया गया।

मान्यवर, पिछले विद्युत मंत्री शाही जी थे। उनसे हमने प्रार्थना की थी और उन्होंने हमारे बुन्देलखण्ड का दौरा किया था। वे झांसी गये थे और वहाँ लोगों की दशा देखकर वे बड़े द्रवित हुये थे। उन्होंने कहा था कि वास्तव में यह इलाका पिछड़ा हुआ है। माननीय सिंह साहब ने भी इस बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को स्वीकार किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं अगर मंत्री जी चाहते हैं अगर बुन्देलखण्ड का विकास चाहते हों तो मैं सीधा आक्षेप विद्युत परिषद के ऊपर लगाता हूं। म मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विद्युत बोर्ड हमारे बुन्देलखण्ड को एक लालीपाप देकर वहाँ के नागरिकों को भुलावे में न रहे। जो योजनायें वहाँ पर चल रही हैं, वे कब तक पूरी हो जायेगी ? जो मौदहा बाँध वहाँ पर बन रहा है क्या वह 10–15 साल में पूरा होगा ? हम कहते हैं कि आप गाँवों को बिजली दें। हमारे हाथ में शक्ति दी जाय।

मान्यवर, हमीरपुर जनपद में तीन विकास खन्ड कुरारा, मौदहा, ककरही हैं जिनको ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये लिया गया था किन्तु वहाँ अभी तक कुछ भी सामान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की योजनाओं के लिये न मालूम कितना सामान इस बोर्ड ने भेज दिया किन्तु हमारे बुन्देलखण्ड में कोई सामान नहीं पहुंचा है। बुन्देलखण्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार नाथ]

की क्यों उपेक्षा की गई है ? हरिजन बस्तियों के लिये माननीय मंत्री जी ने बड़े ही उदारता-पूर्वक शब्दों में कहा है कि हम हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि शायद ही कोई ऐसी बस्ती हो जिसका विद्युतीकरण किया गया हो। इचौली एक जगह है जहाँ से बिजली की लाइन जाती है वहाँ पर सन 74 में विद्युतीकरण हो चुका था। वहीं पर पड़ोस में खन्डेह में 4 साल पहले विद्युतीकरण हो चुका था किन्तु हमारे इलाके में विद्युत् विभाग के किसी भी अधिकारी ने जाना उचित नहीं समझा और वहाँ बिजली के नाम पर एक लट्टू भी नहीं लगाया गया। मान्यवर, इसके लिये हमने एक याचिका दायर की है। हमें एक पत्रक दिया गया है जिसमें आँकड़े दिये गये हैं। मंत्री जी ने इस विवरण-पत्रक में वर्ष 1979–80 में किय जाने वाले लक्ष्य की ओर संकेत किया है उसमें पृष्ठ 31 पर बुन्देलखंड के बारे में कहा है और उसके आँकड़े दिये है। मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड को अन्य जिलों में दिये गये भाग का 8वाँ अंश भी नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी बड़े उदार हैं। वे हमारी परेशानी समझते हैं इस लिये कम से कम अन्य जिलों के हिसाब से तो हमारे इन जिलों को सुविधा दें। साथ ही जितनी सुविधा दी गई है उसे केवल कागजों तक ही सीमित न रखें। हमारे बुन्दलखंड के ये पाँच जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाँदा यह समझ बैठे है कि हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार यह समझेगी तो बुन्देलखंड में रहने वाले लोग चुप रहने वाले नहीं है और अगर यह उन्होंने समझा कि हमारी उपेक्षा की जा रही है तो बुन्देलखंड के लोग आन्दोलन करेंगे और अलग प्रान्त की माँग करने के लिये मजबूर हो जायेंगे ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री मान सिंह आजाद––

मान्यवर, हमें भी मौका मिलना चाहिये हरिजनों की बात कहने का।

श्री उपाध्यक्ष––

मिलेगा, आज बोलने वाले कम हैं।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, माननीय विद्युत मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया और माननीय सेहरा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा तो पशोपेश की स्थिति हमारे जैसे लोगों की हुई कि मंत्री जी का समर्थन करें या कि कटौती के प्रस्ताव का। जब मंत्री जी की तरफ देखता हूं तो इच्छा होती है कि उनका समर्थन करूं, लेकिन जब कामों पर नजर जाती है तो विरोध करने के लिए विवश हो जाता हूं। मान्यवर, जितनी सुन्दर बातें माननीय मंत्री जी ने कहीं और दूसरे सदस्यों ने कहीं उसके लिये हमारे यहाँ एक कहावत है कि "कड़ुवा-कड़ुवा थू और मीठा-मीठा गप्प"। जितना अच्छा हो रहा है वह सब दो साल के जनता शासन की देन और जितनी खराबियाँ हो रही हैं वह काँग्रेस शासन का कोढ़। मालूम नहीं कि यह सिलसिला कब तक मंत्री जी चलाते रहेंगे। मेरा अनुरोध यह है कि कम से कम दो साल का समय जो आपको मिला है वह इतना काफी है कि पिछले शासन को कोसना आपको बंद कर देना चाहिये। अगर पिछले शासन को कोसते रहे तो कहना चाहूंगा कि आप अपने पापों पर पर्दा डालने के लिये काँग्रेसी शासन का लबादा ओढ़ रहे हैं। इसलिये वह काँग्रेसी लबादा ओड़ना आप बन्द कर दें।

माननीय मंत्री जी की और सेहरा साहब की जब बातचीत हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आशिक और माशूक का झगड़ा हो रहा हो। कौन आशिक है कौन माशूक है, उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता, यह फैसला वह कर लें।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा था कि प्रगति हुई है। हम भी मानते हैं कि इस बीच में जो काम किये गये वह काँग्रेसी जमाने से ज्यादा थे। लेकिन हकीकत जो है वह यह कि अगर सेहरा जी कुछ कहें तो वह भी अपनी जगह ठीक है और मंत्री जी जो कुछ कहते हैं वह भी उचित है। क्योंकि जो जड़ पड़ी है वह सेहरा जी के जमाने में पड़ी उसके फल मंत्री जी के जमाने में मिल रहे हैं। बहरहाल उस समय जो कुछ हुआ, उसकी कहानी में मैं इस समय नहीं जाना चाहता हूं और न उचित समझता हूं। जड़ उस समय की है जिसके फल आज आप देख रहे हैं। काँग्रेस शासन की नीतियाँ आज जनता पार्टी के शासन में ज्यों की त्यों चलायी जा रही हैं, उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब बात आती है तो मंत्री जी कहते हैं कि ढपोल शंख की बात और घड़ियाली आँसू, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ढपोल शंख तो आप उनके लिए छोड़ दीजिये और घड़ियाली आसूं आप ले लीजिये।

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही गयी। मैं समझता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर हमारे यहाँ विद्युत् परिषद् को 146 करोड़ 10 लाख रुपये का घाटा हो गया। लेकिन गाँवों में जरा विद्युतीकरण का हाल देखिये, शहरों में तो हो सकता है आपको रोशनी दिखाई दे लेकिन गाँव में कहीं-कहीं लाइन दिखाई देगी लेकिन रोशनी कहीं नहीं मिलेगी। मैं अपने क्षेत्र को आधार मान कर प्रदेश की तस्वीर देखता हूं और उनको भी उसी दृष्टि से देखना चाहिये। हमारे क्षेत्र में दो विद्युत् लाइनें हैं एक तो बिरौरी विद्युत् लाइन और दूसरी छित्रामऊ विद्युत् लाइन। यह सवाल सदन में भी उठा था उसका एक जबाब आया कि दिसम्बर, 78 तक यह दोनों लाइनें चालू कर दी जायेंगी, उसके बाद दुबारा जवाव मिलता है, 31 मार्च, 1979 तक चालू कर दी जाएंगी। अब तीसरी बार फिर हमारा सवाल आने वाला है, पता नहीं क्या जवाव दिया जायेगा। लेकिन इतना आप स्पष्ट जान लें कि जितनी आप देर करते हैं, जो थोड़ा बहुत सामान आपका वहाँ लगा हुआ है, तार खिचे हुए हैं––खम्भे लगे हुए हैं, वह भी सब चोरी चले जायंगे। इतना ही नहीं, माधोगंज, मल्लावा ब्लाकों में जो बिजली की योजना स्वीकृत हुई, सर्वे हो गया, लेकिन काम का सिलसिला,, आज तक महीनों बीत जाने पर भी शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा, शासन कह रहा है कि बिजली जा रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र की प्रमुख लाइनों में आज भी बिजली बन्द है। आप कटौती की घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उस कटौती से कम बिजली दे रहे हैं। लाइनें बन्द पड़ी हैं, उसमें कहीं कोई चीज गायब है, कहीं कोई चीज गायब है। यही रहा तो आपका दावा कि हम ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रयास कर रहे हैं, बिलकुल गलत साबित होगा।

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की बात आपने उठायी, लेकिन हम देखते हैं जहाँ 1–2 बस्ती में योजना भी चलायी गयी, तो मालूम हुआ खम्भे लग गये, लेकिन बस्ती तक उजाला नहीं पहुंच पाया। मालूम करो तो अधिकारी कहते हैं हमारे पास दो-तीन खम्भों के लिए ही पैसा था, इससे अधिक नहीं, जो उसमें कर पाये, कर दिया। तो यह हैं आपका हरिजनोद्धार। हरिजनों के नाम पर आप घड़ियाली आँसू बहा सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के तीनों ब्लाकों के अन्दर एक भी हरिजन बस्ती में आप बिजली की रोशनी का फायदा नहीं पहुंचा सके हैं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि यदि कभी अवसर मिला और मंत्री जी ने मौका दिया तो मैं उन्हें वे गाँव दिखाऊंगा।

अब आगे कनेक्शंस की बात आती हैं। ट्यूबवैल्स लगाने के लिये लोग तड़प रहे हैं, लेकिन आपकी लालफीताशाही उन कामों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। महीनों पहले से दरख्वास्तें पड़ी हैं, पैसा भी जमा है, लेकिन कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। नीचे से ऊपर तक के कर्मचारी उसको लूटने पर लगे है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन आप

[श्री राम आसरे वर्मा]

लेनिन को कोट करते हैं कि "एनर्जी इज दि वे टू सोशलिस्जम"। आप उनकी बात न कहकर अपनी बात कहें। आपके समाजवाद में किसानों के लिये जगह नहीं है, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। अतः ऐसी बातों से लेनिन जैसी महान आत्मा को जोड़ना, मैं समझता हूं, यह उनके नाम को कलंकित करना है।

बिल्स के बारे में आप देखें। फर्जी बिल बना कर किसानों को ठगा जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि इतना पैसा दे दो तो उसे दुरुस्त कर देंगे। तो यह सिलसिला ठीक किया जाना चाहिये। इन बातों के साथ मैं विद्युत् मंत्री जी के प्रस्तुत अनुदानों का विरोध करता हूं।

*श्री राम बक्स (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग के अनुदानों के सम्बन्ध में विद्युत् मंत्री ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि उन्होंने इस विभाग में आने के बाद निश्चित रूप में उसकी क्षमता में वृद्धि की है। यह भी सही बात है कि आज अवाध गति से बिजली मिल रही है जिससे किसानों को फायदा हुआ है, विद्यार्थियों को फायदा हुआ है, अस्पतालों में मरीजों को फायदा हुआ है। उसके साथ-साथ जो कारखाने हैं उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है। यह बात तो है। लेकिन बावजूद इसके मैं एक बात कहना चाहता हूं।

आज विद्युत् विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। या तो इसका कारण विद्युत् परिषद् का स्वरूप है, विद्युत परिषद के स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण इसके अधिकारी मंत्री जी के कंट्रोल में नहीं है या वे वर्तमान शासन की परवाह नहीं करते हैं। एक कनेक्शन के मंजूर कराने में पचास चक्कर दफ्तर के लगाने पड़ते हैं और कनेक्शन मंजूर हो गया तो फिर पचासों चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चक्कर लगाते-लगाते उपभोक्ता ऊब जाता है और कहता है कि सौ, दो सौ, पाँच सौ, एक हजार रुपये खर्च कर लिये जायं और कनेक्शन लगवा लिया जाय। अक्सर देखा जाता है इस बात का बहाना बना लिया जाता है कि मेरे पास मैटीरियल नहीं है, मीटर नहीं है, तार नहीं है, जब कि सारा सामान दफ्तर में होता है, झूठा बहाना बना कर रुपया लेने के लिये जबरदस्ती उपभोक्ता को परेशान किया जाता है। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि जितने भी विद्युत् डिपो हैं हर जगह की इन्क्वायरी करवा कर देखें कि कहाँ-कहाँ पर कौन सामान कम है जिससे उपभोक्ताओं को जो परेशानी होती है वह न हो। भ्रष्टाचार का यह आलम है, यद्यपि वर्तमान विद्युत् मंत्री जी नवयुवक हैं, उनके मन में काम करने की भावना है शायद थोड़ी हद तक भ्रष्टाचार पर काबू पा ले लेकिन ज्यादा आशा इसलिये नहीं है जबकि वर्तमान मंत्रिमंडल जो प्रदेश का है उसमें कातिल, जिनके ऊपर गबन साबित हो चुके हैं और डकैती के केस में सजा भोग चुके हैं, इस मंत्रिपरिषद् में ऐसे लोग लिये गये हैं। इसलिये यह आशा नहीं की जा सकती है कि उनसे राज्य का स्वरूप अच्छा होगा। इसलिये मैं यह भी माँग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ऐसे लोगों को जिनका चरित्र संदिग्ध है, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दें जिससे प्रदेश का कल्याण हो सके। अन्यथा मुझे आशा है कि इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है।

श्रीमान जी, इसके साथ ही साथ हम अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। जनपद फर्रुखाबाद के उमरदा क्षेत्र में न तो बिजली की व्यवस्था है और न ही दूसरी सुविधाएं है। वर्तमान विद्युत् मंत्री सौरी कस्बे में गये थे और वहाँ की स्थिति से अवगत है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, उमरदा और हसेरन ब्लाक में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्व बैंक की मदद से ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना चल रही है। प्रायरिटी देने के बावजूद भी, विश्व बैंक की योजना के बावजूद भी वहाँ दसियों वर्ष से कोई काम नहीं किया गया है। हमारे क्षेत्र में नादेमऊ और उसके आस पास दसियों वर्ष से खम्भे गड़े हुये है, तार का पता नहीं है। जब अधिकारियों के पास जाते हे अधिकारी आश्वासन देते है कि जल्दी प्रबन्ध करवा रहे हैं लेकिन आश्चर्य की बात है दसियों वर्ष से खम्भे गड़े है, आज तक तार नहीं खींचा गया और विद्युत् का प्रवाह नहीं किया गया। आशा है कि वर्तमान मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। हमारा क्षेत्र विशेष रुप से सारे जनपद से पिछड़ा हुआ है। जैसी कि जनता पार्टी की घोषित नीति है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेंगे, इसलिए हमारे क्षेत्र को प्रायरिटी देकर योजना बनाए या जहाँ पर विश्व बैंक की योजना के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना है, उसको कार्यान्वित करवायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विद्युत् मंत्री को अपनी तरफ से बधाई देता हूं।

*श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय उपाध्यक्ष जी ने मुझे रेवती रमण मौर्य कहकर पुकारा, मैं रेवती शरण मौर्य हूं। रेवती रमण तो माननीय मंत्री जी है जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है और उसी का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जहाँ इससे पहले मैं अपनी कुछ बात कहूं मैं माननीय मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह बात कही कि इस बार बिजली में कटौती नहीं की जायेगी। बिजली 24 घंटे मिलेगी। माननीय मंत्री जी ने जो वसूलयाबी की बात कही है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ मैं विद्युत् परिषद् के अधिकारियों, जिन्होंने इसमें हाथ बटाया वे भी बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो कटौती का प्रस्ताव विपक्ष के उप नेता श्री गुलाब सेहरा ने रखा है, उनके कथनानुसार मुझे ताज्जुब होता है कि उन्होंने ऐसी बात रखी है। आँकड़े तो उन्होंने बहुत दिए लेकिन मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये उन्होंने कोई माँग नहीं रखी। खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि 25 हार्स पावर की बिजली का कनेक्शन देने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि हरिजनों को 10 हार्स पावर तक की बिजली दी जाये और अगर किसी हरिजन के पास पैसा कम होता है तो उसको सहायता या छूट देनी चाहिए। बिजली की दिक्कत के कारण ही कार्यालयों का समय बदला गया और इसी बिजली की कमी के कारण बाजारों के समय में परिवर्तन किया गया। मैं उनको इस सदन में नहीं दुहराना चाहता हूं। हमारे माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कहा कि बोया किसी ने और काटा किसी ने, उनके कहने का मकसद था कि पिछली जो सरकार थी उसने बोया और इस सरकार ने उसको काटा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह उनके कहने की बात नहीं है। माननीय गुलाब सेहरा जी ने कहा कि हरिजनों को जो भूमि दी गयी है वह ऊबड़ खाबड़ दी गयी है और ऐसी जगह पर दी गयी है जो ऊसर और बन्जर है या गलत जगह पर दी गयी है, जबाव दिया कि वह भी छीनी जा रही है। पिछली सरकार ने हरिजनों को जमीन तो दिया नहीं, अगर दिया होता तो आज जो हालत हो रही है वह न होती। उनको जो भूमि मिली उसमें पानी की सुविधा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हरिजनों को जहाँ पर उनकी भूमि पर सिचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर उनको नलकूप लगाने की सुविधा देनी चाहिए। यदि उनके पास पैसे की कमी है तो उन्हें पैसे की सुविधा देनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रेवती शरण मौर्य]

चाहिए। जब वह कर्ज लेते है तो बिल अधिक का बनता है कि वह उसको लेने में असमर्थ हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें इसके लिये कुछ छूट दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस ग्राम से होकर बिजली की बड़ी लाइन जाती है तो वहाँ पर पहले ग्रामवासियों को सूचना दे दी जानी चाहिये कि बिजली के तार बिछाये जा रहे है। अगर सूचना दे दी जाती है तो किसी जानवर या आदमी की मृत्यु नहीं हो पायेगी।

मेरे क्षेत्र में एक स्थान पर यह चीज देखने में आयी कि बिजली के तार खेतों में पड़े हुए थे जिसके कारण कई जानवर और एक आदमी की मृत्यु हो गयी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इससे किसी की जानें चाहे जानवरों की हों या आदमियों की हों, नहीं जावेंगी। साथ ही साथ मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी पिछले साल जो हड़-ताल हुयी थी उसमें कुछ कर्मचारी आज तक मुकदमों में फंसे हुए हैं, खास तौर से मेरठ में जिन्हें बार-बार अदालतों में जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों से पूछ ताँछ करके उन कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लें और उन कर्मचारियों को छुटकारा दिलायें क्योंकि अब हड़ताल समाप्त हो गयी है। जब समझौता हो गया है तो फिर मुकदमों को चलाने की क्या आवश्यकता है। उन्हें तुरन्त वापस लिया जाय ? अन्त में मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् की माँगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि विद्युत् विभाग को जो पसा दिया गया है वह बहुत ही कम है। जब से देश में आजादी आयी केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश को बहुत कम पैसा दिया। आज हमारे प्रदेश के बहुत से लोग केन्द्रीय सरकार में हैं और जब वे यहाँ पर थे तो कहा करते थे कि केन्द्र ने हमें पैसा नहीं दिया। इसलिये यहाँ पर अधिक विद्युतीकरण नहीं हो सका और गाँवों का उत्थान भी नहीं हुआ। मान्यवर, आपके द्वारा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश को अधिक धन देने की कृपा करें। मैं अपने विद्युत् मंत्री जी से यह माँग अवश्य करता कि अपने विभाग में जो हरिजनों का कोटा है कर्मचारियों में, उसको बढ़ायें और जो-जो समितियाँ हैं उनमें हरिजनों के सदस्यों को रखा जाय। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि चाहे विधान सभा के सदस्यों की कोई कमेटी हो, या सरकार की कोई कमेटी हो उनमें एक ही जाति के लोग रखे जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इनमें सारी जातियों के लोगों को रखा जाय।

अन्त में, मै इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं क्योंकि उनके नेता होने के बावजूद भी उन्होंने हरिजनों के बा में कुछ भी नहीं कहा कि उनके गांवों में बिजली लगायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिए ?

*श्री रणजीत सिंह "जूदेव"--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार पूर्वक धीरे-धीरे मधु भाषा में बजट पेश किया। विभागों की सफाई देते हुए और पुरानी बुराइयों को छुपाते हुए भाषण दिया। बैरी की वीरता दिए बखान। आज जो उपलब्धियाँ हुयी हैं, उनके लिए मैं मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बधाई देता हूं लेकिन उसके साथ एस0 ई0 बी0 के चेयरमैन, श्री भागर्व साहब भी प्रशंसा के पात्र हैं कि इन्होंने इस विभाग को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। मान्यवर, इतने बड़े इस विभाग में यह बहुत जरूरी है कि इस विद्युत परिषद् के चेयरमैन, मंत्री तथा अन्य अधिकारियों में आपस में समन्वय है। जब से माननीय मंत्री जी आये हैं यह चीज देखने को मिली हैं और इस कारण से इस विभाग में उपलब्धियाँ भी कुछ बढ़ी हैं। पिछले सालों में जहाँ कई कई बार बिजली की कटौती हो जाया करती थी, अब 21–22 घंटे बिजली हमें मिलने लगी है। इस विद्युत् परिषद् का घाटा भी जो 72 करोड़ पर पहुंच गया था अब घट कर 60 करोड़ पर आ गया है। थर्मल प्राजेक्ट्स भी इस वर्ष काफी लगे हैं जिसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। परीच्छा, थांटा और विष्णु प्रयाग परीच्छा थर्मल पावर की बुन्देलखंड में बहुत जरूरत थी जिसका आपने श्रीगणेश किया। वास्तव में यह स्कीम तो काँग्रेस काल की ही पुरानी थी। अगर आप काँग्रेस काल की पुरानी स्कीम ही पूरी कर दें तो उससे ही बिजली विभाग में काफी सुधार हो जायेगा।

मान्यवर, जहाँ मैं बिजली विभाग की उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहा हूं वहाँ बिजली विभाग की कुछ कमियों पर भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले तो मैं योजना आयोग के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। होता यह है कि आयोग पहले योजना बनाता है और बिजली बाद में बनती है। होना यह चाहिये कि बिजली पहले बनायी जाये, योजना बाद को तैयार की जाय।

मैंने अखबार में एक पावर सर्वे कमेटी के बारे में पढ़ा था कि उसने अपनी कोई रिपोर्ट दी, पर योजना आयोग ने कह दिया कि इसे काट दीजिये, इतनी बिजली की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि कम से कम 6 हजार मेगावाट इन्स्टाल कैपेसिटी बिजली की छठीं पंचवर्षीय योजना तक हमें जरूरत होगी। इसके अलावा कम से कम 4 हजार और साढ़े 4 हजार मेगावाट जब तक उसका उत्पादन नहीं होगा हमारा काम नहीं चलेगा।

मान्यवर, पिछले वर्षों में कितना विद्युतीकरण का काम हुआ उसके मुकाबले इस बर्ष कम हुआ। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये भारत सरकार ने पहले ग्रामीण विद्युत कारपोरेशन बनवाया था और इस प्रकार से विद्युतीकरण के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त रुपया भी मिलता था। इस वर्ष भारत सरकार ने बहुत कम रुपया दिया है जिसके कारण भी बोर्ड पर अधिक भार पड़ गया है। मालूम नहीं इसके लिये मंत्री जी ने भारत सरकार से पहल की या नहीं। वैसे उनकी उपलब्धियाँ तो काफी हैं, देखने में भी बड़े सुन्दर हैं.. (हंसी) लगता ऐसा है कि प्रदेश सरकार और केन्द्र की सरकार में बन नहीं रही है इसीलिये मोरारजी भाई से यह रुपया नहीं पा सके।

इस वर्ष मान्यवर, 43 ग्रामीण विद्युतीकरण योजना विचाराधीन हैं जो सन् 77 से ही हैं, लेकिन इनके लिये कोई कोशिश नहीं की जा रही है, जबकि बैंकों ने भी रुपया दे दिया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

श्रीमन्, आज ग्रामों में सब-स्टेशनों की बड़ी जरूरत है। ग्रामों की दूरी के कारण लम्बी-लम्बी लाइनें डालना पड़ती है और दूरी अधिक होने के कारण फलकचुएशन ज्यादा होता है और ट्रांसफार्मर फ्यूज हो जाते हैं। देहात में यह भी देखा गया है कि टू फेस लाइन को सिंगिल फेस कर देते हैं जिससे वोल्टेज कम हो जाता है और ट्यूबवेल या पम्पिक सेट ठीक तरह से नहीं चल पाते हैं। इससे किसानों को बड़ी असुविधा होती है।

श्रीमन्, इस पुस्तक से पता चलता है कि 35 हजार गाँवों में बिजली पहुंच चुकी है और 10 हजार हरिजन बस्तियों में। काँग्रेस शासन काल में 33 हजार गाँवों में बिजली पहुंच गयी थी। इस सरकार ने दो वर्ष में केवल 2 हजार गाँवों में बिजली और पहुंचायी।

[श्री रणजीत सिंह "जूदेव"]

जहाँ तक हरिजन बस्तियों का सवाल है, इनका लक्ष्य 4 हजार कुछ का था और यह 1 हजार 500 में ही विद्युतीकरण कर पाये। अब यह सरकार हरिजन विरोधी नहीं तो क्या कहें। राजा साहब तो हमारे कभी उन बस्तियों में जाते नहीं। इनको क्या पता वहाँ क्या बीतती है। आज 90 फीसदी वल्व फ्यूज रहते है या लाइन खराब रहती है। हमारी काँग्रेस सरकार ने 50 लाख का बजट बनाया था, वह खाली इसलिए था कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का मेंटीनेन्स हो। यह 50 लाख पया यू0पी0ए0सी0बी0 को ग्रामीण विद्युतीकरण से निकाल कर दे दिया जाता था जो कि वे इस हरिजन बस्तियों में जो वल्व फ्यूज हो या लाइन खराब हो, तुरन्त ठीक करें। विकास कर अब खत्म हो गया है साथ-साथ यह 50 लाख रुपये का फण्ड भी खत्म हो गया है और हरिजन फिर अंधेरे में हैं। हरिजन बस्तियों की बिजली के रख-रखाव के लिए सरकार को कुछ धन अलग से रखना चाहिए। मैं माननीय मान सिंह जी से और जितने हरिजन भाई बैठे हुये है, वे फिर अंधकार में पहुंच गये हैं। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हरिजन बस्तियों के लिए कुछ व्यवस्था कर दें। देखा यह जाता है कि जो पंचिग सिस्टम है, यह नान टेक्निकल स्टाफ पंचिग का काम करता है, तो डेटा भी गलत हो जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि बिल गलत होते है। जिससे कंज्यूमर्स और किसान को बहुत असुविधा होती है। इससे अच्छा है कि आप पुराने ही तरीके से बिल्स बनवायें तो कम से कम आदमियों को ही रोजगार मिलेगा। इन्हीं के नेता चौधरी चरण सिंह कम्प्यूटर के खिलाफ है, कोशिश यह होनी चाहिए कि बिलों का भुगतान तहसील स्तर पर हो और अगर गलती हो वह भी तहसील स्तर पर ठीक होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि इग्जीक्यूटिव इंजीनियर कामर्शियल तहसील स्तर पर रहे। जैसा माननीय श्यामधर जी ने कहा कि तहसील स्तर पर सुविधायें नहीं है, (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और दे दें।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, दो राजाओं का एक मामला है, दो मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, दो मिनट और समय ले लीजिए।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव"--

आपने जो श्रीमन्, धनराशि दी है वह पिछले वर्ष से कुछ कम है। आंकड़ों के हिसाब से मैं चाहता हूं कि वह धनराशि उतनी ही बढ़ा दी जाय। मैं कर्मचारियों की सुविधा हेतु कुछ कहना चाहता हूं। लखनऊ में 160 घर बने हुये है उनको एरियर्स का भुगतान किया गया है। उनके बच्चे भी सुखी रहें, अगर कोई दुर्घटना हो, तो उनके लिए इलाज की सुविधा हो। श्रीमन्, समय कम है, अन्त में मैं एक बात कह कर खत्म कर दूंगा। जो हाइली टेक्निकल इंजीनियर हैं उनका वेतन क्रम बहुत कम है, उनका वेतन-क्रम आई0ए0एस0 के बराबर कर दिया जाय, क्योंकि इनका काम बहुत ही टेक्निकल है। आई ए0 एस0 तो कोरी बातें करते हैं। ये लोग बहुत काम करते है। 18 साल की सर्विस में आई0ए0एस0 का अधिकारी 3 हजार रुपये पाने लगता है, जबकि हमारे बिजली विभाग का हाइली टेक्निकली क्वालीफाइड इंजीनियर 18 साल की सर्विस में सिर्फ 2 हजार रुपया ही पाता है। श्रीमन्, यह प्रदेश इंजीनियरों के बल पर चल रहा है न कि आई0ए0एस0 के बल पर। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं इस उम्मीद से कि माननीय मंत्री जी इस विभाग में और प्रगति लाने का प्रयास करेंगे।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

माननीय मंत्री जी ने आज बड़े दम-खम के साथ बिजली का बजट पेश किया है। मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हूं। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली देश का बहुत बड़ा सरमाया है। आज कल साइंटिफिक दौर है, बगैर बिजली के कुछ नहीं हो सकता,

चाहे वह किसानों का ट्यूबवेल हो, चाहे अस्पताल हो या विधान सभा हो बगैर बिजली के कोई काम नहीं चल सकता, लेकिन इस सिलसिले में जनता सरकार में जो तरक्की हुई वह काबिले तारीफ है। हमारा देश गरीब है और इसके 80 फीसदी लोग देहात में रहते हैं। वहाँ बिजली की कमी है। इस गरीब देश के अन्दर टाटा, बिरला तथा बड़े-बड़े सरमायादारों को जो बिजली दी जा रही है उसका रेट बढ़ाया जाये और किसानों के रेट को कम किया जाये। जो बिल कंज्यूमर्स के पास आते है वे अक्सर गलत होते है उसमें काफी गड़बड़ और ब्लैकमेलिंग की जाती है जिससे कम पढ़े-लिखे और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि मंत्री जी तवज्जो फर्मायें और आफिसरान को हिदायत दें, इस बात को दिखायें कि यह गलती कहाँ होती है, यह भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। मैं अपने शहर की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे प्रदेश की बात कह रहा हूं, यह शिकायत आम है, यह दूर होनी चाहिए।

1976–77 में लगभग 5 सौ जूनियर इंजीनियर्स को एप्रेन्टिशशिप कराई थी जिसमें एक एग्रीमेन्ट हुआ था जिसका नं0 3577 एन0 जी0 आई0 एस0 ई0 बी0–77 (4) 9 एन0 जी0/76, इस एग्रीमेन्ट के तहत सरकार ने वायदा किया था कि ट्रेनिंग होने के बाद उनको जगह दी जायेगी, लेकिन अभी तक 349 जूनियर इंजीनियर काम पर लगाये गये है और बाकी हैं। जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग कर चुके हैं उनकी एज भी ज्यादा हो रही है, हो सकता है ओवर-एज हो जायें लिहाजा मेरी मंत्री जी से गुजारिश है उनको खपाने की कोशिश की जाये। जहाँ तक ट्रांसफार्मर की चोरियों का संबंध है, वह सिलसिला आज तक जारी है। कोई पालिसी बनानी चाहिये जिससे चोरियाँ कम हों। इसके अलावा जहाँ तक देहात में बिजली का ताल्लुक है, जिला मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, पिछले दिनों में किसानों को बाज बाज जगह पर तीन तीन घण्टे ही बिजली मिली है। थ्रेसिंग का काम जिन दिनों चल रहा होता है उस समय बेइन्तिहा परेशानी होती है। तो इस सिलसिले में आप देखें कि किस वजह से पूरे टाइम बिजली नहीं मिल पाती जबकि आपका कहना यह है कि हमने बिजली की पैदावार में बढ़ोत्तरी की है। मैं मानता हूं कि बढ़ोत्तरी हुई है। हमारे कामों के लिये चाहे वह दस्तकारी के काम हों या दूसरी तरह के काम हो, जब तक टाइम पर हमको बिजली नहीं देंगे यानी पूरी मात्रा में बिजली नहीं देंगे तो जो चीजें हम तैयार करते है उनको नुकसान होगा। जिला मुरादाबाद की मैं बात करता हूं, जहाँ बर्तनों का काम होता है, 50 हजार मजदूर काम करते हैं, पूरे टाईम बिजली न मिलने से उन मजदूरों का, उनके काम का, बड़ा नुकसान होता है। मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे प्रदेश में आज भी बिजली की कमी है। इस बिजली की कमी को हमें पूरा करना चाहिये। थर्मल पावर स्टेशन हो या पानी से बनने वाली बिजली हो, दोनों में हो जैसा आपने इशारा किया, जो बातें आपने कहीं, उनको पूरा करना चाहिये, उन पर अमल होना चाहिये। जो हमारे एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं, एस0 डी0 ओ0 हैं या और जो कोई इन्जीनियर हैं वे उचित मश्विरा दें। मैं समझता हूं आप उन्हें इस किस्म की हिदायत देंगे। इस देश की तरक्की के लिये, बिजली की बढ़ोत्तरी जरूरी है और इस बात की कोशिश हो कि बिजली की सप्लाई पूरी तौर पर मिल सके। इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लीलवत सिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने आज बिजली के बजट पर जो बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी जैसा बिजली के बारे में बातचीत चल रही है, 30 साल वाली कांग्रेस सरकार के बारे में बताऊं कि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिजली सप्लाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लीलवत सिंह]

गाँवों में किस तरह से की। रात्रि में बिजली दी जाती थी, 8 घण्टे बिजली दी जाती थी, कमी कभी वह अवधि और भी कम होती थी। यहाँ तक कि बाद में तीन-चार घण्टे ही रह गयी। कमाण्ड टैक्स लिया जाता था। चाहे कोई बिजली का उपयोग करे या न करे उसको कमान्ड टैक्स देना पड़ता था। यह दशा थी जिसकी वजह से बिजली की तरफ से उनका दिमाग हट गया था। वह सिंचाई के लिये ट्यूबवेल्स के बजाये पम्पिंग सेट्स की ओर झुकने लगे थे। कमी के कारण यह समस्या बन गयी थी। काँग्रेस सरकार अगर इसी तरह से रहती तो शायद बिजली का विभाग न पनप पाता। लेकिन मैं जनता सरकार का बड़ा आभारी हूं कि जैसा कि उसने उद्देश्य की पूर्ति के लिये कहा था, पूरा किया। सबसे पहले उसने कमान्ड टैक्स को माफ किया। 15 रु0 प्रति हार्स पावर के स्थान पर 12 रुपये कर दिया गया। गाँव में बिजली पहले रात में दी जाती थी। हमारी सरकार ने उसको दिन के अन्दर बिजली देना शुरू किया। काश्तकार दिन भर काम करता है, रात में थककर आराम करता है। दिन में बिजली देने के साथ-साथ हमारी सरकार में 20 और 21 घंटे बिजली मिल रही है। इससे कृषि और सिंचाई और कृषकों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। बिजली अधिक मिलने से प्रदेश के अन्दर तरक्की हुई है और आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। जो योजनायें इस संबंध में बनायी गयी हैं वह अच्छी हैं, हमारे बिजली मंत्री मैं समझता हूं कि बहुत योग्य है। ओबरा में 200 मेगावाट की योजना बनायी जा रही है, 36 मेगावाट की ऋषिकेष में है। तो इन योजनाओं से बिजली में वृद्धि होगी, वृद्धि के लिहाज से प्रदेश में बिजली की आवश्यकता है। जैसे कि पहले स्ट्राइक हुई थी तो कहा गया था कि तमाम पावर हाउस डैमेज हो गये हैं और बिजली नहीं मिल पायेगी। लेकिन हमारी जनता सरकार के समय में स्ट्राइक हुई है, मेरे खयाल से ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर झंडे लेकर लोगों ने स्ट्राइक न किया हो, लेकिन इस सरकार के मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी योग्यता से उनका समाधान किया और कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि उनके वेतन आदि में बढ़ावा न दिया हो और उनकी तरक्की न की हो। इसलिये मैं सरकार को खास तौर से बधाई देता हूं।

मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो काश्तकारों के लिये, बरसात में किसान के टयूबवेल नहीं चलते हैं। बरसात में तीन महीने का टाइम ऐसा होता है जब उनको बिजली की आवश्यकता नहीं होती। तो उनसे 12 रुपये, तीन महीनों के लिये नहीं लेना चाहिये, तीन महीने माफ रखा जाय। इसके साथ–साथ कुछ ऐसे शहर हैं, जैसा आपने बताया कि मुरादाबाद बिजली में नंबर दो पर है, उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर अमरोहा है उसकी आबादी 1 लाख से ऊपर है तो वहाँ पर 24 घंटे बिजली दी जाय। दूसरी चीज मैं मंत्री जी से कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें।

श्री लीलवत सिंह––

केन्द्र सरकार से ज्यादा सहायता लेने का प्रयत्न किया जाय और उससे प्रदेश को निखारने की कोशिश की जाय। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अकबर हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विद्युत की उपलब्धि में जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुयी है उसके लिये माननीय मंत्री जी और उनका विभाग बधाई का पात्र है। इस बात को मैं ही नहीं कर रहा हूं, सारे प्रदेश की जनता कह रही है कि माननीय मंत्री जी और उनके विभाग की मेहनत के कारण यह सफलता प्राप्त हुयी है। इससे माननीय मंत्री जी और उनके

विभाग की ही नहीं, बल्कि जनता सरकार की छवि भी उज्ज्वल हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से बिलों के संबंध में जो आपत्ति मुरादाबाद से संबंधित है उनके बारे में कहना चाहूंगा। किसान जो अनपढ़ है या कम जानकार है, जो बिल लेकर विभाग में आता है तो उसके ऊपर बकाये की फर्जी धनराशि लगा दी जाती है। और जब उनको सही कराने पहुंचते हैं तो उनसे रसीद माँगी जाती है, लेकिन अधिकतर रसीदें खो जाती हैं, यह बात विभाग के लोग जानते हैं, इसलिये जिस किसान ने रसीद दिखा दिया तो उसका बिल ठीक हो जाता है और फर्जी बकाया काट दिया जाता है, नहीं तो वह पैसा उनसे ले लिया जाता है। मान्यवर, यह प्रथा काँग्रेस के जमाने से चली आ रही है। इसलिये मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। इसके साथ ही मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)–

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पिछली सरकार की कुछ कमजोरियों को गिनाकर अपनी उपलब्धियों का जो विवरण दिया है, उसमें मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री जी किसी तरीके से एयर कंडीशन गाड़ी ले लें और गाँवों में जाकर देखें कि वहाँ बिजली की क्या स्थिति है तो उनको सही पता लगेगा। मान्यवर, इन्होंने हरिजन बस्तियों में बिजली देने की बात कही है। तो इसके बारे में मैं सदन में चैलेन्ज करता हूं कि और जिलों में तो नहीं लेकिन गाजीपुर में 8–10 हरिजन बस्तियों को निकाल दें जिनमें विद्युतीकरण हुआ बाकी में मान्यवर, 30 वर्ष तक यही बात कह कर, हरिजनों और गरीबों का नाम लेकर काँग्रेस की सरकार जो कुछ कहती रही, बिल्कुल उसी ढर्रे पर हमारी जनता सरकार भी चल रही है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी समस्याओं पर मंत्री जी ध्यान दें और वह किया जाय तो कुछ जिलों का भला हो सकता, लेकिन मान्यवर, जो भी उपलब्धियाँ है वह कागज में ज्यादा है और कागज की रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है। तो इस प्रदेश की भोली भाली जनता को आखिरकार सत्ता में रहने वाले लोग सत्ता का उपभोग कब तक करते रहेंगे और जनता को कब तक भुलावा देते रहेंगे।

मान्यवर, कई सदस्यों ने बिजली के रेट के बारे में कहा। खेती में आज किसान उजड़ता जा रहा है क्योंकि जब से उसने वैज्ञानिक साधन प्राप्त किये तबसे बिजली का रेट रसायनिक खादों की कीमतें और ट्रैक्टर की कीमतें बढ़ती जा रही है जिससे किसान बरबाद होता जा रहा है। बिजली में उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या हक हासिल है कि बिजली उत्पादन करने वाले लोगों को, उद्योगपतियों को, टाटा और बिरला को 7 पैसे से 13 पैसे में बिजली प्रति यूनिट दी जाय, लेकिन किसानों को 40 पैसे में दी जाय। तो मान्यवर, यह किसानों की सरकार गाँवों की तरफ जाने को कहती है, तो किसानों की आर्थिक स्थिति क्या है, खेती में वह कितना उत्पादन करता है, इसलिये यदि उनको सचमुच में विकास करना होता तो उद्योगपतियों को जिस दर पर सरकार बिजली दे रही है उसके लगभग चौथाई रेट पर किसान को बिजली देना चाहिये, क्योंकि जो चीज किसान पैदा करता है वह मिट्टी के भाव बिकने लगती है और दुख की बात है कि जो बिजली देते हैं और उस बिजली से अपने कारखाने में जो सामान पैदा करते हैं, उसकी कीमत देख लें। लेकिन हमारे मंत्री जी ने इस विषय पर कुछ भी अपने विचार नहीं व्यक्त किये। एकाध सदस्यों ने कहा कि बिजली का रेट हमने नहीं तय किया—काँग्रेस के लोगों ने तय किया। तो काँग्रेस के लोग उधर से इधर आ गये। अगर आप भी यही कह कर कायम रहना चाहते हैं तो देश और प्रदेश की जनता बहुत दिनों तक आपको नहीं माफ करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम]

मान्यवर, भूतपूर्व विद्युत मंत्री माननीय शाही जी ने पूर्वी जिलों के लोगों की मीटिंग बुलायी थी विधायकों की और पूछा था कि आप लोग अपने यहाँ की समस्यायें बताइये। हमने उस कमेटी में कहा था कि मिनिमम चार्ज पर मिनिमम बिजली देने की गारंटी दे दें। 12 रुपये प्रति हार्स पावर अगर किसान से लेते हैं तो एक महीने में कितनी बिजली देंगे ? कोई गारंटी नहीं। 18 घंटे बिजली देने की बात कही जाती है। जरा देखिये कि कितने घंटे बिजली मिलती है। काँग्रेस के जमाने से इधर कुछ अधिक बिजली मिलती है, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितना कि बताया गया है। पता नहीं विभाग कहाँ से आँकड़े लेता है। हम कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ कि किसानों को 18 घंटे बिजली मिलती हो। अगर मंत्री जी में नेकनीयती ह तो इस बात की जाँच करायें और गलत रिपोर्ट देने वाले लोगों को दंडित करें।

अन्त में केवल एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। हमारे शाही जी ने रेयी-जेयी करके नियुक्तियाँ की। मैं चाहूंगा कि उसकी जाँच करायें। बहुत मोटी रकम लेकर नियुक्तियाँ हुई हैं। आज जो मौजूदा मंत्री जी हैं, उनके आने के बाद मंत्री जी और विद्युत परिषद के अध्यक्ष के अन्दर इस बात को लेकर बड़ा मनमुटाव चल रहा है। अगर सचमुच में जनता पार्टी के अन्दर जो भी हमारे माननीय सदस्य गण हैं, उनमें जरा भी नेकनीयती हो, तो इन बातों की जानकारी करें कि कितनी नियुक्तियाँ हुई और उनको चोर दरवाजे से कायम रखने की बात हो रही है। विद्युत मंत्री जी का ध्यान शायद इस तरफ गया है और सम्भवतः उसमें न्याय मिल सकेगा।

एक सदस्य—

माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है कि वह मंत्री इस समय नहीं है।

श्री जयराम—

लेकिन इन मन्त्रियों के जाने में और आने में क्या फर्क है ? जब हमारे मुख्य मंत्री बनारसी दास जी इतनी बेहयाई के साथ कह सकते है कि ठठेर-ठठेर में बदलाव नहीं होता, तो इसी से और मन्त्रियों के बारे में अंदाज लगा सकते है कि उनकी क्या स्थिति होगी।

अन्त में, मान्यवर, मैं यह कहते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा कि देश और प्रदेश में बहुत दिनों तक बहुरुपिया बन कर जनता आपको सत्ता में कायम नहीं रहने देगी। अगर सचमुच आप में नेकनियती है, उन शोषित और दलित और पीड़ित लोगों का विकास करना चाहते हैं तो पूंजीपतियों के बिजली का रेट बढ़ाइये और किसानों के बिजली के रेट को सस्ता कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष —

अब मै दो/तीन माननीय सदस्यों को बुला कर सेहरा जी को बुलाऊंगा।

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मै यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे इलाहाबाद जिले के रहने वाले है। मै आशा करता हूं कि आज बिजली का बजट जब पेश होगा, जनता सुनकर बहुत प्रसन्न होगी क्योंकि जनता आशा लगाये थी कि इलाहाबाद के माननीय मत्री जी है, जहाँ से चुन कर आये है, आधा इलाहाबाद शहर बाढ़ से पीड़ित था। इस गंगा जी की बाढ़ से तमाम बिजली के खम्भे गिर गये। तमाम बिजली के कनेक्शन 3–3, 4–4 महीने तक नहीं मिले, लेकिन आज भी बिजली का बिल उन काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है। मै माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनका क्षेत्र भी बाढ़क्षेत्र में था, वे भी बाढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में काफी दौरा किये थे, जिस वक्त हम लोग बाढ़ क्षेत्र में गये, वहाँ बिजली के खम्भे गिर मिले और तमाम काश्तकारों के पन्पिग सेट पानी में बह गये लेकिन आज सुनने को मिला है कि कई हजारों में उनसें बिल का पेमेंट करने के लिये नोटिस जारी की गई हैं। मुझे एक नोटिस मिली है, मैकूलाल पुत्र बदर, ग्राम बदरुद्दीनपुर का निवासी है जिसको 10,600 रुपये का बिल भेजा गया है जिससे आज उसका पिता पागल होकर घूम रहा है, उसका लड़का लखनऊ में गश्त लगा रहा है कि हमारा कैसे उद्धार हो? अगर उस हरिजन का उद्धार नहीं किया गया तो शायद उसकी जमीन भी बिक जाएगी और उसका पिता रजत पागल भी हो गया। यह हनुमानगंज का रहने वाला है, जबकि उसकी बिजली सन् 1972 में कट गई है और आज उससे 10,000 रुपया वसूला जा रहा है। ऐसी हरकतें आज इलाहाबाद में अधिकारियों द्वारा हो रही है, इसकी जाँच कराई जाय।

हमारे क्षेत्र में ग्राम भदैली, तहसील हंडिया में राधेश्याम नाम के व्यक्ति की 6 महीने से बिजली कट चुकी है, पैसा जमा है लेकिन उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। हजारों काश्तकार ऐसे हैं जो एग्रीमेंट कर चुके हैं लेकिन उनको इलाहाबाद जिले में कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसकी जाँच कराई जाय। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, खंभे नहीं है, तार नहीं, है तो मैं काश्तकारों को बिजली कैसे दूं? मैंने कई बार, पहले जो मंत्री थे, उनको भी लिख कर दिया कि इलाहाबाद में तार और खंभे की जो कमी है उसे पूरा कीजिये वरना किसानों को बिजली नहीं मिल रही है और आप कहते हैं कि गाँवों में हम बिजली फैला रहे हैं। मैं हरिजनों को बात कहता हूं। आप इलाहाबाद जिले के है, चलकर देखें कि ऐसे ऐसे हरिजनों के यहाँ काँग्रेस वालों ने नोट कर दिया है कि हमने बिजली दिया है लेकिन कोई देखने जाए तो पता चलेगा कि एक भी बल्व नहीं जल रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं इसको देखें। इन शब्दों के साथ जो आपने 18 घंटे बिजली दी है, इसके लिये आपको बधाई देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्र मणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैंने विद्युत मंत्री जी का भाषण सुना था और साथ में कटौती का प्रस्ताव जिन्होंने रखा, उनका भी भाषण सुना। श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रान्त का दुर्भाग्य है कि यहाँ बिजली में भी राजनीति ही दिखाई देती है जबकि प्रश्न इस बात का है कि श्रीमन्, आप बीसवीं शताब्दी में बोल रहे है वगैर बिजली के आप नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। इसलिए इस मामले पर हम को जरा ढंग से सोचना चाहिए। मैं तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद क्या दूं मंत्री जी ने वही रास्ता अपनाया है जो रास्ता काँग्रेस का है। जो तापीय बिजली है उसके लिये कोयला आप को बिहार से लेना पड़ेगा। यदि वहाँ से कोयला नहीं मिलेगा तो आप के सब कारखाने बंद हो जायेंगे। इसलिए प्रश्न इस बात का है कि हमारे प्रान्त में इतनी नदियाँ हैं गंगा, यमुना, अलकनन्दा, गोमती, घाघरा तमाम नदियाँ हिमालय से आती हैं, बर्फीले पहाड़ों से आती हैं उन नदियों को नियंत्रित करके आप बाढ़ को भी रोक सकत हैं और साथ ही बिजली भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे जो अधिकारी हैं वे हिमालय क्षत्र में जाने का कष्ट क्यों करें, हमारे मंत्री जी इन नदियों को देखने का कष्ट क्यों करें। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर चिन्तन होना चाहिए। यहाँ पर लोग कहते हैं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणी बड़ौनी]

बिजली पैदा की है, मैं कहता हूं अन्य प्रान्तों के मुकाबले आप के प्रान्त में कितनी विद्युत शक्ति पैदा होती है, जबकि आप के यहाँ रिसोर्सेज सब प्रान्तों से ज्यादा हैं। यदि आप यहाँ पर बिजली पैदा करेंगे तो हो सकता है आप दूसरे प्रान्तों को बिजली दे कर फायदा उठायें। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इस प्रश्न को उठाने के लिये कोई तैयार नहीं है। इसलिय मेरा विद्युत मंत्री से निवेदन है कि अपने सारे दृष्टिकोण को बदले। तापीय बिजली से फायदा होने वाला नहीं है। 20–20 वर्ष में ये खत्म हो जायगी। आप विद्युत योजना की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं।

दूसरा निवेदन पहाड़ों के बारे में करना है। श्रीमन्, मिट्टी का तेल तो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहाड़ों में लकड़ी बहुत काटी जाती है, पहाड़ नंगे हो रहे हैं' पहाड़ नंगे होने से बाढ़ आयेगी। इसलिये वहाँ पर बिजली तैयार करके लोगों को रियायती दर पर बिजली दी जाय ताकि लोग अपना काम चला सकें।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि गढ़वाल और कुमायूं दो कमिश्नरियाँ हैं। आप का बिजली का स्टोर कुमायूं मंडल के हल्द्वानी में रहता है जिसके कारण गढ़वाल मंडल में कोई चीज नहीं पहुंच पाती। मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बिजली का स्टोर गढ़वाल मंडल के लिए ऋषिकेश में खोला जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आप को टाइम देने के लिए धन्यवाद देते हुए विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह काफी गहन विषय है इस पर चिन्तन होना चाहिये और सही ढंग से काम होना चाहिए।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, निश्चित रूप से कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य के काँग्रेस सरकार के मुकाबले वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति और विद्युत उत्पादन की स्थिति में सुधार है। अधिक गाँवों में बिजली प्राप्त हो, जलीय बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हो, दूसरी सारी सुविधाएं देने की बात हो निश्चित ही पिछली सरकार के मुकाबले स्थिति बेहतर है और उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन जनता की अपेक्षा और जरूरतों के मुताबिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इतनी प्रगति से कभी संतोष नहीं करेंगे, क्योंकि मंजिल बड़ी लम्बी है। मुझे यकीन है कि मंत्री जी जनता पार्टी की घोषणाओं तथा नीतियों के अनुकूल गाँवों के उपभोक्ता, उद्योगों को सुविधाजनक ढंग से बिजली मुहइया कर सकेंगे। इस सिलसिले में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं।

विद्युत परिषद् के विभिन्न अंग हैं उसके कार्य संचालन हेतु, लेकिन उनको वे आफ वर्किंग में कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं चाहूंगा कि उपभोक्ताओं को सुविधाजनक ढंग से बिजली मिल सके, इसके लिये उसकी वर्किंग में कोआर्डिनेशन हो। दूसरे विद्युत् परिषद् के व्यय में कमी होनी चाहिये। आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि एक बड़ी धनराशि की विद्युत् परिषद् में दुरुपयोग होता है। मैं आग्रह करूंगा कि विद्युत् पर कम खर्चा हो। इसके लिये जरूरी है कि विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों के व्यय में कमी की जाय। इसी तरह मीटर रीडिंग तथा मीटर टेस्टिंग में उपभोक्ता को ठीक जानकारी नहीं हो पाती। मीटर टेस्टर तथा मीटर रीडर में कोई सामंजस्य नहीं है। अपनी मर्जी से सीधे-सादे लोगों की रीडिंग मीटर टेस्टर अधिक कर देता है और जिसकी ऊपर के अधिकारियों से साँठगाँठ होती है उनकी रीडिंग कम कर देता है। इस पर ध्यान दिया जाय। गाँवों को बिजली देने का जहाँ तक सम्बन्ध है सेहरा जी की सरकार के मुकाबले गाँवों को अधिक बिजली जनता सरकार में दी गयी है, लेकिन जिस इलाके से मैं चुन कर आया हूं वहाँ का एक चार्ट मेरे पास है 4 दिसम्बर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1978 तक आर0 इ0 सी0 स्कीम के अन्तर्गत कौड़ीराम ब्लाक में 58 गाँवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है लेकिन 6 गाँवों का ही विद्युतीकरण हो सका। यदि 5 वर्ष की स्कीम हो तो गाँव के विद्युतीकरण की यह प्रगति धीमी है। इसी तरह से दूसरे ब्लाकों की धीमी प्रगति है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके लिये जिन उपकरणों की कमी के कारण बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है उस कमी को सरकार पूरा करे ताकि बिजली के कनेक्शंस दिये जा सकें। यह सब बिंजली सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं की कमी की पूर्ति समय से तथा मुनासिब तरीके से अविलम्ब करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विद्युत् संबंधी अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। शायद आप भी उसी तरह मुझे भूल गये जैसे राम का नाम सब लेते हैं लेकिन दशरथ का नाम कोई नहीं लेता। मान्यवर, मैं विद्युत् अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननं य मिश्राजी ने और माननीय सेहरा जी ने बार-बार यहाँ पर यह कहा है कि प्रदेश में नये प्रोजेक्ट नहीं लगे हैं। शायद वे भूल गये हैं कि तीस वर्ष के दौरान जैसे कि एक घुन लगता है और एक अंग बेकार हो जाता है उसी तरह से सरकार का यह विभाग भी बेकार हो चुका था। उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिये दो वर्ष का समय न के बराबर है। फिर भी इसके अन्दर बहुत प्रगति हुई है वह काफी है। ग्रामीण विद्युतीकरण को जितना कार्यरूप दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया जा रहा है इसी कारण विभाग को घाटा उठाना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसके परिणामस्वरूप विभाग घाटे में जाता रहा है। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहाँ विद्युत उत्पादन की तरफ आपने ध्यान दिया है उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र है, वहाँ मैं कहूंगा कि आप विभाग के अन्दर फैले हुये भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने की चेष्टा करें। विद्युत विभाग में काँग्रेस रिजीम से ही कई स्थानों पर तार व खम्भे आदि पड़े हुये है लेकिन उन पर कार्य नहीं हो रहा है और बिजली लोगों को नहीं दी जा रही है। हमारे क्षेत्र में केशवनगर ग्रान्ट एक गाँव है जिसमें 71 में बिजली की लाइन खींची गई थी और एग्रीमेंट का पैसा भी जमा हो गया था लेकिन आज तक बिजली नहीं दी जा सकी है। जब माननीय शाही जी बिजली मंत्री थे तब भी मैने प्रश्न किया था और उन्होंने इसी सदन में मुझे आश्वासन दिया था किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। अभी तक पुरानी परम्परा ही कायम है, मैं यह समझता हूं। इसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। यह बात नहीं है कि भ्रष्टाचार नीचे से चलता है। भ्रष्टाचार ऊपर से ही चलता है और ऊपर से नीचे को जा रहा है। हमारे विभाग में जो श्री माथुर है, इंजीनियर है, एडीशिनल सेक्रेटरी है उनकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर शहर में कोठियाँ बनी हैं। लगभग सभी अधिकारियों की हैं। अब यह कैसे बनी है क्यों बनी है, यह देखने की बात है। इसकी इन्क्वायरी की जाय। जैसे मंत्रियों की जायदाद की जाँच होती है, उन्हें व्योरा देना होता है उसी तरह से इनकी भी जाँच हो, ये भी अपना व्योरा दें। मान्यवर, हमारे गोंण्डा में एक क्षेत्र हैं विकास खण्ड बभनजोत, व विकास खन्ड रेहरा है जिनको विद्युत वितरण खन्ड बलरामपुर में रखा गया है। जिसका रास्ता काफी चक्कर देकर है काफी दूर पड़ता है जबकि विद्युत खंड गोंडा सीधे रास्ते पर है और काफी नजदीक है। जबकि उन ब्लाकों को विद्युत खन्ड लरामपुर में शामिल किया गया है। उसका परिणाम यह होता है कि बिजली की शिकायत करने के लिए और बिजली का भुगतान करने के लिये बलरामपुर जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको गोंडा खंड में शामिल किया जाय जिससे वहाँ आसानी से पहुंचा जा सके और जरुरत पड़ने पर हम काम करा सकें।

[श्री दशरथ सिंह]

इसके साथ ही मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कांग्रेस की जो परम्परा रही है लंगड़ा विकास करने की यानी एक इलाके का विकास हो गया और दूसरा इलाका पिछड़ा रहा उसको वह छोड़ दें। उस पद्धति को यह न अपनायें। विद्युत मंत्री जी से चाहूंगा कि वह ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं को समानरूप से संपूर्ण प्रदेश में लागू करें और हमारे क्षेत्र में बमनजोत और रेहरा वि0 खन्डों को भी इसमें जोड़ लें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री रेवती रमण जी की भावनाओं की सराहना किये बिना नहीं रह सकता जो उन्होंने हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, हर घर को बिजली देने के लिए यहाँ अपने विचार व्यक्त किये। मैं उनके भाग्य की भी सराहना करता हूं। मान्यवर, माननीय रेवती रमण जी जब मुल्क गुलाम था तब एक राजा के घर में पैदा होकर राज्य करते थे। उन्होंने 30 वर्षों के शासन का जिक्र किया और उस शासन को लेकर कई बातें कीं। 20 वर्ष कांग्रेस के साथ रह कर शासन किया। आज उन्हें शासन करने का सौभाग्य मिला है और आज भी राजा की कुर्सी पर विराजमान हैं। इसलिये मैं उनके भाग्य की सराहना करता हूं साथ ही साथ उनकी कलाकारी की भी सराहना करता हूं। अभी उन्होंने 30 वर्षों के इतिहास के बारे में बताया था और लग रहा था कि जैसे वह 30 वर्ष के उस इतिहास को जानते ही नहीं। मैं जानता हूं कि 30 वर्ष तक वह हमारे साथ रहे और साथ साथ काम करने का उनको मौका मिलता रहा। 30 वर्षों में जो अपराध हुए उससे वह कैसे वंचित हो सकते हैं। जरा वह दिल पर हाथ रखकर सोचें। जैसे कल बनारसी दास जी कह रहे थे ? कि 30 वर्षों का कूड़ा करकट साफ करने में लगे हुए हैं लेकिन वह कूड़ा करकट जमा करने में उनका हाथ भी रहा है। अब यह लोग कूड़ा करकट साफ करने का काम कर रहे हैं।

हमें एक पुस्तक दी गयी है "उत्तर प्रदेश में विद्युत प्रसार" उसके पहले पृष्ठ में मैंने देखा, कुछ आँकड़े उसमें दिये गये हैं ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उसके जो लक्ष्य है उनकी पूर्ति में कोई खास सफलता नहीं मिली है। आपके जो लक्ष्य थे गाँवों में नलकूप लगाने के वह करीब 40 हजार नलकूप के थे और आप केवल 24254 नलकूपों को बिजली दे सके हैं। इसी प्रकार गाँवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था 4870 गाँवों का था, उसके विपरीत केवल 1179 गाँवों में बिजली पहुंचा पाये हैं। हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य था उसको संख्या 4170 थी उसमें केवल 1366 हरिजन बस्तियों में आपने बिजली पहुंचा। मुझे पता नहीं वह हरिजन बस्तियाँ कहाँ है कौन वह भाग्यशाली जहाँ बिजली लगी है मैं निवेदन करूंगा कि जौनपुर में किसी भी हरिजन बस्ती में बिजली नहीं लगाई गई उसके आस पास के जिलों में भी मुझे नहीं मालूम कि कोई हरिजन बस्ती हों जिसमें विद्युतीकरण किया गया हो।

मंत्री जी ने अपनी सफलता की बात बताई कि हमने कोई बिजली कटौती नहीं की बिजली कटौती की जो बात है, उसकी हम सराहना करेंगे। उन्होंने वास्तव में कटौती नहीं की है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कटौती की है। हमारे यहाँ एक एक सप्ताह तक निरन्तर बिजली नहीं आती है, जिससे गेहूं की फसल की तैयारी के समय थ्रेशर्स नहीं चल पा रहे हैं। घरों की बिजली भी महीनों गायब रहती है, जिसकी शिकायतों पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारा क्षेत्र सदा से बिजली के मामले में अभागा रहा ह, वहाँ पर सबसे कम बिजली की वितरण होता है और खास कर तहसील मड़ियाहूं को सबसे काम बिजली दी जाती है, जिस पर मैने असेम्बली क्वैश्चन भी किया था। बिजली कहाँ ज्यादा दी जाती है, मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रस्तुत आँकड़े झूठे और गलत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कर दें, आपका समय समाप्त ।

श्री राज किशोर तिवारी—

आप कृपया हमारे मड़ियाहूं की टाउन एरिया में एक हरिजन पथकरों की बस्ती में विद्युतीकरण अवश्य करा दें और एक कस्बा जो भवानीगंज है जिसमें सन् 74 से पचासों आदमियों ने सारी खानापूरी करके रुपया जमा कर रखा है, लिखा पढ़ी की है, लेकिन आज तक बिजली नहीं लगी है, आप आदेश दें, कि बिजली लग जाए। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्साहवर्धक विवरण प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं। विद्युत के मामले में हमारा प्रदेश ऐसा है कि विद्युत परिषद बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यह इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। आज अमेरिका की टेक्नोलाजी बहुत डेवलप हो गयी है, यद्यपि वह बहुत कास्टली है, लेकिन उसे अपने यहां अपनाने के विषय में उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। मेरा निजी अनुभव कि प्रदेश में जितने पावर हाउस है, उनमें हमारा उत्पादन व्यय बहुत ज्यादा आता है। जहाँ तक इसके सामान का प्रश्न है, उसमें एक की मोनोपाली है। बी0 एच0 ई0 एल0 मुख्यत: इसमें का सारा सामान देता है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जो हमारा इंडियन सिस्टम डेवलप हुआ हैं, उसमें हमें विद्युत क्षमता कम मिलती है और आयतित से ज्यादा। हमारी मशीन पुरानी है, हमें यह निर्णय लेना है कि हमको जितनी आवश्यकता है उसके लिए क्या यह पर्याप्त हैं। हमें चाहिए कि इसमें 9 परसेंट जो मिला हैं, उसको बढ़ायें। इस पर जो लागत व्यय हो रहा है, वह अपव्यय हो रहा है। जहां हमारे इंजीनियरर्स कुशल है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रोजक्टस पर जो व्यय होता है, उसको घटाया जाय और देश में हिमालय के जलस्रोतों का पूर्ण उपयोग किया जाय। कोयला खदान की जो योजना, 30 हजार मेगावाट की, इस पर अवश्य विचार किया जाय। हमारे यहां जो लासेज है, वह 19 तक आ गया है, लेकिन जो चोरी होती है, वह बहुत ज्यादा है। हम यह भी देखते है कि बिजली के बिलों का भुगतान कम होता जाता है। जो कनाइवेंस हैं, सांठ-गांठ है कर्मचारियों और मिल मालिकों में, उसको किसी तरह से चेक कर यह देखना चाहिए। मेरा केवल एक सुझाव है, जैसे और माल बनता है, वहां का मैनेजर रेस्पांसिबिल होता है आर्डर लेने का इसी तरह से इंजीनियर्स जितनी डिस्ट्रीव्युशन होता है, उन्हें जितना प्रोपोजल देते हैं, लाइन लासेज माइनस करके उतना रुपया ले लें।

रिकवरी का जो कायदा है, 60 करोड़ रुपया वसूल नहीं हुआ, उसमें मेरा सुझाव यह है कि रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू होने में जो असविधा हो रही है, हमारे जिलाधीश उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे है। यह बकाया सारा रेवन्यू रूप में वसूल कराएं। कुछ समस्याएं और हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री नेम सिंह चौहान—

अलीगढ़ में दंगा रहा पिछली बार तीन महीने किसानों को उन दिनों में डेमरेज पड़ा। ऐसे केसेज को देखें और उनको ठीक कराएं। कम्प्युटराइज्ड सिस्टम है 18 लाख लोगों को.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें। श्री अशोक बाजपेयी.....

श्री नेम सिंह चौहान—

विद्युत् परिषद के अधिकारियों को अधिकार दें कि विद्युत् परिषद् में जो अच्छे कर्मचारी नहीं हैं, काम नहीं करते, जिनकी दादागीरी होती है उनको हटा सके और काम ले सकें।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं चन्द सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा जो विद्युत विभाग संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है यद्यपि उसका कार्य सराहनीय रहा है, लेकिन विद्युत परिषद् पर जितना उत्पादन और वितरण पर खर्च होता है, उसको घटाया जाय जिससे लोगों को सस्ती कीमत पर बिजली पहुंचायी जा सके। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि विद्युत का उत्पादन बहुत है लेकिन कंडक्टर के कारण विद्युत गांवों तक नहीं पहुंच रही है। राज्य के तमाम ट्यूबवेल बिजली न मिलने के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि किसी प्रकार से कंडक्टर्स का उत्पादन बढ़ाया जाय और कंडक्टर्स के कारण बिजली जो गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको दूर किया जाय। साथ ही आपको ध्यान दिलाऊंगा आज गांवों तक बहुत दिनों के बाद बिजली पहुंची है। अखबारों में आता था कि बिजली गांवों तक पहुंचायी जा रही है, पहली बार विद्युत मंत्री के प्रयास से गांवों और शहरों दोनों जगह बिजली मिल रही है और यह एक ऐतिहासिक कदम है कि शहर और गांवों में एक साथ दोनों जगह बिजली मिल रही है और पहली बार गांव के किसानों ने बिजली के मोटर से थ्रेशर चलाया है जो कि अभी तक केवल अखबारों में रहता था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा। उन्होंने यह सराहनीय कार्य किया है। साथ ही साथ इस वर्ष माननीय मंत्री जी ने और उनके विभाग ने उत्पादन बढ़ाया है। वह भी सराहनीय कार्य है। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जनता पार्टी का यह नारा रहा है कि गांवों की तरफ चले, गांवों में विद्युतीकरण करें और गांवों का विकास किया जाय। मेरी धारणा है कि अगर गांवों में बिजली और सड़क पहुंचा दी जाय तो गांव पूर्ण रूप से विकसित हो जायंगे इसलिये मंत्री जी इस ओर प्रयास करें और गांवों में बिजली पहुंचायी जाय आज गांव के किसान छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटे-छोटे कार्य करना चाहते हैं, जो कि बिजली के अभाव में सम्भव नहीं है। अतः प्रदेश की तरक्की के लिए आवश्यक है कि माननीय मंत्री इसके लिए तुरन्त कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने जो एक प्रगतिशील बजट पेश किया है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं साथ ही आशा करता हूं कि मेरे क्षेत्र का विद्युतीकरण इसी वर्ष करवा देंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

सेहरा जी, आप 5–7 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुलाब सेहरा—

5 मिनट में तो पूरी बात भी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी 15 मिनट माननीय मंत्री जी लेंगे। मीटिंग में जाना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा––

मान्यवर, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर चाहे इधर के लोग बोले हों, चाहे उधर के लोग बोले हों लेकिन सभी की भावना यह थी कि विद्युत् परिषद् के जो कार्य कलाप हैं वह बहुत ही दोषपूर्ण हैं और उसके जो आँकड़े दिए गए हैं वह गलत हैं । जैसा माननीय श्यामधर मिश्र जी ने जिक्र किया जो पृष्ठ 41 पर है कि 10 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान हैं और लास्ट में कह दिया कि 3 प्रतिशत का लाभ हो जावेगा। इसी प्रकार से आप मान्यवर, पेज 11 पर जो बैलेन्सशीट दी गयी है, उसको आप देखें। यह वर्ष 1978-79 के वास्तविक व्यय और वर्ष 1979–80 के बजट अनुमान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसमें सबसे पहले आप देखें कि एक मद राजकीय ऋणों पर ब्याज है, उसको शून्य दिखाया गया है । इसका अर्थ यह है कि परिषद् ब्याज नहीं देगी। इसी प्रकार मान्यवर, कॉन्ट्रीब्यूशन टु-डेप्रीसिएशन रिजर्व फण्ड में 32.96 करोड़ रुपया वास्तविक व्यय दिखाया गया है और उसका बजट में अनुमान केवल 17.23 करोड़ रुपया ही रखा गया है। जो यह आशा की जाती है कि प्राफिट होने वाला है, वह सत्य नहीं है।

मान्यवर, इनको प्राफिट कतई नहीं हो सकता है। इन्होंने जो लक्ष्य रखा है उसका भी विवरण इसमें दिया गया है। जो लक्ष्य परिषद् ने निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति वह नहीं कर पाई है। जो उपलब्धियाँ हुई हैं उनको इनके आँकड़े बतलाते हैं। उससे यह स्पष्ट है कि जो उपलब्धि होनी चाहिए वह नहीं हो पाई है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत निजी नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन का लक्ष्य 40,000 का था लेकिन उपलब्धि 24,254 की हुई, ग्रामों का विद्युतीकरण (केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार) 4,870 का लक्ष्य था परन्तु उपलब्धि 1,197 की हुई और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण में 4,170 का लक्ष्य था और 1,366 की उपलब्धि हुई। यह इनकी प्रगति की रिपोर्ट है। जितना लक्ष्य परिषद् ने रखा उसको वह प्राप्त नहीं कर पाई।

मान्यवर, दूसरी यह बात उठाई गयी कि जो कनेक्शन दिये जाने की बात कही गयी। शाही जी कनेक्शन देने में ओवर ड्राफ्ट कर गये। चलते-चलते उनके पास जितनी भी एप्लीकेशन्स आई, उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन आज कुंवर साहेब के लिए सिर दर्द हो रहा है। परिषद् की जो कार्य प्रणाली है उसकी लोगों ने आज कड़ी आलोचना की। कहा गया कि उत्पादन, वितरण और राजस्व परिषद् की तीन अलग-अलग एजेन्सीज होनी चाहिए। श्रीमन्, यहाँ पर बड़े धपले की बात कही गयी। कनेक्शन कट गया, मोटर हट गया परन्तु रिकवरी का सर्टिफिकेट इश्यू हो गया और वह व्यक्ति जेल चला गया जिसने पूरा भुगतान कर दिया। कुछ माननीय सदस्यों ने बिलिंग की बात कही है मान्यवर, एक्चुअल बिलिंग की जानी चाहिए, वह हो नहीं रही है। तीनों विंग्स को सेपरेट रूप से काम करना चाहिए कि जितना उत्पादन हो रहा है उसमें से उपभोक्ताओं को कितना मिल रहा है। अगर 10 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है तो उपभोक्ता को केवल 7 मेगावाट ही मिल रहा है। 3 मेगावाट का पता नहीं है कि वह कहाँ पर जा रहा है। इस बात का कहीं पर भी ब्योरा नहीं है।

तीसरी बात जो लोगों ने कही वह यह कि जितने भी हमारे थर्मल पावर स्टेशन्स हैं, उनकी मशीनरी खराब है, ब्वायलर्स खराब हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि परिषद् की ओर से कोई दस्ता या कोई विंग, जोकि ब्वायलर्स को ठीक कर सके, बनाया जाये जो थर्मल पावर स्टेशन्स की देखरेख कर सके, अगर चलता फिरता दस्ता हो जाय तो बहुत ही अच्छी बात होगी।

पिछले वर्ष पश्चिमी जर्मनी से विशेषज्ञों की एक टीम आयी थी और भारत सरकार के विद्युत् विभाग की ओर से वह हर स्टेट में गयी। वहाँ जाकर उन्होंने जितने भी जल

[श्री गुलाब सेहरा]

विद्युतगृह हैं या तापीय विद्युत् गृह हैं सबका निरीक्षण किया और तत्पश्चात् उसने एक रिपोर्ट दी लेकिन उस रिपोर्ट के इस शासन द्वारा प्राप्त होने पर भी कोई कार्यान्वियन नहीं हुआ है।

अभी भाई मान सिंह जी ने मुझे एक बात का सुझाव दिया। मैं उनका आभारी हूं, मैं तो भूल ही गया था कि सैड्यूल्ड कास्ट और सैड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात करूं। वह वास्तव में ठीक ही बात है। स्थिति यह है कि परिषद् न तो किसी कम्पनी ऐक्ट में ही रजिस्टर्ड है और न इसका कोई मेमोरेन्डम आफ आर्टिकिल ही मुझे मालूम है। इसमें शासन के पूरे शेयर्स हैं और बाकी रुपया अलग-अलग संस्थाओं से ऋण के रूप में लिया है। मुझे इसके एम्स और औब्जेक्ट्स भी मालूम नहीं हैं। जिस प्रकार से रेलवे विभाग उसकी 10 हजार करोड़ रुपए की सम्पत्ति है उसी प्रकार से मुझे अभी तक यह पता नहीं है कि जिस संस्था में 1500 या 1600 करोड़ रुपया लगा है उसके वर्तमान एसेट्स क्या है। परिषद् 1958 से चल रहा है लेकिन इस परिषद में जिसमें एल0आई0सी0 विभिन्न संस्थाओं में और जनता जनार्दन का रुपया लगा हुआ मुझे यह नहीं मालूम हो सका है कि इसके वर्तमान एसेट्स क्या हैं? किसी भी पुस्तिका में इसका ब्योरा नहीं है।

माननीय मुख्य मन्त्री और अन्य लोगों ने कहा कि गत 10 वर्षों में बहुत खराबी रही। मुझे यह सुनकर बड़ी वेदना हुई। 30 वर्षों के शासन काल में मुख्य मन्त्री हमारे माननीय चन्द्र भान गुप्त रहे, श्री टी0एन0 सिंह रहे, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा रहे हैं और चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं और मन्त्रि मण्डल में हमारे माननीय बनारसी दास भी रहे हैं।

श्री मान सिंह आजाद--

श्री तिवारी जी भी तो रहे हैं?

श्री गुलाब सेहरा--

उनका भी योगदान रहा है। एक बात और माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे शाही साहब के पद चिन्हों पर न चलें। गत 2 वर्ष में उन्होंने जो पाप किए हैं और जो अनियमितायें की हैं, पदोन्नतियों के मामलों में, ट्रान्सफर्स के मामले में, नयी नियुक्तियों में उन सब की जाँच करायें तभी आप अपने विभाग को स्वच्छ प्रशासन दे सकेंगे और विभाग को चला सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने तफसील से और बहुत उपयोगी ढंग से अपनी बातें कही हैं और सुझाव दिए हैं। माननीय सेहरा जी ने जो बहुत सी बात कहीं हैं मैं उन पर विचार करूंगा। मै एक बात कहना चाहूंगा कि मैं न तो शाही जी के पद चिन्हों पर चलूंगा, न नारायण दत्त तिवारी जी के पद चिन्हों पर चलूंगा, न राजेन्द्र कुमारी जी के पद चिन्हों पर चलूँगा, मैं स्वयं अपने ही रास्ते पर चलूंगा। किसी के बताए रास्ते पर नहीं। (हर्ष ध्वनि)

मैं आपका ध्यान माननीय तिवारी जी के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने यहाँ सदन में दिया जब वे विद्युत मन्त्री थे। यह कहा गया कि मैं तुलनात्मक अध्ययन न करूं, पर अगर वैसा न करूं तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायेगी। मैंने यह कभी नहीं कहा कि विद्युत परिषद् पूर्ण रूपेण होकर काम कर रहा है। मैंने यह कहा है कि पहले से हालत बेहतर है। निरन्तर हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और बेहतर कार्य करेंगे। मैंने यह कहा कि पिछले 30 सालों में जो कुछ काम हुआ वह निर्बल और गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा। नारायण दत्त जी ने 17 जुलाई, 1974 को यहाँ पर (पृष्ठ 714) यह कहा है कि.....ईस तरह से श्रीमन जी, पैसे की कमी बिजली में है।

यह क्यों है ? सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें यह है कि बिजली बोर्ड को आज बहुत से ऐसे खर्च करने पड़ रहे हैं जिनका लाभ तुरन्त नहीं मिल सकता, अगले वर्ष भी नहीं मिल सकता, 5–10 साल बाद वह मिलेगा। आगे कहा कि "इसे पूरा करने के लिए 1310 करोड़ रुपए की एक योजना लागू की जा रही है"। आगे कहा··· "आने वाले पाँच साल में 2426 मेगावाट बिजली हमारे प्रदेश में उत्पादित होगी"। आज हम 3200 मेगावाट पैदा कर रहे हैं जो स्वयं अपने में रेकार्ड है। इसके लिए सेहरा जी ने बधाई नहीं दी।

इसी तरह से उन्होंने पृष्ठ 716 और 717 पर जो कहा है उसे भी मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं। वे कहते हैं··· "चौथी योजना में 288 मेगावाट शुद्ध बिजली नई बनी।" मान्यवर, जरा आप गौर करें कि चौथी योजना के पूरे काल में 288 मेगावाट बिजली बनी और हमने दो साल में 500 कुछ संख्या बिजली पैदा की। जितना इन्होंने एक पूरी योजना काल में बनाई, उतनी हमने दो साल में पैदा किया और कहते हैं कि बधाई के पात्र नहीं हैं। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गुलाब सेहरा जी 717 पेज पर देखें, नारायण दत्त जी कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं जब से बिजली में दो वर्षों में कमी हुई है, नगरों, खेतों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं। हमने लोगों को पीड़ा में देखा है। प्रदेश के करोड़ों लोग बिजली में जो योगदान दिए हैं; उसके सहारे रहे हैं, उसके लिए मैं उनका विनीत अभिनन्दन करता हूं। वास्तव में जो वेदना और पीड़ा उनको हो रही है या जो नुकसान हो रहा है, हम यह कह सकते हैं कि उससे हमारा संकल्प और मजबूत होता है। संकल्प मजबूत होता है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, कार्यान्वयन कुछ नहीं किया।

मान्यवर, मैं उसी तरह से इनके दूसरे मन्त्री जो 1976–77 में थीं, माननीया डा0 राजेन्द्र कुमार बाजपेयी संयोग से इलाहाबाद की ही थीं, उनका कथन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज न0 36 के पाँचवाँ पैराग्राफ में मान्यवर, देखिए पिछले दो वर्षों में हम किन कठिनाइयों से गुजरे हैं। वह माननीय सदस्यों को ज्ञात है, एक तरफ से रिस्टोरिंग करके कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे बिजली दे पाते हैं। यह तो उनका कथन है। लेकिन कहीं-कहीं दिन-दिन भर बिजली नहीं दे पाते थे। उन्होंने खुद ही कहा है कि कहीं दिन में देते है, और कहीं रात में देते हैं। (हंसी) जो कन्टीनुअस प्रोसेस के उद्योग थे, उनकी बिजली में कटौती करनी पड़ी। हमारीकाफी स्थिति सुधरी है। मान्यवर, अनुमान लगाया कि 50 फीसदी कटौती स्थिति सुधरी है, तो कसी स्थिति रही है, इम्तहान के समय में इग्जामिनेशन हाल में, कालेज में बिजली नहीं मिल पा रही थी। अधिकतम उत्पादन इनके समय में 33.8 मिलियन यूनिट हुआ था। हमारे समय में 1–डेढ़ साल के अन्दर 30 अप्रैल को 40.2 मिलियन यूनिट हमारी बिजली रही है। इसी तरह से ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में इनके समय में 13 करोड़ खर्च हुआ और हमारे समय में 39 करोड़। मान्यवर, यह जो सुझाव आए हैं गुलाब सेहरा जी से मैं शुरू करता हूं। मान्यवर, इन्होंने कहा कि बिजली सब जगह गड़बड़ चल रही है। मान्यवर, आपने भी पढ़ा होगा। लेडी मैकबेथ को तलवार दिखाया जाता था कि कहीं तलवार से कत्ल न हो जाय। उसी तरह से इनको दिवा स्वप्न होता है। बिजली सब जगह मिल रही है। लेकिन इनका कहना है कि बिजली न कल-कारखानें में मिल रही है, न छोटे उद्योगों में मिल रही है। तो यह मान्यवर, बिजली जा कहाँ रही है ? बिजली कैसे प्रकाशित है चारों तरफ ? यह मेरी समझ में मान्यवर, आ नहीं रहा है।

एक प्रश्न उन्होंने उठाया जिसका उत्तर वे दे सकते है. . .

श्री गुलाब सेहरा—

नहीं, नहीं, यह नहीं कहा कि नहीं मिल रही है, मैंने कहा कि जो आप लगातार कह रहे हैं, वह नहीं हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह—

स्माल स्केल के अवध चैम्बर के वाइस प्रेसीडेंट मिस्टर सेठ ने कहा कि पिछले 10 सालों में जितनी बिजली नहीं मिली उतनी आज कल मिल रही है। माननीय सदस्य आगरा से आते हैं, उद्योगों के बारे में जानते हैं ।

(हंसी)

आगरा की बात पर न जायें, उससे बाहर निकल कर बात करें।

श्री गुलाब सेहरा—

आगरा में बाहर के लोग इलाज के लिए आते हैं।

श्री मान सिंह आजाद—

इनको हिन्दू-हरिजन, हिन्दू–मुसलमान नजर आते हैं और कुर्सी ही कुर्सी नजर आती है कि उस पर बैठ जायें।

श्री रेवती रमण सिंह—

यह भी फर्माया कि ट्रान्समिशन की कोई व्यवस्था की गयी है। तो बिजली जायगी कैसे। मैंने पहले पैराग्राफ में कहा है कि सिक्स्थ औ सेवेन्थ फाइव इयर प्लान म हमने ट्रान्समिशन पावर को ओबरा से सिंगरौली, अनपरा काम्पलेक्स, 400 किलोवाट लाईन कानपुर, मुरादनगर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ और मुरादाबाद में बनाई जा रही है। 500 मेगावाट सेट्स प्रपोज्ड अनपरा हैं, के लिए और 750 किलोवाट लाइन लखनऊ तक के लिए प्रपोज्ड हैं।

एन0टी0पी0सी0 400 किलोवाट लाइन का निर्माण कर रही है सिंगरौली से कानपुर को सिंगरौली सुपर थर्मल स्टेशन से पावर के इवेल्यूवेशन के लिए। और इस तरह से आप देखें, सेहरा जी यह कैसे मान लें, सेहरा जी देखेंगे, मैंने शुरू में ही कहा था। लेकिन उन्होंने अच्छे ढंग से नजरअन्दाज करके कह दिया कि ट्रान्समिशन की कोई व्यवस्था ही नहीं नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

आप 25 पेज पर देख लें, इसमें क्या लिखा है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है, यह स्थिति नहीं दर्शाते हैं। यह रिपोर्ट कब की है, यह नहीं बताया है। यह रिपोर्ट 1972–73 की जब उनकी सरकार मौजूद थी। बड़ी होशियारी से सब अपने पापों का घड़ा हमारे ऊपर फेंक कर यह चले जाना चाहते हैं। तो म कहना चाहता हूं कि यह भी देख लीजिए कि 1972–73 में आपकी सरकार थी, यह उसी के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, 2 होशियारों में हम लोग मारे जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी, आप जल्दी करें।

श्री रेवती रमण सिंह—

केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नई लेखा प्रणाली को लागू कर दिया गया है। 1-4-79 से जो नए कामर्शियल एकाँउटिंग पर आधारित है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि थर्मल जनरेशन में उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है। यह सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी की रिपोर्ट है। इससे साबित होता है कि हम इफिसियेंसी दिन प्रति दिन

बढ़ा रहे हैं। इन्होंने बड़ी सफाई से यह भी कह दिया कि 1977–78 में 9289 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ था और 1978–79 में 10,130 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ। इस बात को न कह कर इसे दूसरे ढंग से बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने पेश किया। पर कैपिटा कन्जम्पशन के बारे में आपको बता दूं पजाब में 242 और उत्तर प्रदेश में 86 है। यह 1976–77 के वर्ष का है। यह किसके शासन काल का है। क्या इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम तो केवल 20 महीने, 21 महीने का हिसाब दे सकता हूं। इसके पहले की जिम्मेदारी तो आप की है। इसके अलावा और भी हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में इसी क्रम में आप देखें जबकि बिजली की कमी रहती है और खर्च बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में भी 50 मेगावाट बिजली हम पश्चिमी बंगाल को सप्लाई कर रहे हैं। एक पत्र मैं आपको सुना दूं जो पश्चिमी बंगाल के गवर्नर ने उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है :—

As regards power supply to West Bengal, our State is grateful for whatever U.P. has done. But all the supply is irregular and my reports indicate that except, for a few days on most days either the power is not available or is around 30 M.W. and more, I hope you will be helpful:

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह जो पत्र आया है कोई तथ्य नहीं है केवल अपनी बात को पूर्ण करने के लिए कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, जो यह राज्यपाल पश्चिमी बंगाल का पत्र आपने पढ़ा है यह अंग्रेजी में कहा गया है इसे आप माननीय सदस्यों को हिन्दी में बता दें।

श्री रेवती रमण सिंह—

समझ लिया है इन लोगों ने।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आवश्यक है।

श्री रेवती रमण सिंह—

जहाँ तक बिजली सप्लाई की बात है, पश्चिमी बंगाल हमारे प्रदेश का आभारी है कि उत्तर प्रदेश ने पश्चिमी बंगाल को बिजली दी है लेकिन हमें 30 मेगावाट से अधिक नहीं मिल पा रही है। शेष बिजली कहाँ रह जाती है? इसके बारे में कृपया उचित प्रबन्ध करें।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ इन्होंने दैनिक जागरण का उदाहरण देकर कहा कि 87 करोड़ रुपया उद्योगपतियों पर बाकी है। यह नहीं बताया कि 87 करोड़ रुपया पूरा बाकी है जिसमें बड़े उद्योग पति है, छोटे उद्योगपति हैं और कृषि वाले लोग भी हैं।

एक सदस्य—

जे0 के0 और बिड़ला भी हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इन्होंने जैसा कहा कि आदमी बढ़ाये जा रहे हैं। 10,000 आदमी कम किये गये। जो वोल्टेज में फ्लकचुरेशन होता है उसकी कमी भी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रदेश में....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने तो एक तहरीर में इतना समय लगा दिया। इस संबंध में तो पहले जानकारी करा दी गयी है। जो सुझाव हैं उनको कहें। आप तो काफी दक्ष हैं अपने विभाग में।

श्री रेवती रमण सिंह—

फिर मैं पूरी बात नहीं कह पाऊंगा, सभी सदस्यों की बात कैसे आयेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

2–3 मिनट में खत्म कर दें।

श्री रेवती रमण सिंह—

तो मैं आखरी बात कहूंगा माननीय सदस्यों से। अखिल भारतीय विद्युत उपयोग औसत से हमारा प्रदेश अभी बहुत पीछे है। वर्ष 1976–77 में जबकि अखिल भारतीय औसत 119.4 यूनिट प्रति व्यक्ति था, हमारे प्रदेश का उपयोग 85.9 यूनिट ही था और पंजाब का 241.5, महाराष्ट्र का 199 तथा गुजरात का 192.3 तक पहुंच चुका था।

यदि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में संपन्न किये गये दशम् वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण पर अनुमान आधारित किया जाय, तो छठी पंचवर्षीय योजना काल, 1978–83 में प्रदेश के विद्युत विकास पर 2500 करोड़ रुपये व्यय किये जायें और तदनुसार बनाये गये योजना प्रारूप के अनुसार नई परियोजनायें स्थापित की जायं तो वर्ष 1983–84 में प्रदेश में लगभग 1000 मेगावाट की पीक माँग होगी।

मान्यवर, अगर हमको 25,00 करोड़ रुपये नहीं मिल पाये तो जरूर आने वाले 4–5 सालों में जो स्थिति बंगाल की है वह हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि बिजली में कटौती न करके परिव्यय को बढ़ाया जाय और कम से कम 25 सौ करोड़ रुपये दिये जायं जिससे आने वाले समय में उचित व्यवस्था हो सके। प्लानिंग कमीशन और ऊर्जा मंत्री से हमने बात की है। तो मान्यवर, मैं ज्यादा न कह कर के सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनका मैं अनुग्रहीत हूं। एक बात मैं इस संबंध में कहकर, तमसो मा ज्योर्तिगमय्, आगे आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में प्रकाश ही प्रकाश दिखायी पड़े इस शुभ कामना के साथ उम्मीद करता हूं कि इस अनुदान को एक स्वर से सब कोई पास करेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत बातें कहीं, उन्होंने काल्पनिक प्रश्न इकट्ठा करके जो हम लोगों ने कहा उसका उत्तर नहीं दिया। जो प्रश्न हमने उठाये शायद समयाभाव के कारण उत्तर नहीं दिया। हम नोटिस देंगे एक, दो दिन के लिये प्रतिवेदन पर बहस हो।

श्री उपाध्यक्ष—

सेहरा जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूं। न कहीं योजनाओं का जिक्र किया कि कबतक पूरी होंगी, टिहरी योजना कब पूरी होगी, कई योजनायें हैं जिनका जिक्र नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–विद्युत विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 126—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 126—विद्युत विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,25,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की आज तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली श्री रवीन्द्र सिंह की है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में घूस लेकर अंक बढ़ाने की घटनाओं के संबंध में है, दूसरी श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की है जो 1977-78 में माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल की समाप्ति पर वैकल्पिक शिक्षकों को शासन द्वारा दिये गये आश्वासन के संबंध में है और तीसरी श्री गुरु प्रसाद शास्त्री की है जो जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना तथा मेजा में डकैती एवं कत्ल की घटनाओं के संबंध में है। मैंने इन तीनों को अस्वीकृत किया।

बांदा जिले के कमासिन गांव में "भू-दान यज्ञ" में प्राप्त जमीन से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों को उजाड़ कर भू-स्वामियों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

अब आइटम नं0 10 पर जो बांदा जिले के कमासिन गांव में "भू-दान यज्ञ" में प्राप्त जमीन से भूमिहीन खेत मजदूरों एवं हरिजनों को उजाड़कर भू-स्वामियों द्वारा कब्जा किये जाने से व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री राम सजीवन द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य—इसमें मेरे पास राजस्व मंत्री की प्रार्थना आ गयी है कि उनको अभी जिले से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये मैंने उनको एक सप्ताह का समय दे दिया है और उसके बाद वह अपना वक्तव्य दे देंगे।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
24 मई, 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 459 पर)

इण्डियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स फेडरेशन 19—लाजपतराय मार्ग, लखनऊ

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	प्रधान मंत्री
ठा0 चन्द्रिका सिंह	विश्वनाथ मिश्र	राम नाथ भारती

क्रमाँक 110/78 दिनाँक 4—7—78

श्रम मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रिय महोदय,

हम आपका ध्यान राय बहादुर सेठ लक्ष्मणदास शुगर एन्ड जनरल मिल प्रा0 लि0, जरवल रोड, जिला बहराइच के श्रमिकों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहते हैं:—

(1) यह कि उपरोक्त मिल रिसिवरशिप में चल रही है।

(2) यह कि श्रमिकों को माह अक्तूबर, 1977 से मई, 1978 तक के वेतन का भुगतान आज तक नहीं हुआ है।

(3) यह कि ओवर टाइम, रिटेनर, ड्यूज लीव तथा अन्य बहुत से देय धनराशि का भुगतान आज तक श्रमिकों को नहीं किया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 32 लाख रुपया के लगभग श्रमिकों को मिल से पाना है।

आप स्वयं समझ सकते हैं कि आज की इस मंहगाई के समय में श्रमिक वर्ग अपना वेतन हर माह पाने के बावजूद घोर कष्ट में रहता है तो जब इतने महीनों का उसका बकाया उपार्जित धन भी न मिले तो उसकी क्या दशा हो सकती है इसका आप सहज में ही अनुमान लगा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में यूनियन द्वारा एक प्रत्यावेदन पहले ही आप को प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हमें आप से प्रार्थना करनी है कि आप कृपया इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर मजदूरों के बकाये धनराशि को अविलम्ब दिलाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

ह0 राम नाथ भारती,
प्रधान मंत्री।

नत्थी ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 467 पर)

सूची 'क'

देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा नौरंगिया तथा राम कोला के उन ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना है:—

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
(अ)	जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है।	
1	नौरंगिया	बिशुनपुरा खुर्द
2		परशुरामपुर
3		नेबुआ रायगंज
4		देव गाँव
5		शेखई
6		खुजरी
7		ढौलहा
8		विजयपुर
9		सिरसिया बुजुर्ग
10		लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मा पटओ
11		रामपुर भाट
12		नौ गिया
13		कोआसार
14		बिन्द बलिया
15		नौगाँवा
16		नरायनपुर
17	खड्डा	भजौली बुजुर्ग
18		रुद्रपुर
19		शिवदत्त छपरा
20		उधोछपरा
21		भजौली खुर्द
22		मठिया बुजुर्ग
23		धरनी पट्टी
24	राम कोला	देंवरिया बाबू
25		फलवरिया मशारिक
26		देवरिया मनीका छपरा
27		पगार
28		धआँ टीकर
29		रामपुर खास
30		बिहुली बिहारी
31		पकड़ी बाजार
32		पकड़ी बन्ती उर्फ सेनहा
33		अमुदरिया
34		मँडेराय

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
(ब) जिनका विद्युतीकरण प्रस्तावित है—		
1	नौरंगिया	.. कोयरगटी
2		.. बरवा
3		.. रायपुर खास
4		.. हरपुर माफी
5		.. रायपुर भैंसही
6	खड्डा	.. खैरी
7	रामकोला	.. खोटही
8		.. बिहुंली सोनीली

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 469 पर)

संलग्नक

	1976–77 (बल्क लीटर में)	1977–78 (बल्क लीटर में)	1978–79 (बल्क लीटर में)
देशी शराब ..	2,27,91,209.0	2,58,07,625.0	2,27,10,458.0
अंग्रेजी शराब ..	35,82,985.0	45,34,700.0	30,91,445.0
बियर ..	23,40,101.0	33,18,423.0	30,57,892.50

अतारांकित प्रश्न

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 478 पर)

पद का नाम	तदर्थ नियुक्तियों की कुल संख्या	तदर्थ से नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रतिशत		पिछड़ी जाति के नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
		वर्ष 1977–78			
अवर अभियंता (सिविल)	702	165	23.5	107	15.2
अवर अभियंता (वि0/याँ0)	80	30	37.5	14	17.5
		वर्ष 1978–79			
अवर अभियंता (सिविल)	1399	12	0.86*	216	15.0
अवर अभियंता (वि0/यां0)	109	23	21.1	10	9.17*
संगणक (सिविल)	57	—	—*	15	26.3
संगणक (वि0/याँ0)	15	4	26.6	3	20.00
नैत्यिक लिपिक	4	—	—	—	—
लैब असिस्टेन्ट	3	—	—	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	—	—	—	—

*अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा नहीं हुआ।

पी0एस0ए0सी0—एल0 210 विधान सभा (313)—1980—835।